खाद्य मुद्रास्फीति
नियंत्रण के प्रयास

सरकार खाद्य मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के प्रयास कर रही है, हालांकि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार्य सीमा के भीतर बनी हुई है। पूर्व की सरकारों में जहां मुद्रास्फीति दहाई तक चली जाती थी, वह पिछले दस साल से इकाई में बनी हुई है। इसके बावजूद सरकार इस तथ्य के प्रति संवेदनशील है कि चुनाव के समय खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति मतदाताओं की पसंद प्रभावित कर सकती है। हालांकि, जाति, धर्म और सत्ता-विरोधी रुझान आदि का भी मतदाताओं के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें मतदाताओं की भावनाओं को ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। इस परंपरागत विवेक को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने चुनावों के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रखने के प्रयास किए हैं। सरकार ने पिछले कुछ सालों में खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 'मूल्य स्थिरीकरण फंड' में 28,000 करोड़ रुपये का योगदान किया है। यह नागरिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता प्रकट करता है। पीयूष गोयल का आश्वासन राष्ट्र की सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों में खाद्य सुरक्षा का महत्व उजागर करता है। कीमतों में किसी उतार-चढ़ाव का खासकर संकटग्रस्त तबके के लिए दूरगामी प्रभाव हो सकता है। हालांकि, खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें सप्लाई श्रृंखला में बाधायें, मुनाफाखोरी तथा बढ़ी मांग शामिल है। इस संदर्भ में आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें नियंत्रित रखने की उपभोक्ता मामलों के मंत्री की प्रतिबद्धता सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण की प्रतीक है जो जनसंख्या के संभावित कष्टों को दूर करना चाहती है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है जिसमें प्रभावी प्रशासन, जीवन्त नियामक व्यवस्थायें तथा सक्रिय हस्तक्षेप शामिल हैं।

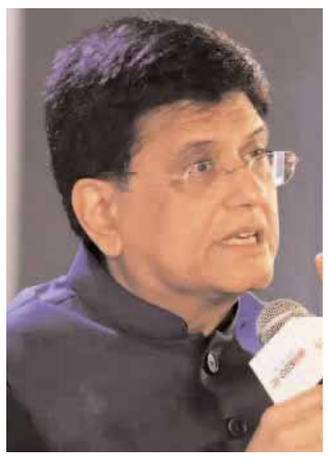

पीयूष गोयल के आश्वासन में प्रमुख तत्व बाजार गतिविधियों पर गहरी नजर रखना तथा किसी विसंगति से निपटने के लिए तत्काल हस्तक्षेप शामिल है। इनमें सुरक्षित स्टाक जारी करना, मूल्य नियंत्रण लागू करना तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोकने के लिए सक्षम वितरण चैनलों को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके साथ ही सप्लाई श्रृंखला में ज्यादा पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने से भी उचित मूल्य सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। किसानों, व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के साथ साझीदारियों को बढ़ावा दे कर सरकार टिकाऊ कृषि व्यवहारों तथा समतापूर्ण बाजार पहुंच के प्रति उपयुक्त परिवेश प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने कृषि क्षेत्र की समस्याओं से निपटने के लिए अनेक दीर्घकालीन उपाय किए हैं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत कर उपभोक्ताओं को राहत देने के प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा लगभग 80 करोड़ लोगों को हर माह पांच किलो मुफ्त राशन योजना का विस्तार पांच साल और कर दिया गया है। इससे समाज के गरीब तबके की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। 'एक देश एक राशन कार्ड' व्यवस्था से प्रवासी श्रमिक देश में किसी भी राशन दूकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इन कदमों से खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर रखने में सहायता मिली है। सरकार खाद्यान्न भंडारण तथा अन्य खाद्य वस्तुओं के भंडारण व उनकी वितरण व्यवस्था को जिलों के स्तर पर विस्तार देने के लिए सहकारी संस्थानों का सहयोग ले रही है। इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर रखने में सहायता मिलेगी।

खैरात बांटने की हानिकारक प्रवृत्ति

कुछ साल पहले तक चुनावी खैरातें अपवाद होती थीं। लेकिन अब यह आम बात हो गई है और लगभग सभी पार्टियां इनका वादा करती हैं।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

भारतीय निर्वाचन आयोग-ईसीआई द्वारा लोकसभा चुनाव की अधिघोषणा जारी होने में अब मुश्किल से एक सप्ताह बाकी है, जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी-आप ने दिलली के मतदाताओं को एक आकर्षक खैरात का वादा कर दिया है जिसका अर्थ 'कुछ मुफ्त देना' है जिसकी शुरुआत फरवरी, 2020 चुनावों में हुई थी। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना'-एमएमएसवाई की घोषणा कर दी जिसके अंतर्गत आप सरकार हर माह 18 वर्ष से अधिक आयु वाली हर महिला को राष्ट्रीय राजधानी में 1,000 रुपये प्रति माह देगी। इस योजना के लिए केवल पंजीकृत मतदाता ही सक्षम होंगे। इसके साथ ही महिला को किसी अन्य पेंशन योजना का हिस्सा, सरकारी कर्मचारी और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। 'आप' के सर्वोच्च नेताओं ने इस योजना को 'क्रांतिकारी' बताते हुए इसे 'महिला सशक्तीकरण' कहा है। इसे वह 'राम राज्य' की दिशा में एक कदम बताती है। इसका अर्थ रामायण युग के प्रशासन से है जब प्रशासनिक व्यवस्था 'राजकुमारों और निर्धनों के लिए समान अधिकार' सुनिश्चित करती थी। आप पार्टी चाहे जो कहे, पर एक मुख्य सवाल यह है कि क्या एमएमएसवाई को कल्याण योजना के नाम पर सही ठहराया जा सकता है।

किसी कल्याणकारी योजना के तीन मुख्य आधार होते हैं। राज्य सहायता ऐसे लोगों को दी जाती है जो गरीब हों तथा यह मुख्यत: अत्यन्त अनिवार्य चीजों, जैसे भोजन, ईंधन, पानी, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर केन्द्रित होती है। इसे राजस्व प्राप्त करने के सुनियोजित प्रयासों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि बजट की स्थिति खराब न हो। इसके साथ ही यह 'सीमित समय' के लिए होती है क्योंकि उसके बाद लाभार्थी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यह योजना मूल चीजों तक सीमित नहीं है और इसके बजाय एक धनराशि दी जाती है जिसका प्रयोग लाभार्थी अपनी इच्छानुसार कर सकती है। इसके साथ ही यह केवल गरीबों पर केन्द्रित नहीं है। इसके लिए सक्षम होने की शर्तों से वित्तीय रूप से बेहतर स्थिति वाली महिलायें भी इसका लाभ उठा सकती हैं। लाभार्थी द्वारा 'आयकर न देने' की शर्त का यह अर्थ नहीं है कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। आयकर व्यवस्था में किसी व्यक्ति को 7,00,000 रुपये या लगभग 60,000 रुपये महीने आय तक आयकर देने की जरूरत नहीं है।

ऐसे में उसे लाभार्थी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन योजना में ऐसा किया गया है। एक अन्य मामले पर गौर करें जहां महिला गृहिणी है। उसकी भले ही कोई आमदनी न हो, पर वह बहुत अमीर परिवार से हो सकती है जिसे किसी सहायता की जरूरत न हो, लेकिन वह इसके अंतर्गत सक्षम होगी। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। यह उस धनराशि से बहुत कम है जिसकी जरूरत पड़ सकती है। दिल्ली में 18 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं की संख्या 67,000 है। ऐसे में हर महिला को 1000 रुपये महीने या 12,000 रुपये वार्षिक देने के लिए 8000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जो बजट आबंटन से चार गुना अधिक है। हालांकि, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों तथा आयकर दाताओं को इससे अलग रखा है। इनको निकालने के बाद लाभार्थियों की संख्या लगभग 4500,000 होगी। इस संख्या के लिए भी लगभग 5,400 करोड़ रुपये की जरूरत होगी जो आबंटन का लगभग तीन गुना है।

पैसे की उपलब्धता तथा आवश्यकता के बीच विसंगति के कारण इस योजना में लाभार्थी चयन में भेदभाव, भ्रष्टाचार और पक्षपात हो सकता है। इसके साथ ही लाभार्थी को केवल वोटर आईडी की जरूरत होगी, जबकि इसके लिए आधार ज्यादा बेहतर होता जो बायोमीट्रिक विवरण के कारण ज्यादा आधिकारिक होता। इससे फर्जी लोग भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं को लाभ मिलने और बाकी के वंचित रहने से सामाजिक-आर्थिक तनाव पैदा हो सकता है। इन तनावों से बचने के लिए सरकार ने 18 साल से अधिक आयु वाली सभी 6700,000 महिलाओं को बिना किसी शर्त के सहायता देने का निर्णय किया है, जैसा कि बिजली सब्सिडी के मामले में है।

इस पर हर साल 8000 करोड़ रुपये खर्च होगा। इस योजना का प्राविधान करते समय आप सरकार ने अपने बजट की स्थिति पर गौर नहीं किया है जो मुख्यमंत्री के दावों के बावजूद बहुत अच्छी नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल खर्च 76,000 करोड़ की तुलना में कुल राजस्व लगभग 58,000 करोड़ था। इससे लगभग 18,000 करोड़ राजस्व घाटा सामने आता है जो वित्त वर्ष 2023-24 में 10,000 करोड़ से 80 प्रतिशत अधिक है। राजस्व घाटे में वृद्धि पूंजीगत खर्च में 30 प्रतिशत कमी के बावजूद है जो वित्त वर्ष 2023-24 में 22,000 करोड़ से घट कर 2024-25 में 15,000 करोड़ रह गया। इस बीच सरकार का सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ा जो वित्त वर्ष 23-24 में 4,750 करोड़ से बढ़ कर 2024-25 में 6,700 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 के अनुमान में एमएमएसवाई के लिए 2000 करोड़ रखा गया है। यदि यह 8000 करोड़ रुपये हो जाता है तो खर्च बढ़ कर 12,700 करोड़ हो जाएगा जो 2023-24 के बजट से 2.7 गुना अधिक होगा।

दिल्ली सरकार पर वर्तमान कर्ज लगभग 40,000 करोड़ है। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। यदि हम दिल्ली जल बोर्ड-डीजेबी द्वारा लिए 70,000 करोड़ तथा दिल्ली परिवहन निगम-डीटीसी द्वारा लिए 10,000 करोड़ कर्ज को दायित्व के रूप में देखें तो इसकी भरपाई पूरी तरह केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार-एनसीटी को करनी होगी। इससे दिल्ली सरकार का कुल कर्ज 120,00 करोड़ हो जाएगा। इस स्थिति को ठीक नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही किसी योजना को समाप्त करने की तिथि भी होनी चाहिए। चुनाव के कारण शुरू की गई एमएमएसवाई योजना भी इस दायरे में आती है, लेकिन ऐसी योजनायें लगातार चलती रहती हैं। कुछ साल पहले तक चुनावी खैरातें अपवाद होती थीं। लेकिन अब यह आम बात हो गई है और लगभग सभी पार्टियां इनका वादा करती हैं। यदि इसे जारी रखा जाता है तो यह निश्चित रूप से आर्थिक विभीषिका का कारण बनेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बारे में चिन्ता प्रकट की है। 25 जनवरी, 2022 को 'खैरातों' के खिलाफ निर्देश देने की प्रार्थना करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते समय उसने कहा था, 'यह निश्चित रूप से गंभीर मामला है। खैरातों के लिए बजट नियमित बजट से अधिक होता जा रहा है। इससे समान अधिकार की अवधारणा नष्ट होती है।' समस्या से बाहर निकलने का रास्ता राजनीतिक पार्टियों द्वारा खैरातों की घोषणा पर 'विधिक' प्रतिबंध लगाना है। लेकिन इस मामले में किसी अन्य ने नहीं, बल्कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ही स्पीड ब्रेकर लगा दिया है।

एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य मामले में जुलाई, 2013 में आदेश देते हुए उसने कहा था कि किसी प्रकार की खैरात का वितरण सभी लोगों को प्रभावित करता है और 'यह स्वतंत्र व न्यायोचित चुनावों की जड़ों पर बड़ी सीमा तक प्रहार करता है।' लेकिन उसने यह भी कहा कि 'चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को लोक प्रतिनिधित्व कानून या किसी अन्य कानून के अंतर्गत भ्रष्ट व्यवहार नहीं कहा जा सकता है। इसलिए खैरातों का वितरण उस समय तक नहीं रोका जा सकता है जब तक सत्तारूढ़ पार्टी इसे राज्य विधानसभा में उपयक्त विनियोग कानून पास करने के माध्यम से करती है।'

वर्तमान समय में भारत के प्रधान न्यायाधीश-सीजेआई की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की एक पीठ उपरोक्त दृष्टिकोण पर पुन: विचार करने की प्रार्थना वाली एक याचिका पर विचार कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय 'चुनावी खैरातों' पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे सकता है जो इस व्यवहार में स्वयं गहराई तक लिप्त हैं और इसलिए इस पर नियंत्रण का कोई कानून नहीं बनाएंगी।

अशांत दुनिया में सत्व का मार्ग

> अशांत दुनिया में आतंरिक शांति व सामंजस्य बनाए रखने के लिए सत्व की शक्ति का लाभ उठाएं।

रवि वल्लूरी
(लेखक, आर्ट आफ लिविंग से संबद्ध हैं)

वर्तमान समय में अनेकानेक करणों से अधिकांश व्यक्तियों को अशांत दुनिया का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण उनकी मानसिक शांति तथा सामंजस्य प्रभावित होता है जिसका समग्र रूप से प्रभाव उनके जीवन व कार्यशैली पर पड़ता है। वर्तमान अशांत दुनिया में आतंरिक शांति व सामंजस्य बनाए रखने के लिए सत्व की मानसिक शक्ति का लाभ उठाना चाहिए।

इस संबंध में भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा बहुत महत्वपूर्ण है। महानाम अपनी आध्यात्मिक पीड़ा और मानसिक स्थिति से व्यथित थे। बुद्ध ने अपने चचेरे भाई और भक्त की समस्या का विश्लेषण कर इसक उनकी असंतुष्ट यौन इच्छाओं तथा संवेदनशीलता के साथ संघर्ष से जोड़ा। वासना और लालच, आसक्ति और बंधन अनेक मनुष्यों की मानसिक स्थिति में संकट का करण बनते हैं और इस कारण सत्व बहुत नीचे गिर जाता है। ये एक आम आदमी या सत्य की खोज में लगे व्यक्ति के मार्ग में बाधा बनते हैं। हमें ऐसे व्यक्ति की कल्पना करनी चाहिए जो संतुष्ट हो, उसका चेहरा चमक रहा हो, उसकी आंखों में चमक हो, चेहरे पर मुस्कराहट हो और वह अपने स्व तथा प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य की स्थिति में हो।

यह शायद आकाश में इंद्रधनुष देखने, बर्फ से ढके पहाड़ देखने या शांत नदी या झील देखने के समान है। मनुष्य के मन या चित्त में ऐसी आकर्षक छवियां उसे जीवन्त सकारात्मकता से भर देती हैं। सत्व के सभी कार्य प्रकृति का परिवर्तित रूप हैं जो आत्मा के लिए प्रकाश और प्रसन्नता से परिभाषित होती है। हिंदू दर्शन में सांख्य शाखा के अनुसार मनुष्यों व अन्य जीवधारियों में तीन गुण-सत्व, रज व तम पाए जाते हैं।

सत्व का संबंध पवित्रता, बुद्धि, जागरूकता, सतर्कता, सामंजस्य, संतुलन व समभाव से है। रज का संबंध ऐसी ऊर्जा से है जो अपरिहार्य रूप से असंतुलन पैदा करती है। यह परिवर्तन, निरंतर गतिविधि, बेचैनी, भावनाओं और असंतुलन से जुड़ी है जिसका परिणाम व्यक्ति के विचारों तथा चिंतन प्रक्रिया में विखंडन के रूप में सामने आता है। तम का संबंध सुस्ती, अंधकार, निराशा, निष्क्रियता, जागरूकता की कमी, विखंडलन तथा किसी व्यक्ति में लंबे समय तक निद्रा के रूप में सामने आता है। सात्विक व्यक्ति अपने कार्यों में अडिग व मानसिक अशांति से मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति सतर्क, त्वरित निर्णय लेने में सक्षम तथा प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। लेकिन वे सचमुच आनन्द और प्रसन्नता से भरे होते हैं। उनके लिए जीवन एक आनन्द का उत्सव है। रज गुण की प्रधानता वाले व्यक्ति विलासी, भावनाओं से भरे, निरंतर गतिविधियों में लिप्त तथा विभिन्न प्रकार के बंधनों से बंधे होते हैं। तमोगुण वाले व्यक्ति अपनी भावनायें प्रकट करते हैं तथा गुस्से, विखंडन, अहंकार, विघटन और सड़न से भरे होते हैं।

यदि बुद्ध होते हैं तो 'मार' भी कहीं पास ही छिपा रहता है। ऐसे में जीवन के अंतिम समय के बजाय व्यक्तियों के लिए हमेशा सत्व की खोज करना जरूरी होता है। इससे मनुष्य अपनी सच्ची क्षमता प्राप्त कर सामंजस्य, समदर्शिता तथा समभाव का विकास कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क पर हमेशा अन्य चीजों के साथ ही उसके द्वारा किए जाने वाले भोजन, साथियों की प्रकृति, जीवन की घटनाओं तथा भ्रमण किए स्थानों का प्रभाव पड़ता है। हमें उचित कर्म के माध्यम से अपने कुछ व्यवहारों के नकारात्मक प्रभावों से बचने का प्रयास करना चाहिए तथा समग्र तकनीकों का व्यवहार करना चाहिए। प्रारंभ में मनुष्यों को उपयुक्त भोजन पर ध्यान देना चाहिए। कभी-कभी अति को छोड़ कर सामान्य रूप से सात्विक व शाकाहारी भोजन लेना उचित होगा जो असानी से पच जाता है तथा मानसिक सोच को विकृतियों व घृणा से मुक्त रखता है। विपस्सना, सुदर्शन क्रिया व प्राणायाम शरीर से विषों को निकालने तथा जीवन्त बनाने के साथ हमें ऊर्जान्वित रखते हैं।

मानव मस्तिष्क असंख्य विचारों से भरा रहता है। जिग्मो या तकनीक का दास बना कर हम उसे और दयनीय बना देते हैं। इससे हमारा पवित्र स्पेस भरता और नष्ट हो जाता है। इस स्पेस को पुन: प्राप्त करना होता है। मनुष्य की पहचान हमेशा उसके साथियों से होती है। अपने भीतर सत्व को बढ़ाने तथा उसे बनाए रखने के लिए सत्संग तथा निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। इन क्षेत्रों में नियमित काम कर मनुष्य नकारात्मक प्रभावों से बच सकता है, कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है तथा सत्व का स्तर बढ़ा सकता है।

आप की बात

पोप का प्रस्ताव

पोप फ्रांसिस वैसे तो शांत रहने वाले इंसान हैं। मगर कभी-कभी उनका बयान उथलपुथल पैदा करने वाला हो सकता है। उनके हालिया बयान ने यूक्रेन समेत हर देश को व्यथित किया है जो दूसरे देशों की संप्रभुता पर आक्रमण को गलत मानता है। उन्होंने यूक्रेन को रूस के साथ शांति वार्ता की सलाह दी है। उन्होंने तर्क दिया कि संभावित हार का सामना कर रहे यूक्रेन को अंतरराष्ट्रीय शक्तियों की मध्यस्थता में शांति वार्ता की सलाह दी है। पोप का शांति प्रस्ताव सरसरी तौर से भले ही गलत न लगता हो, लेकिन जब तक यूक्रेन के क्षेत्रों पर रूसी कब्जे हटाने की शर्त किसी शांति वार्ता का हिस्सा नहीं होती है, तब तक इसका अर्थ बड़े व शक्तिशाली देशों द्वारा छोटे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन व उनको अपना गुलाम बनाने की अनुमति देना होगा। रूस ने 2014 में ही यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और वर्तमान समय में उसका यूक्रेन के लगभग पांचवें हिस्से पर कब्जा बना हुआ है। विडंबना है कि नाटो के विस्तार के साथ ही पुतिन का उग्र-राष्ट्रवाद वही परिस्थितियां पैदा कर रहा है जो द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले बनी थीं। उस समय एक ही हिटलर था, पर आज अनेक स्वेच्छाचारी व तानाशाह शासक युद्धोन्माद पैदा कर हिटलर बनने के रास्ते पर खतरनाक ढंग से चल रहे हैं।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

भाजपा की विश्वसनीयता

भाजपा विश्वसनीयता पर आज अधिकांश दल विश्वास करने लगे हैं। कुछ दल भाजपा का सरकार में होने के कारण विरोध भी करते हैं, लेकिन तस्वीर बदलती दिख रही है। दक्षिण भारत की क्षेत्रीय पार्टी तेलुगू देशम भाजपा की सहयोगी तथा अटल जी की सरकार में सहभागी रही है। बाद में कुछ कारणों से उसका एनडीए गठबंधन से साथ छूट गया था पर इस बार आम चुनाव में वह फिर इस गठबंधन में शामिल हो रही है। यह भाजपा की बढ़ती विश्वसनीयता का एक प्रमाण है। जदयू भी एनडीए का हिस्सा बन गई है और उत्तर प्रदेश में रालोद ने इसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाजपा की बढ़ती विश्वसनीयता का कारण उसकी पिछले 10 साल से शानदार ढंग से चल रही सरकार है। अनेक क्षेत्रीय दलों को अब धीरे-धीरे समझ में आने लगा है कि भाजपा से विरोध कर उनका जनता से संबंध बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। आज के समय में भाजपा ही स्पष्ट एवं सटीक विचारधारा वाली पार्टी है जो देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए निरंतर सक्रिय है। उल्लेखनीय है कि 2014 व 2019 में भाजपा पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी थी, पर उसने सहयोगी दलों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया। इससे उसकी विश्वसनीयता और बढ़ी है।

– **एमएम राजावत,** शाजापुर

लैंगिक समानता

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक विधि छात्रा की याचिका पर आदेश दिया कि अब शैक्षणिक दस्तावेज पर माता-पिता का नाम दर्ज करना जरूरी होगा। यह फैसला न केवल ऐतिहासिक बल्कि लैंगिक समानता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भविष्य में छात्रों को दी जाने डिग्री में माता-पिता का नाम अंकित होने के दूरगामी परिणाम होंगे। हाईकोर्ट की न्यायाधीश ने इसे सामाजिक महत्व का मुद्दा बताया है। ऐसे न्यायसंगत फैसलों के कारण ही भारत में न्यायपालिका के लिए जनता के दिल में सर्वोच्च सम्मान की भावना है और उसे अंतिम आशा के रूप में देखा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि छात्र एवम युवाओं द्वारा भरे जाने वाले दस्तावेजों में केवल पिता का नाम ही पूछा जाता है और मां के नाम का कालम नही होता हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए भविष्य मे इस व्यवस्था में परिवर्तन उचित होगा। जरूरत इस बात की है कि लैंगिक समानता की दिशा में दिए इस महत्वपूर्ण फैसले का क्रियान्वयन पूरे देश में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तथा नौकरी व रोजगार संबंधी सभी दस्तावेजों में शीघ्रातिशीघ्र किया जाए। इससे समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा तथा छात्र-छात्राओं की प्रगति में उनकी माता का उल्लेख स्वत: हो जाएगा।

–**वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

मानसिक विकास

इंसानी मस्तिष्क कुदरत का अजूबा है। यादों का संग्रह कर मस्तिष्क निरंतर विकसित होते हुए प्रतिभा शाली होता जाता है। समय बीतने के साथ ही कम महत्व की चीजें मस्तिष्क भूलता जाता है। लेकिन यदि किसी अपने के बिछुड़ जाने की यादें व्यक्ति लंबे समय तक न भूले तो वह अवसाद ग्रस्त होकर बीमार हो सकता है। इस प्रकार भूलना भी किसी तोहफे से कम नहीं है। पढ़ाई कर और अनेक प्रकार की जानकारियां याद कर आदमी अपने जीवन में शिक्षा और रोजगार प्राप्त करता है। भगवान ने हर इंसान की मस्तिष्क रचना अलग-अलग बनाई हैं। लेकिन बहुत कुछ मस्तिष्क की क्षमताओं के विकास, साथियों, सामाजिक स्थिति व आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस कारण कोई वैज्ञानिक, चित्रकार, कलाकार, आदि बनता है तो कोई मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। समाज और सरकार को सभी बच्चों, बच्चियों व युवाओं के मानसिक विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध करानी चाहिए। वर्तमान समय में विज्ञान और तकनीक की प्रगति से इसमें और योगदान मिल सकता है, लेकिन इसके खतरे भी हैं।

–**सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 22

उच्चतम न्यायालय का सही कदम

चुनावी बॉन्ड का ब्योरा देने के लिए और समय मांग रहे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का अनुरोध खारिज करके सर्वोच्च न्यायालय ने सही कदम उठाया है। चुनावी बॉन्ड जारी करने की जिम्मेदारी सरकारी क्षेत्र के बैंक एसबीआई की ही है और बैंक ने 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे गए बॉन्ड के विवरण के खुलासे के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। एसबीआई के आवेदन और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कॉमन कॉज और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दाखिल न्यायालय की अवमानना की याचिका पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक को अब 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने का समय दिया है और चुनाव आयोग को इसे 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा।

हालांकि सर्वोच्च अदालत ने अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया, लेकिन चेतावनी भी दी है कि अगर बैंक उसके नवीनतम आदेश का पालन नहीं करता तो यह कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को इस बारे में एक हलफनामा भी जमा करना होगा कि बैंक ने न्यायालय के फैसले का पालन कर दिया है। गत 15 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया था, अब इससे एक महीने से भी कम समय में इस फैसले के साथ पांच न्यायाधीशों के पीठ ने न्यायालय के आदेशों का पालन करने के अहम सिद्धांत को रेखांकित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पहले 6 मार्च की समयसीमा तय की थी, लेकिन इसके दो दिन पहले ही इसे बढ़ाने के अनुरोध के साथ आवेदन किया गया, वह भी बैंक के एक सहायक महाप्रबंधक के द्वारा। एसबीआई के वकील ने देरी के लिए सफाई दी कि दानदाताओं का विवरण और बॉन्ड भुनाने का विवरण हासिल करना चुनौतीपूर्ण है, जो अलग-अलग गोपनीय खातों के तहत दर्ज किए गए थे, उनमें से कुछ डिजिटल के बजाय भौतिक रूप में थे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय ने एसबीआई से यह नहीं कहा था कि वह इस बात का 'मिलान' करे कि किस दानदाता ने किस दल को कितना चंदा दिया है। अपने 15 फरवरी के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने दो तरह की जानकारी मांगी थी। पहली यह है कि बॉन्ड की खरीद किसने की, कब हुई और किस मूल्यवर्ग में हुई और दूसरी यह है कि राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए बॉन्डों का ब्योरा क्या है, जैसे कि उन्होंने किस तारीख को नकदी हासिल की और किस मूल्यवर्ग में? लेकिन ऐसा लग रहा है कि एसबीआई ने इसकी व्याख्या इस तरह से की कि उसे क्रेता के ब्योरे को राजनीतिक दलों के साथ मिलान करना है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई के पास खरीदारों का 'अपने ग्राहक को जानें' वाला ब्योरा है और उसने अपने आवेदन में कहा भी है कि बॉन्ड की खरीद का ब्योरा मुख्य शाखा में एक सीलबंद कवर में रखा गया है।

इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि बैंक को बस इतना करना था कि इस सीलबंद कवर को खोलें, नामों का मिलान करें और उसमें जो भी ब्योरा पहले से मौजूद है उसे पेश करें। अपने 'संक्षिप्त आदेश' में पीठ ने इस बात की ओर भी संकेत किया कि हर राजनीतिक दल देश के 29 निर्धारित बैंकों में ही केवल एक चालू खाता खोल सकता है। इसलिए यह जानकारी आसानी से हासिल की जा सकती है।

इसके अलावा अदालत ने अलग से चुनाव आयोग से कहा था कि वह 30 सितंबर तक यह जानकारी सार्वजनिक करे कि किस राजनीतिक दल को कितना धन हासिल हुआ है। पिछले साल नवंबर में आए एक अंतरिम आदेश के बाद अदालत को यह जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में भेजी गई थी। अपने आदेश में न्यायालय ने देश के सबसे बड़े बैंक के खोखले तर्कों को उजागर कर दिया, खासकर ऐसे में कि लोक सभा चुनाव खत्म होने के बाद 30 जून का दिन अच्छा होता। उसने एक बार फिर देश में चुनावी चंदे से संबद्ध विश्वसनीय और पारदर्शी कानूनों की तात्कालिक जरूरत को रेखांकित किया है।

अजय मोहंती

भारत में आय जनसांख्यिकी का तेजी से बदल रहा स्वरूप

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आय में अंतर की खाई धीरे-धीरे कम होने से अब औसत आय वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़े बाजार तेजी से सामने आ रहे हैं। बता रही हैं रमा बीजापुरकर

अगर आप भारत में उपभोग के विभिन्न प्रारूप के बजाय किसी एक ढर्रे पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उलझन की स्थिति पैदा हो जाती है। (क्या भारत में उपभोग के प्रारूप का आकलन करने का कोई और भी तरीका है?) उलझन तब और बढ़ जाती है जब आप देश के उपभोग के आधारभूत प्रारूप को आंतरिक तथ्यों के संदर्भ में नहीं देखते है। उपभोग का आधारभूत प्रारूप सकल आधार पर भारी भरकम दिखता है मगर इसमें औसत आय अर्जित और व्यय करने वाले लोग शामिल होते हैं। या फिर आपका ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि भारत की एक बड़ी आबादी का छोटा प्रतिशत दूसरे बाजारों की छोटी आबादी के बड़े प्रतिशत से कहीं अधिक है। यही कारण है कि भारत को ऊंची आय वाले लोगों की कम आबादी के बावजूद महंगे ब्रांड या महंगी कारों का दूसरा या तीसरा बाजार आसानी से माना जा सकता है।

इस समय कारोबारी जगत और मीडिया में हमारे उपभोग के प्रारूप को लेकर तीन समानांतर चर्चा चल रही हैं। पहली चर्चा लोगों के बीच लैंबॉर्गिनी खरीदने की बढ़ती चाहत और महंगी स्पोस्टर्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतारों के इर्द-गिर्द घूमती है। यह दिखाता है कि लोगों के पास 'बहुत अधिक पैसा' है। दूसरी चर्चा तिमाही नतीजों के निराशाजनक प्रदर्शन के इर्द-गिर्द घूमती है।

ये नतीजे उपभोग में 'के आकृति वाली असंतुलित वृद्धि', बड़े बाजार एवं ग्रामीण बाजारों के गायब होने और सफलता की एक नई रणनीति के रूप में 'महंगी वस्तुएं उतारने' का संकेत देते हैं। तीसरी चर्चा हाउसहोल्ड कंजम्प्शन एक्सपेंडिचर सर्वे (एचसीईएस) के नए आंकड़ों पर आधारित है। कुछ लोगों का कहना है कि इन आंकड़ों में पिछले 10 वर्षों में सुधार के आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर पेश किए गए हैं। वहीं, कुछ दूसरे लोग इस बात से हैरत में हैं कि आंकड़े इतने कम क्यों हैं। मगर इसके बावजूद वे यह सोचकर उत्साहित हैं कि व्यय में खाद्य पदार्थों पर होने वाले खर्च की हिस्सेदारी में तेजी से कमी आई है।

अब एचसीईएस के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मगर इसके बाद भी औसत आय के प्रमाण मिलते हैं। सर्वाधिक खर्च करने वाले शहरी भारतीयों में 5 प्रतिशत लोग उन परिवारों से ताल्लुक रखते हैं जो सालाना 11,24,000 लाख रुपये खर्च करते हैं (इससे परिवार का आकार बढ़कर 4.5 हो जाता है, यह अलग बात है कि धनी शहरी परिवारों का आकार छोटा होता है।) अब कुछ लोगों के तर्क से परे इसे बढ़ाकर 2.2 गुना कर देते हैं। 2.2 सरकार द्वारा दिया गया प्रति व्यक्ति निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) आंकड़ा है।

पिछले आय सर्वेक्षण की तरह ही शहरी एवं ग्रामीण भारत में समान आय आबादी की उपस्थिति का पता चला है। बाजार ने काफी पहले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में घटते अंतर का अनुभव कर लिया था। मीडिया, वस्तु, सड़क और अघोषित शहरों आदि की मदद से दोनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि अर्द्ध शहरी 'ररबन उपभोक्ता' सामने आ रहे हैं। एचसीईएस दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में निचले सिरे से 10 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में शीर्ष के 5 प्रतिशत थोड़े अलग हैं मगर बाकी बचे लोगों की आय लगभग मिलती-जुलती है। अब अंततः औसत आय अर्जित करने वाले उपभोक्ताओं के साथ एक बड़ी आबादी के लिए बाजार तैयार होने लगा है। सारणी में मध्यम वर्ग को परिभाषित करने वाले उत्साही लोग जहां भी उपयुक्त लगे वहां 'मध्यम वर्ग' की पहचान करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो चीज नहीं बदल रही है वह है दूसरे बाजारों की तुलना में औसत व्यय का स्तर।

हम फिलहाल मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) श्रेणी से पहचान किए जाने वाले परिवारों पर आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। कैंटार के आंकड़ों के अनुसार 40 लाख शहरी और 4 लाख ग्रामीण परिवार, जिनके पास कारें, वातानुकूलित मशीन (एयर कंडीशन) और लैपटॉप/पीसी हैं, वे एल5 में आते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित 11.4 करोड़ परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर, दोपहिया और कलर टीवी हैं, वे ज्यादातर एल2 से ताल्लुक रखते हैं।

यह बात भी दिलचस्प है कि एल4 में तुलनात्मक रूप से संपन्न लोगों के समूह दायरे में शहरी उपभोक्ताओं की तुलना में ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या लगभग दोगुना है। 10 करोड़ शहरी लोगों के ब्रिज क्लास एल3 पर कई बाजार विशेषज्ञ नजर रखते हैं और इनके लिए 'मामूली महंगा' (माइल्ड प्रीमियम) खंड तैयार करते हैं। (और अनुपयुक्त तरीके से इस पर बड़ा दांव अब एक बार फिर लैंबॉर्गिनी से जुड़ी चर्चा पर गौर करते हैं। भारत में एक वर्ष में 100 से अधिक लैंबॉर्गिनी बिकी हैं। इतनी ही अवधि में 2 लाख से अधिक मारुति स्विफ्ट बिकती हैं और सभी कारों की बिक्री का आंकड़ा जोड़ दें तो है 41 लाख तक पहुंच जाता है। लैंबॉर्गिनी ने दुनिया में 10,112 कारें बेची हैं और इस लिहाज से भारत में मौजूदा 100 का आंकड़ा निश्चित रूप से बड़ा है। मगर इस आंकड़े के इर्द-गिर्द उपभोग का सिद्धांत तैयार करना कहां तक उचित है? दूसरी अहम बात यह है कि भारत में बेची जाने वाली 41 लाख कारें भी 10 प्रतिशत धनी परिवार ही खरीदते हैं और उसके बाद आने वाले दस प्रतिशत परिवारों में यह खरीदी जाती है।

अंत में, अब मौजूदा चर्चा पर बहस करते हैं कि बड़े बाजारों में उपभोग का प्रदर्शन क्यों इतना बदतर रहा है। अगर भारत में पेशे से जुड़ी वास्तविकताओं (हुनर, शिक्षा, अनुमानित रोजगार बनाम अकेले या एक या अधिक लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले लोग) और कुछ पेशों पर कोविड महामारी के असर पर ईमानदारी से विचार किया जाए तो उत्तर स्पष्ट है।

हम अक्सर सुनते हैं कि आय का स्तर गिरने के बाद भी स्कूल फीस और किराये आदि पर होने वाले खर्च कम नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, निःशुल्क खाद्य वितरण और भविष्य को लेकर आशावादी रुख से लोगों की हालत जरूर सुधरी है मगर व्यय के विकल्प सख्ती के साथ तैयार हो रहे हैं। एल3, एल4 और एल5 में लगभग 20 करोड़ ठीकठाक उपभोक्ता (भारत का वास्तविक मध्यम वर्ग) हैं मगर ग्रामीण भारत में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 46 प्रतिशत है। एल2 में मास मार्केट मार्केटीयर सबसे अधिक दबाव का सामना करते हैं क्योंकि उपभोक्ता अपने बजट का पुनर्संतुलन कर रहे हैं और विभिन्न श्रेणियों में अपनी पसंद तय कर रहे हैं।

कंपनियां कह रही हैं कि महंगे उत्पाद तैयार करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये ऐसी कंपनियां हैं जो भविष्य में बदलने वाली परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति तैयार नहीं कर रही हैं। जब बड़े बाजार का दोबारा विकास होना शुरू होगा तब क्या उनकी बाजार हिस्सेदारी लगातार मजबूत होने वाले छोटे स्थानीय कारोबारियों के पास चली जाएगी?

(लेखिका ग्राहक आधारित कारोबारी रणनीति क्षेत्र में कारोबारी सलाहकार हैं।)

तकनीक, उम्र से जुड़े सवाल और केंद्रीय बैंकिंग

इन दिनों वित्त-तकनीक (फिनटेक) क्षेत्र तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में एक से एक नवाचार हो रहे हैं और वित्तीय सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में यह अहम भूमिका निभा रहा है। मगर हाल में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की सख्ती से इस क्षेत्र में हलचल मच गई है। मगर सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि फिनटेक क्षेत्र है क्या? वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के अनुसार 'फिनटेक वित्तीय सेवा खंड में तकनीक आधारित नवाचार है। यह नवाचार नए कारोबारी ढांचे, ऐप्लिकेशन, प्रक्रिया या उत्पादों को जन्म दे सकता है। ये प्रक्रिया या उत्पाद वित्तीय सेवाओं के प्रावधानों पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।' स्विटजरलैंड के बेसल में स्थित एफएसबी एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर निगरानी रखने के साथ समय-समय पर नए सुझाव देता रहता है। ट्रांसअटलांटिक केबल (1886) और फेडवायर (1918) ने अमेरिका में वित्त-तकनीक क्षेत्र के प्रथम चरण की शुरुआत की। इन दोनों ने टेलीग्राफ और मोर्स कोड जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रकम अंतरण की शुरुआत की। दूसरा चरण तब शुरू हुआ जब बार्कलेज ने 1967 में एटीएम की स्थापना की। कुछ वर्षों के बाद 1970 के दशक में सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरनेट फाइनैंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) ने एक देश से दूसरे देश के बीच बड़े स्तर पर रकम अंतरण को बढ़ावा देना शुरू किया। स्विफ्ट वित्तीय संस्थानों के बीच संवाद संधि या समझौता है।

बैंकिंग जगत के पटल पर डिजिटल बैंकिंग 1990 के दशक में आया। 1998 तक अमेरिका की बहु-राष्ट्रीय वित्तीय तकनीक कंपनी पेपाल ने दुनिया में नई भुगतान प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस तरह दुनिया ने ऑनलाइन प्रणाली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। यह सिलसिला लगभग एक दशक तक चलता रहा मगर फिर अमेरिका में निवेश बैंक लीमन ब्रदर्स होल्डिंग्स इंक के धराशायी होने के बाद फिनटेक की राह बदल गई। 2009 में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर बिटकॉइन और दूसरी आभासी मुद्राओं (क्रिप्टोकरेंसी) का चलन शुरू हुआ। इस बीच, स्मार्टफोन और स्टार्टअप इकाइयों की धमक बढ़ने से फिनटेक क्षेत्र में उत्पाद एवं सेवाएं नए सिरे से परिभाषित होने लगे। उन्होंने तथाकथित नव-बैंक या डिजिटल बैंक तैयार करने में मदद की और ग्राहकों का अनुभव बदल दिया। चीन और भारत इस क्रांति के अगुआ रहे हैं।

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2023 के बीच सात वर्षों की अवधि के दौरान भारत में स्टार्टअप इकाइयों की संख्या लगभग 300 से बढ़कर कम से कम 1,17,000 हो गई। इन इकाइयों ने 12.3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए। भारत में 10,224 फिनटेक कंपनियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों एवं खंडों में काम कर रही हैं। इस तरह, भारत फिनटेक तंत्र के विकास के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह उद्योग 14 प्रतिशत सालाना चक्रवृद्धि दर से विकास कर रहा है।

ये सभी नवाचार सुरक्षित रूप में ग्राहकों के अनुभव में बदलाव ला रहे हैं। वर्तमान में ब्लॉकचेन और ओपन बैंकिंग से इतर मशीन लर्निंग बैंकिंग और बीमा दोनों को दोबारा परिभाषित करने जा रही है। एकीकृत भुगतान प्रदाताओं के माध्यम से जिस तरह रकम संग्रह की जा रही है फिनटेक उसमें बदलाव ला रहा है।

मगर क्या फिनटेक क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए नियम-कायदे नहीं होने चाहिए? हाल में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मामले ने पूरे फिनटेक क्षेत्र को सकते में डाल दिया है। आरबीआई के कदम के बाद फिनटेक क्षेत्र की कुछ अग्रणी इकाइयों के संस्थापकों की प्रतिक्रियाएं भी चौंकाने वाली रही हैं।

एक भारतीय बहु-राष्ट्रीय फिनटेक कंपनी के संस्थापक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई की 'दंडात्मक' कार्रवाई से नाखुश हैं। उनके अनुसार आरबीआई के कदम से यह संदेश जा रहा है कि 'बैंक तो महत्त्वपूर्ण हैं मगर फिनटेक के महत्त्व को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस 41 वर्षीय संस्थापक ने कहा, 'आरबीआई में जो लोग कायदे तय कर रहे हैं उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष या इससे अधिक है। उनके पास बैंकों के तंत्र को संभालने का अनुभव है। मगर ऐसा लगता है कि किसी सधे 40 वर्ष के व्यक्ति, खासकर जो एक स्वतंत्र सोच रखता है, पर आरबीआई में बैठे इन लोगों को विश्वास नहीं है। इस समय जिस पेमेंट्स बैंक को लेकर बवाल खड़ा हुआ है उसके संस्थापक की उम्र 45 वर्ष है। फिनटेक क्षेत्र के इन युवा उद्यमियों को अपने विचार व्यक्त करने और 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों के काम-काज के तरीकों पर टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है। उन्हें नई पीढ़ी के लोगों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना करने का भी पूरा हक है। मगर फिनटेक इकाइयां कितनी ही बड़ी हों और उनका कितना ही भारी भरकम योगदान क्यों न हो मगर वे रकम के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले नियम-कायदों से ऊपर नहीं हो सकतीं। मगर इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सवालों के घेरे में खड़े पेमेंट्स बैंक का नवाचारों से क्या लेना-देना है? सवालों के घेरे में खड़े पेमेंट्स बैंक के प्रवर्तक फिनटेक में हैं, न कि उस बैंक में जिसे केवाईसी (नो योर कस्टमर) सहित अन्य अनियमितताओं के लिए दंडित किया गया है।

इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि फिनटेक क्षेत्र में नवाचार एवं नए प्रयोग तो होते रहेंगे। मगर यह भी सच है कि फिनटेक क्षेत्र में 40 साल के किसी व्यक्ति को केंद्रीय बैंक में बुजुर्ग मगर अनुभवी व्यक्तियों द्वारा तय किए जाने वाले नियमों को चुनौती देने की आजादी कभी नहीं होगी। यहां संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई 40 साल का उद्यमी अपनी महत्त्वाकांक्षा और तेजी से कारोबार बढ़ाने के लोभ से ग्रसित रहता है तो बुजुर्ग केंद्रीय बैंकरों के लिए ऐसे उद्यमियों को रास्ते पर लाना अनिवार्य हो जाता है।

एक बुजुर्ग बैंकर ने उस फिनटेक कंपनी का बहीखाता साफ सुथरा रखने में अहम भूमिका निभाई है जिसके संस्थापक केंद्रीय बैंकरों की उम्र से असहज महसूस करते हैं। इस पेमेंट्स बैंक के प्रवर्तक ने हाल में ही 70 वर्ष की उम्र पार एक व्यक्ति को नियुक्त किया है जिनका काम संचालन एवं मूल कंपनी से जुड़े नियामकीय मुद्दों को सुलझाना है। वह केंद्रीय बैंक के अधिकारी नहीं मगर एक दूसरे नियामक संस्थान में काम किया करते थे।

आपका पक्ष

ईएफटीए पर सावधानी आवश्यक

यूरोपीय देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते और उसके साथ 100 अरब डॉलर के अपेक्षित निवेश से भारत और यूरोपीय देशों के बीच निर्बाध व्यापार बहुत स्वागत योग्य और भविष्योन्मुख भारत के विदेशी व्यापार की अभूतपूर्व वृद्धि के लिए बड़ा कारक है। यूरोपीय देशों के लिए भी भारत सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक साझेदार है जो सहयोगी देशों के दोहन अथवा शोषण के बिना आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखता है। मुक्त व्यापार समझौतों में भी बहुत सतर्कता आवश्यक है वरना भारत के व्यापार खाते में व्यापार घाटा रहेगा जिससे अपना ही निवेश यूरोपीय देशों में फंसा रहेगा, वैसे ही जैसे चीन के साथ है। यूरोपीय देशों की सबसे बड़ी आवश्यकता पेट्रोलियम, अनाज, धातु, खनिज, रासायनिक उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष शोध, सॉफ्टवेयर सेवाएं आदि हैं

भारत और यूरोप के बीच सड़क मार्ग हो तो समुद्री मार्ग और उससे संबंधित बाधाओं और देरी से बचा जा सकता है

जबकि यूरोपीय देशों में दवाओं के पेटेंट और बड़े दवा निर्माता हैं जिनके जरिये हम चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। मुक्त व्यापार समझौतों के साथ व्यापार करने के लिए हम उन देशों में अपने विशाल वेयरहाउसिंग की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कोई बाधा न खड़ी हो। अगर यूरोपीय देशों में प्रवासी भारतीयों को भी भारतोन्मुख व्यापार में साझेदार बनाया जाए तो बेहतर होगा। भारत और यूरोप के बीच सड़क मार्ग हो तो दोनों देशों के बीच आवागमन में समुद्री मार्ग और उससे संबंधित बाधाओं और देरी से बचा जा सकता है। यूरोपीय यूनियन के भारत में मुख्य व्यापारिक महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद , चेन्नई, कानपुर, चंडीगढ़, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलूरु में काउंसलर सेवाएं उपलब्ध हों तो मुक्त व्यापार समझौते का भारत को भरपूर लाभ मिलेगा और यूरोपीय देशों के हित भी सध सकेंगे।

विनोद जौहरी, दिल्ली

एआई के सीमित इस्तेमाल पर विचार करने की दरकार

सरकार द्वारा कंप्यूटिंग क्षमता तैयार करने के लिए राष्ट्रीय एआई मिशन के तहत 10,371.92 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया गया है। इससे देश में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास तथा एआई से काम लेने की क्षमता का भी विकास हो सकेगा। आज कारखानों में रोबोटिक एआई से काम लिया जा रहा है जिसमें मानव जोखिम का खतरा कम होने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में तेजी आई है। एआई सिर्फ एलेक्सा के गाने सुनने तक ही सीमित नहीं है। एआई का इस्तेमाल हर क्षेत्र में किया जा रहा है। मनोरंजन क्षेत्र से लेकर मीडिया तक में उत्पादन से लेकर बिक्री तक एआई का इस्तेमाल हो रहा है। समाचार चैनलों में एआई से एंकरिंग भी कराई जा रही है। तकनीक मानव जीवन के कार्यों को आसान तो बनाती है लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की हो सकती है। मशीनों से काम कराने से मानव श्रम पर असर पड़ सकता है और बेरोजगारी दर बढ़ सकती है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत में युवा रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए एआई के सीमित इस्तेमाल पर विचार करने की आवश्यकता है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के बालासोर से 'मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल ' (एमआईआरवी) प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेश में विकसित अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 12 मार्च 2024

बैंक को हिदायत

चुनावी बॉन्ड से जुड़े फैसले पर अमल के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ढीले-ढाले रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने बेहद कड़ा, मगर जरूरी संदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड से जुड़े डीटेल्स जारी करने पर लंबा वक्त देने की SBI की गुजारिश न केवल खारिज कर दी, बल्कि उसके रुख पर सवाल करते हुए उसे आगाह भी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

गलत संदेश | यह पूरा मसला चुनावी बॉन्ड स्कीम से जुड़ा है, जिससे संबंधित प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए अपने फैसले में असंवैधानिक करार दिया था। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को निर्देश दिया था कि 12 अप्रैल 2019 के बाद से हुई चुनावी बॉन्ड की खरीद से जुड़े डीटेल्स 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमिशन को सौंप दे। ऐसे में लगभग इस पूरी अवधि के निकल जाने के बाद SBI सुप्रीम कोर्ट के पास 30 जून तक का वक्त देने का अनुरोध लेकर आया।

बैंक की दलील | आज की तारीख में जब टेक्नॉलजी इतनी आगे बढ़ी हुई है, तब देश के सबसे बड़े बैंक को एक खास स्कीम के तहत हुए लेन-देन के डीटेल्स निकालने में इतना वक्त लग जाएगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। SBI ने दलील दी कि बॉन्ड खरीदने और उसे छुड़ाने से जुड़ी सारी सूचनाएं तो उपलब्ध हैं, बस कन्फ्यूजन यह था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक क्या बॉन्ड को ग्रहणकर्ता के नाम के साथ मिलाकर देखना भी जरूरी है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें सूचनाएं चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश था, उन्हें मिलाकर देखने को कहा नहीं गया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बैंक की इस दलील को नहीं माना।

कड़ी फटकार | शीर्ष अदालत ने अगले दिन यानी 12 मार्च को कामकाज समाप्त होने से पहले तक सारे डीटेल्स चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश देते हुए यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बैंक अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना करने का मामला चलाया जा सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक को सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की फटकार सुनने को मिले, यह कोई छोटी बात नहीं है।

समय पर कार्रवाई | दरअसल, चुनावी बॉन्ड से जुड़ा यह मामला देश की चुनाव प्रक्रिया की शुचिता से संबंधित है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में सभी संबंधित पक्षों से यह अपेक्षा थी कि फैसले के शब्दों और उसकी भावनाओं को समझते हुए इस पर पूरी गंभीरता से अमल सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। अफसोस की बात है कि SBI इस मामले में उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, लेकिन राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गड़बड़ी को दुरुस्त करने में देर नहीं लगाई।

धूप-छांव

नयनों में सपना

प्रणव प्रियदर्शी

दुनिया बदलने के इंतजार में जिंदगी गुजार देने वाले लोग भी अक्सर यह महसूस नहीं कर पाते कि उनके देखते-देखते दुनिया कितनी बदल चुकी है। अपने आसपास नजर डालें तो जो बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे थे, उंगली थामकर चलते थे, अब अच्छे-खासे बड़े हो गए हैं। वे अपनी एक सोच विकसित कर चुके हैं, महत्वाकांक्षा पाल रहे हैं। यह पूरी दुनिया में, हर घर में हुआ है। न घर के हालात पुराने जैसे रहे, न बाहर का परिवेश पहले वाला रहा।

आलम यह है कि अगर थोड़ा सा भावुक और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होने की इजाजत दें खुद को तो अपने आपको अजनबी की तरह महसूस करने लगेंगे। एक बार सोच कर देखिए कितने ओजस्वी और ऊर्जावान चेहरे थे इर्दगिर्द कुछ दशक पहले तक। कहां गया उनका वह उत्साह, वे सपने, यह भाव भी आता है मन में। लेकिन उसी उत्साह, उन्हीं सपनों के बल पर उन्होंने इतने साल गुजारे। वक्त का इतना लंबा सफर तय किया। तो क्या वह उत्साह, वे सपने खर्च नहीं होंगे? सो खर्च हुए। लेकिन वे भी समाप्त कहां हुए हैं! बस रूप बदला है उनका। जिस उत्साह और जिन सपनों में तथ्यों का, दुनियादारी का बिल्कुल अभाव था, उनमें जिंदगी ने अनुभव का घोल मिलाया है थोड़ा सा। जिंदगी इतना भी न करे तो फिर उसके होने का मतलब ही क्या रह जाएगा भला। सो उसने अपना काम पूरी शिद्दत से किया है।

अगर हम जिंदगी के दिए इन अनुभवों से सही सीख लेकर उसकी उचित मात्रा अपने सपनों में नहीं घोल पाए तो इसमें जिंदगी का क्या कसूर? यह तो हमारा काम है। जी हां, अनुभव काफी नहीं, उस अनुभव से हम क्या सीख हासिल करते हैं यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वरना एक बड़े लेखक चेता गए हैं कि अपने लाखों साल के अनुभव से कछुए ने यही सीखा है कि रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। तो अपने अनुभव से मिली सीखों को निकाल कर उसे देख-परख कर, उसकी उपयोगिता जांच कर और अगर जरूरत पड़ी तो उसमें कुछ अहम संशोधन लाकर, उसे नए सपनों में मिलाने का एक बड़ा काम हमारे ही कंधों पर है। अब यह नया लोचा है, नए सपने। नए सपने कहां से लाए जाएं? जो सपने थे, वे तो अपनी आभा खो चुके हैं। लेकिन खास बात यही है कि सपने कभी पुराने नहीं पड़ते। हां, अनदेखा किए रहें तो वक्त की धूल जरूर जम जाती है उन पर। लेकिन धो-पोंछ कर साफ कर दिया जाए तो उनकी चमक लौट आती है। और अगर सपने झिलमिलाने लग जाएं तो आंखों में उत्साह तो उसके साइड इफेक्ट से ही भर आता है।

एक और बात है जरूरी। जो कल तक बड़ों की उंगली थामे चल रहे थे, अब अपनी राह पर कदम बढ़ाने को मचल रहे हैं, जरा उनकी आंखों में भी तो झांकिए कभी। वहां कैसे सपने हैं। उन झिलमिलाते सपनों में अनुभव का घोल, समय रहते, कौन भरेगा?

बोल वचन

बरकत का महीना

राहुल पाण्डेय

आज से माह-ए-रमजान शुरू है। यह आध्यात्मिक बरकत का महीना है। इस महीने खुदा की बंदगी करने वाला हर शख्स ताउम्र बरकत पाता है। बहुत से लोग रमजान को रमादान भी कहते हैं। रमादान अरबी शब्द है, ठीक वैसे ही, जैसे कि बरकत भी एक अरबी शब्द है। रमादान को तो हम भारतीय अभी तक उतना जज्ब नहीं कर पाए हैं, मगर बरकत शब्द हमने अपनी जिंदगी में कुछ यूं जज्ब किया है कि अरब वाले भी इसके तरह-तरह के प्रयोग देखें तो पनाह मांगें। बरकत, यानी सिर्फ बढ़ोतरी नहीं, बल्कि शुभ के साथ बढ़ोतरी। इंग्लिश में वैसे तो इसके लिए blessing जैसा शब्द है, मगर बरकत के ढेर सारे अर्थों के आगे अंग्रेजी का blessing पानी भरता नजर आता है। Blessing आशीर्वाद है और बहुत ज्यादा है तो ईश्वर कृपा है। वहीं, बरकत सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है। यह सौभाग्य है, प्रसाद है, कृपा है, उन्नति है और कल्याण भी है। बरकत बस यहीं तक रह जाए तो बरकत कैसी? बरकत वो घलुआ है, जो सब्जी खरीदने के बाद फ्री के धनिया-मिर्च के रूप में भी मिलता है। किलो भर आलू में बढ़ी सौ ग्राम आलू है, जो दुकानदार और अधिक बिक्री की आस में चढ़ाता है। तराजू में बाट रखने वाले पलड़े की लत्ती से लटका अतिरिक्त पचास ग्राम का जो पसंगा दिखता है, वही तो है बरकत। बरकत वह अतिरिक्त अन्न है, जिसके लिए कभी कबीर दास ने कहा था- साईं इतना दीजिए, जा मे कुटुम समाय। मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाय। यानी बरकत वो भोजन भी है, जो जरूरतमंद के काम आता है। वैसे बरकत इससे ऐन उलट अर्थ भी रखता है। लखनऊ की ओर कई पुराने रिवाज के घरों में कुछ भी खत्म होता है तो लोग यह नहीं कहते कि चावल खत्म हो गया या दाल। खत्म होना कहना अशुभ माना जाता है। वे कहते हैं आजकल घर में दाल या चावल की बरकत है। क्या एक blessing इतने सारे अर्थ दे सकता है?

AI Image

रूस-यूक्रेन और इस्राइल-गाजा जंग का फिलहाल तो कोई हल निकलता नहीं दिख रहा

दुनिया में चल रहे युद्ध से क्या सीखे भारत

हर्ष वी पंत

AI Image

युद्ध लड़ना अपने आप में घृणित काम है। यह अपने साथ जो राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक गिरावट लाता है, उसे समझना उन लोगों के लिए मुश्किल होता है, जो उसे दूर से देख रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए युद्ध महज एक ऑडियो-विजुअल एक्सपीरिएंस होता है जिसे अक्सर वे उसके राजनीतिक और सामरिक संदर्भों से अलग, मनोरंजन के एक साधन के रूप में लेते है। विकसित देशों के एक बड़े हिस्से के साथ अभी हाल तक यही बात लागू होती थी। उसे लगता था कि युद्ध सुदूर इलाकों में ही लड़े जाते हैं, जिनका उसकी रोजाना की जिंदगी से सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं होता। इस हिस्से के लिए मौजूदा दौर हकीकत का एक नया अहसास लेकर आया है।

मैक्रां का प्रस्ताव | अभी यूरोप, यूक्रेन पर रूसी हमले की चुनौती से निपटने का सही तरीका खोजने की कोशिश में लगा है। जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां ने हाल में सुझाव दिया कि यूक्रेन में सेना भेजने पर आम सहमति भले न बनी हो, लेकिन कोई भी विकल्प छोड़ा नहीं जाना चाहिए तो इस पर बेहद तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं, न केवल रूस की ओर से बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की ओर से भी।

सेना नहीं भेजेंगे | अमेरिका ने तत्काल साफ कर दिया कि जीत के लिए सैन्य सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है। इसलिए यूक्रेनी सेना को वे सारे हथियार और गोले बारूद मुहैया कराए जाते रहेंगे, जो उसे बचाव करने के लिए चाहिए। लेकिन 'अमेरिका यूक्रेन में लड़ने के लिए अपनी सेना नहीं भेजने जा रहा।' ब्रिटेन ने भी कहा कि उसके कुछ सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उशके अलावा यूक्रेन में सैन्य तैनाती की उसकी योजना नहीं है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने भी दोहराया कि कोई भी यूरोपीय देश या नैटो सदस्य देश यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा।

रूस का पलड़ा भारी | यूक्रेन युद्ध में यह एक नाजुक पल है जब दो साल की भीषण लड़ाई के बाद मैदान में रूस का पलड़ा भारी लग रहा है। पिछले कुछ सप्ताह में उसे कुछ बढ़त हासिल हुई है, हालांकि इस बढ़त के मायनों पर आम राय नहीं है। पूतिन को लग रहा है कि अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण और यूरोपीय देशों में जनता के असंतोष को देखते हुए उन्हें सिर्फ थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। दूसरी तरफ पश्चिम अभी भी ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश ही कर रहा है, जो विश्वसनीय ढंग से यह संदेश दे सके कि वह यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है और खड़ा रहेगा, भले ही आर्थिक और राजनीतिक लागत बढ़ जाए।

ब्लॉक किया बयान | कुछ ही दिन पहले हंगरी ने यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल का यूक्रेन के लिए 'अडिग' समर्थन का वादा करने वाला एक बयान ब्लॉक कर दिया। ऐसे में मैक्रां का यह कहना मायने नहीं रखता कि 'रूस का हारना यूरोप की सुरक्षा और स्थिरता के लिहाज से जरूरी है।' यह स्पष्ट नहीं है कि पश्चिम के पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त साधन हैं या नहीं। मगर रूस के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह खुद अपने संसाधनों के बल पर यह युद्ध लड़ रहा है।

जंग कोई हल नहीं, अपने आप में समस्या
- यूक्रेन के समर्थक देश थकने लगे हैं
- इस्राइल की कार्रवाई से मानवीय संकट
- यूक्रेन के सहयोगी देश नहीं भेजेंगे फौज
- भारी पड़ रही दूसरे देशों पर निर्भरता

इस्राइल-हमास जंग | दूसरा युद्ध जो मध्य पूर्व में चल रहा है, उसमें भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के इस दावे के बावजूद कोई हल निकलता नहीं दिख रहा कि उन्हें अगले सप्ताह तक युद्धविराम होने की उम्मीद है। यह युद्ध तब शुरू हुआ, जब पिछले अक्टूबर में हमास के आतंकी हमले में करीब 1,200 लोगों के मारे जाने के बाद इस्राइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए। अब स्थिति यह है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस्राइली कार्रवाई से उत्पन्न मानवीय संकट पर टिका है।

इस्राइल पर दबाव | इस्राइली सेना की रणनीति को लेकर शुरू से विवाद रहा है। उसकी कार्रवाई ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। वह हमास को कुछ नुकसान पहुंचाने में भी सफल रहा है। लेकिन नेतन्याहू सरकार गाजा के भविष्य के मद्देनजर शासन और पुनर्निर्माण की कोई वास्तविक सुसंगत योजना पेश नहीं कर सकी है। इस्राइल सीरिया, इराक और यमन में हमास, हिजबुल्ला और ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स के हमलों से जूझ रहा है। वह एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जाहिर है, ऐसे में तनाव बढ़ने और युद्ध फैलने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन पर भी घरेलू राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है कि इस्राइली बलों पर लगाम लगाई जाए।

युद्ध से सबक | यूक्रेन और इस्राइल दोनों युद्ध रणनीति के लिए काफी हद तक बाहरी समर्थन पर निर्भर हैं। दोनों ही मामलों में हताहतों की संख्या पश्चिम के समाज और राजनीति को गहरे प्रभावित कर रही है, जबकि दूसरे पक्ष को ऐसी कोई चिंता नहीं है। मतलब यह कि यूक्रेन और इस्राइल दोनों ही अपने लक्ष्यों, संसाधनों और साधनों में तालमेल नहीं बिठा पा रहे। सुसंगत रणनीति की यही कमी है जो ताकतवर पड़ोसी द्वारा अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन झेल रहे और अपने नागरिकों पर बर्बर आतंकी हमला देख चुके इन देशों को दबाव में डाले हुए है। यह उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय नीति-निर्माता और सैन्य योजनाकार अंतहीन से दिखते इन युद्धों से सही सबक ले रहे होंगे।

(लेखक इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज में प्रफेसर हैं)

अपुन को भी आएगा उस शादी का इनविटेशन

तेरेकू क्या मालूम, हम बड़े लोगों के फंक्शंस के बारे में। तीन महीने पहले तूने कभी देखा है शादी का फंक्शन? इतने सारे वीआईपी गेस्ट कभी देखें हैं इससे पहले किसी की शादी में?

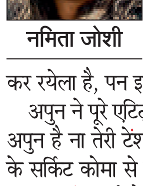
नमिता जोशी

AI Image

भेजा फ्राई

एक वीक हो गयेला है, सर्किट ऐसे मुंह लटका के बैठेला है जैसे पेड़ पे लटका नारियल। मालूम नहीं कब टपक जाए। अपुन ने पूछ डाला, क्या हुआ सर्किट? तेरा थोबड़ा आज बिल्कुल तेरी आधार कार्ड वाली फोटो से मैच कर रयेला है। सर्किट मुंह पे टेप लगा के बैठेला है मुन्ना भाई, चम्मन चिरकुट की आवाज आई। अपुन भी इससे यईच सवाल कर रयेला है, पन इसके मुंह की सिलाई उधड़ ही नहीं रही।

अपुन ने पूरे एटिट्यूड में पूछा, बोल सर्किट क्या प्रॉब्लम है? अभी अपुन है ना तेरी टेंशन दूर करने के वास्ते। अपुन का इश्टाइल देख के सर्किट कोमा से बाहर आया और बोला, क्या बताऊं मुन्ना भाई, अपुन अनंत भाई से नाराज चल रयेला है। हैं? ये अनंत भाई किदर से आ गया अपुन के एरिये में? सर्किट बोला, अरे वो कोई वैसा वाला भाई की बात नहीं कर रयेला है अपुन। अनंत भाई बोले तो अपुन का दोस्त अनंत अंबानी। उसकी शादी से पहले वाले फंक्शन हो रयेले थे। अपुन ने भी सामान पैक किएला था। पन अभी तलक अपुन कू इनविटेशन कार्ड नहीं आयेला है।

ये सुन के चिरकुट कुंभकर्ण के माफिक दहाड़ के हंसने लगा। बोला, भाई तुम खाली-पीली अपुन का नाम चिरकुट रख दिया। ओरिजिनल चिरकुट तो अपना सर्किट है। अनंत अंबानी तेरे कू काइकू इनविटेशन देगा रे?

चिरकुट की बात सुन के सर्किट का भेजा सटक गया, बोला- तेरा नाम चिरकुट नहीं कचरा होना चाहिए। तेरेकू क्या मालूम हम बड़े लोगों के फंक्शंस के बारे में? अपुन अनंत भाई के काफी क्लोज रहा है। तू देख लेना अपुन वाला इनविटेशन आने ही वाला होगा।

सर्किट के थोबड़े की लाइट टिमटिम जलती देख अपुन कू भोत तरस आया। बेचारा कइसे वेट कर रयेला है इनविटेशन का। अच्छा सर्किट, ये तो बता तू अनंत भाई के क्लोज कब रहा था? तू तो अपुन का राइट हैंड है बचपन से। तू एंटीलिया की साइड कब गया? अब सर्किट थोड़ा ऑफेंड हो गया। बोला, क्या भाई तुम अपने सर्किट पर डाउट करते हो। ईशा दीदी की शादी में जब उनके घर के बाहर लंगर लगा था, याद है तुमको? अपुन गया था उदर खाने तो अनंत भाई भोत क्लोज हो के निकला था अपुन के सामने से। उन्होंने दो कुलचा भी सर्व किया था अपुन कू उस दिन। तब से अपुन ने दिल ही दिल में अनंत को भाई बना लिया था। तुम देखना उनका इनविटेशन आएगा अपुन को भी। देखा नहीं रील्स में, बॉलिवुड, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर हर जगह से उनके जानने वाले आएले हैं जामनगर में।

अब सर्किट का हाल अपुन से देखा नहीं गया। सोचा कइसे भी करके अब तो सर्किट का इज्जत बचाना मंगता है। चिरकुट बोला, मुन्ना भाई टेंशन नही लेने का। तुम देखो, अपुन कइसा इलाज करता है सर्किट का। अक्खा फ्यूज ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह चिड़िया के माफिक चहकता हुआ आया। मुन्ना भाई, अपुन बोला था ना इनविटेशन आएगा अपुन कू भी। देखो आ गया लिफाफा। आगे के फंक्शन के लिए जरूर अपुन कू भी इनवाइट किएला होगा अनंत भाई। सर्किट की खुशी देख के अपुन खुश तो बहुत हुआ पन अपुन कू मालूम था चिरकुट ने कुछ तो खुराफात जरूर किया होएंगा।

अच्छा सर्किट, खोल ना अपना इनविटेशन लेटर, कब जाने का है तेरेकू? अपुन ने सर्किट से पूछा तो वो बोला भाई तुम अपुन का लकी चार्म है, तुमइच खोलो। अपुन ने लेटर खोला तो अंदर लिखेला था, सारे फंक्शन खल्लास हो गयेले हैं, सर्किट तुम जल्दी आ जाओ टेंट उखाड़ के लपेटने का काम करने का है। अभी अपुन कू समझ नहीं आ रयेला है सर्किट को पढ़ के बताऊं कि नहीं।

मुंबइया स्टाइल में मुन्ना और सर्किट का ये भेजा फ्राई आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय लिखकर भेजिए इस मेल आईडी पर **nbtreader@timesgroup.com** और सब्जेक्ट मे लिखे-**'भेजा फ्राई'**

BJP की उलझन

बिहार में BJP के साथ JDU आई तो इसे NDA के लिए बड़ी सफलता माना गया। लेकिन इसके साथ ही BJP के लिए एक परेशानी भी आई। अब पार्टी की दिक्कत यह है कि वह अपने पुराने सहयोगी चिराग पासवान को किस तरह मनाए। दरअसल, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार जुबानी हमला करते रहे हैं। नीतीश कुमार के NDA में आने के बाद भी चिराग के तेवर में नरमी नहीं आई है।

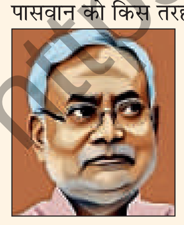

अब BJP के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। पहली तो यह कि उसे सीटों का समझौता करना है। इसमें पेच है कि नीतीश कुमार अपनी सीटों की संख्या में किसी तरह की कटौती के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ, चिराग पासवान भी अपनी सीटों से दावा छोड़ने को राजी नहीं हैं। इन हालात में बीच का रास्ता निकालना आसान नहीं होगा। रास्ता निकालना इसलिए भी कठिन हो चला है कि महागठबंधन ने मौका देखकर चिराग पासवान को अच्छी-खासी सीटें देने का ऑफर दे रखा है। दूसरी चुनौती इसी से जुड़ी है। दरअसल, महागठबंधन के ऑफर के बाद चिराग ने अपनी शर्तें और कड़ी कर ली हैं। साथ ही, यह संदेश दे दिया है कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गईं, तो भले वह विपक्षी गठबंधन का हिस्सा न बनें, लेकिन वह 2020 की कहानी फिर दोहरा सकते हैं, जब उन्होंने अलग से चुनाव लड़कर JDU को बहुत नुकसान पहुंचाया था।

विशुद्ध राजनीति
पॉलिटॉक

मोदी का सख्त संदेश

आम चुनाव से पहले 3 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। इसमें लगभग छह घंटे मंथन चला। यह चुनाव की घोषणा से पहले मंत्रियों के साथ अंतिम मीटिंग थी। पीएम मोदी ने इसमें मंत्रियों को आम चुनाव से पहले और चुनाव बाद की अपेक्षाओं के बारे में बताया। इसमें उन्होंने बयानवीर नेताओं को भी हिदायत दी। चुनाव के दौरान किस तरह के बयान से बचना है और कैसे विवादों से खुद को दूर रखना है, उस बारे में उन्होंने मंत्रियों को तफसील से जानकारी दी। पीएम मोदी ने कुछ मिसाल देकर यह भी बताया कि कैसे कुछ नेता कुछ विवादित बयान देने को आतुर रहते हैं, जिससे मूल बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती। सूत्रों के अनुसार, इस सिलसिले में उन्होंने खासकर दो नेताओं की मिसाल दी। पीएम मोदी ने उनके कुछ पुराने बयानों की याद दिलाई और बताया कि इनसे पार्टी को कैसे नुकसान हुआ। कहीं न कहीं मोदी ने परोक्ष रूप से यह भी संदेश दिया कि अगर तीसरे टर्म में पार्टी सत्ता में आती है तो मंत्रिमंडल में चयन का आधार सार्वजनिक मंच पर नेताओं का व्यवहार भी होगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कुछ नेताओं का टिकट काटकर भी पार्टी ने यही संदेश दिया था।

चार सौ के पार

नरेंद्र मोदी की अगुआई में BJP ने इस बार लोकसभा चुनाव में NDA के लिए 'अबकी बार-400 पार' का नारा दिया है। पार्टी के नेता इस नारे को प्रोमोट भी कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी हर सभा में यही नारा लगा रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि इस नारे की बदौलत BJP ने विपक्ष पर पहले ही मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। BJP नेताओं का मानना है कि अब कोई उनकी जीत पर संदेह नहीं कर रहा है, बल्कि बहस इस पर केंद्रित हो गई है कि क्या NDA 400 पार कर रहा है? एक BJP नेता ने हल्के अंदाज में कहा कि अब अगर वे 350 सीट भी जीत पाते हैं तो विपक्ष उसे अपनी जीत बताएगा और उनके लिए भी यह बड़ी जीत का सबब होगा। मतलब, सब खुश रहेंगे।

ममता की मर्जी

पश्चिम बंगाल में आखिरकार TMC-कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ। TMC ने एक साथ राज्य की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया। इसके बाद पूछा जा रहा है कि गठबंधन क्यों नहीं हुआ? TMC सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने जानबूझकर गठबंधन नहीं किया। वह चाहती हैं कि कांग्रेस राज्य में पूरी ताकत से चुनाव लड़े। इसके पीछे उनका अपना सियासी गणित है। ममता को पता है कि कहीं न कहीं उनकी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी है और BJP उसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में TMC को लगता है कि अगर कांग्रेस से गठबंधन हो जाता तो उनका सारा विरोधी वोट एकमुश्त BJP को मिलता। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है तो TMC विरोधी वोट बंट जाएंगे। इससे ममता की पार्टी को लाभ हो सकता है। वैसे इसका दूसरा पहलू भी है। अगर मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम वोट बंट गए, तो फायदा BJP को होगा।

क्यों अटका BJP-BJD अलायंस

ओडिशा में BJP और BJD के बीच गठबंधन होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। एक समय तो लग रहा था कि दोनों पार्टियों के बीच समझौते की शर्तों पर सहमति बन चुकी है और अलायंस की घोषणा होने ही वाली है। लेकिन यह अंदाजा गलत निकला। बाद में सूत्रों के हवाले से खबरें आईं कि गठबंधन की राह में कुछ बाधाएं बनी हुई हैं। दरअसल, दोनों दलों के अंदर एक वर्ग इस गठबंधन को लेकर बहुत सहज नहीं है। एक नेता ने कहा कि BJD के अंदर एक वर्ग BJP विरोधी है, तो BJP के अंदर एक वर्ग BJD विरोधी है। ऐसे में गठबंधन से पहले दोनों दलों के शीर्ष नेताओं को अपने-अपने दलों के इस गुट के नेताओं को मनाना है। पहले दोनों दलों के नेताओं को लगा कि यह प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन जैसे ही गठबंधन की बातचीत अंतिम चरण में पहुंची, समस्या अधिक गंभीर लगने लगी। खासकर BJD के कई नेता अधिक असहज थे। इसके बाद BJD की ओर से BJP को गठबंधन के लिए कुछ शर्तें दी गईं। इन शर्तों को देखने के बाद BJP के नेता अधिक असहज हो गए। हालांकि दोनों दलों में यह बात कही जा रही है कि अगर नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक खुद बात करके कोई फैसला लें तो उसे सभी स्वीकार कर लेंगे।

AI Images

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ लोकतंत्र के हित में

9 मार्च का संपादकीय 'असहमति का अधिकार' पढ़ा। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद से ही विभिन्न पार्टियों ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना गलत है। उनके मुताबिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर मोदी सरकार का यह कुठाराघात है। ऐसे में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक और फैसला दिया। उसमें कहा गया है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को इस फैसले के विरुद्ध अपनी असहमति जताने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा और उसे सही दिशा प्रदान करेगा। इससे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होगी।

वारिस अली खान, ईमेल से

■ शौक है सेल्फी

यह पत्र 27 फरवरी को 'भेजा फ्राई' कॉलम में प्रकाशित लेख 'सेल्फी के चक्कर में सेल्फ रिस्पेक्ट का फालूदा' से संबंधित है। लेख में एक करेक्टर है चम्मन चिरकुट। उसके बारे में मुन्ना भाई बताता है, 'अपुन के पूछने के पहले ही चम्मन चिरकुट बोला, भाई इसको सेल्फी मेनिया हो गयेला है।' कोई दर्शनीय स्थल है तो वहां की सेल्फी, किसी सिलेब्रिटी के साथ खड़ा होने का मौका मिल गया तो सेल्फी। लेकिन ये जो सेल्फी है, कोई मेनिया-वेनिया नहीं है। दिखने और दिखाने का शौक भी कोई चीज होती है। और जब बड़े से बड़े लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो ये शौक पूरा करने में हर्ज ही क्या है? फिर वह पल यादगार भी बन जाता है।

रुद्र कुमार राय, ईमेल से

■ महिलाओं का सम्मान

महिला दिवस, यानी 8 मार्च के लेख 'हर औरत को मिले सपना पूरा करने का मौका' में बिलकुल सही कहा गया है कि पुरुषों की बराबरी का दर्जा आज भी महिलाओं को नहीं मिल पाया है। इस दिशा में समाज काम जरूर कर रहा है लेकिन यह प्रक्रिया काफी धीमी है। महिलाओं के प्रति लोगों को अपनी मानसिकता में बदलाव करना होगा और इसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। बेटा हो या बेटी, दोनों के प्रति समान व्यवहार से ही यह सफल हो पाएगा।

हितेंद्र डेढा, चिल्ला गांव

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

अधीर के सामने क्रिकेटर यूसुफ पठान की चुनौती- एक खबर

देखना होगा अब अधीर बाबू की पिच पर पठान बोल्ड होते हैं या सिक्स मारते हैं।

कपिल त्यागी

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

दूसरों का दुख दूर करने वाले बनो, न कि बढ़ाने वाले

हफीज किदवई

मुकद्दस महीने ने दस्तक दे दी है। पाकीजगी और रूहानियत से भरे रमजान के महीने का सभी को शिद्दत से इंतजार रहता है। इस्लामी महीनों में इस महीने को बहुत ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। इसका स्वागत उसी तरह होता है, जैसे कि कोई खास मेहमान हमारे घर पधारता है। यह मेहमान अपने साथ उम्मीद, बरकत, इज्जत, सुकून, कामयाबी और मोहब्बत के उपहार लेकर आता है। कहा जाता है कि जो इसके महत्व को समझता है, वह दूसरों का दर्द जरूर समझता है।

रोजे और इबादत सिर्फ भूखे-प्यासे रहने का नाम नहीं है। हमारे बीच से बहुत से लोग सालभर दुख-तकलीफ झेलते हैं, पर बतलाते नहीं हैं। यह उनकी अनकही दुख-तकलीफों को भी महसूस करने का वक्त है। जिसे आराम से पानी न नसीब हो, उसकी प्यास की अहमियत रोजे बतलाते हैं। ये आपको इंसान बनने की ओर ले जाते हैं, जो दुनिया भर की बराबरी के लिए जरूरी कदम है। इस माह को रूहानियत का महीना यानी आध्यात्मिक महीना कहा गया है। आप रोजा रखते हैं, उसका मतलब सिर्फ भूखे-प्यासे रहना नहीं है। यह रोजा बुराई के विरोध का है। अन्याय, पाप, अश्लीलता, कड़े वचन के विरुद्ध यह रोजा है।

रोजा सिखाता है कि हम सभी बराबर हैं। हममें कोई छोटा, कोई बड़ा, अमीर-गरीब नहीं है। पूरे साल जो हम इस तरह की बातें सोचने की गलती करते हैं, उसे सुधारने का एक मौका है रोजा। एक तरह से यह ट्रेनिंग का महीना है, जिसे पूरा कर हम सालभर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। कहते हैं, इसी महीने में ही पवित्र कुरआन धरती पर आई थी। यह ईश्वर के संदेशों का ऐसा संग्रह, जिसमें मानवता के लिए एक रास्ता है। ऐसा रास्ता जिसमें बराबरी और भाईचारा समझना सिखाया गया है। वैसे रोजा त्याग का प्रतीक है। धरती पर जितने भी धर्म हैं, सबमें किसी न किसी रूप में रोजे हैं। सभी धर्मों में भोजन, जल के साथ दुर्विचारों का त्याग करने और संयम तथा शांति से जीने की प्रेरणा शामिल है।

यह महीना कहता है, दिल में करुणा पैदा करो, त्याग को अपनाओ। दूसरे के दुखों को समझो और उसे दूर करने वाले बनो न कि उसके लिए दुख पैदा करने वाले। यह सबक देता है कि खुलकर अपनी हैसियत से भी ज्यादा लोगों की मदद करो। ईश्वर मदद करने वालों से खुश होता है। इसी कारण इस महीने में दान देने की बहुत अहमियत है। इस पवित्र महीने का एक हिस्सा जकात भी है। यानी वह राशि जो आप की सालभर की कमाई से गरीब और कमजोर लोगों के लिए निकाली गई हो। यह समय साल भर में अर्जित अच्छी चीजें, चाहे वह धन हो या कुछ और, उसे दूसरों में बांटना सिखाता है। यह दिखावे के विरुद्ध सादगी का भी महीना है।

बहुत ऊंचे सूफी संत या आध्यात्मिक व्यक्ति पूरे वर्ष रोजा रखते हैं। यह उनके अंदर की रूहानी ताकत है, पर आम इंसान क्या करे। आम इंसानों के लिए उतना ही ऊंचा रूहानी मर्तबा हासिल करने की चाबी है यह महीना। आप पूरे साल सांसारिक कामों, उलझनों में व्यस्त रहते हैं। यह महीना पूरे साल में आपको मौका देता है कि खुद को निखारो, इतना तराशो कि पूरे साल दमकते रहो। खुद को अध्यात्म की वेदी पर ऐसे चढ़ाओ कि पूरे साल तुम्हारी खुशबू संसार को महसूस हो। यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर झांकने का मौका देने वाला महीना है। यह खुद को निखारकर ऊंचा करने का महीना है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए, राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

ममता दी की अपनी अलग चाल

प. बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता दीदी द्वारा अपनी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किये जाने के बाद विपक्षी गठबन्धन इंडिया की हालत ऐसी 'रेलगाड़ी' जैसी हो गई है जिसमें बैठे सभी यात्री एक-दूसरे से पूछ रहे हैं कि यह गाड़ी कहां जायेगी? एक जमाना था जब सभी विपक्षी दलों का गठबन्धन बनने पर ममता दीदी इसकी नेता के रूप में निरूपित की जा रही थीं औऱ आज यह हालत हो गई है कि वह स्वयं को सभी व्यावहारिक मामलों में इंडिया गठबन्धन से अलग रखकर कदम उठा रही हैं। बेशक राज्य में इंडिया गठबन्धन के तृणमूल कांग्रेस के अलावा अन्य घटक दलों की कोई ताकत नहीं है और 42 में 22 सीटें ममता दी की पार्टी के पास हैं व कांग्रेस के पास दो सीटें हैं जबकि 18 पर भाजपा का कब्जा है। भाजपा ने अचानक 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में ही यह ऊंची छलांग लगा कर अपनी ताकत में वजनदार इजाफा किया था और एक समय में राज्य की सबसे मजबूत समझी जाने वाली मार्क्सवादी पार्टी का सफाया भाजपा व तृणमूल कांग्रेस के बीच हुई लड़ाई की वजह से हो गया था। मगर राज्य में वामपंथियों की जमीन पर अभी भी ताकत है और उनके पास वोटों का अच्छा खासा प्रतिशत भी है। यह वोट प्रतिशत आश्चर्यजनक रूप से 2022 के विधानसभा चुनाव व पिछले लोकसभा चुनावों में ममता दीदी के विरोध के चलते भाजपा की तरफ मुड़ गया था जिसकी वजह से वामपंथी दलों की हालत शून्य जैसी हो गई थी।

विधानसभा चुनावों में तो एक करामात यह भी हुई थी कि कांग्रेस का भी सूपड़ा साफ हो गया था और इसका एक भी विधायक नहीं जीत पाया था जबकि भाजपा के विधायकों की संख्या सीधे 2 से बढ़ कर 77 हो गई थी। अक्सर राजनीति में वही सच नहीं होता है जो ऊपर से दिखाई पड़ता है। ममता दी इंडिया गठबन्धन का सदस्य रहने के बावजूद शुरू से ही यह कहती रही हैं कि प. बंगाल में भाजपा का मुकाबला अकेले वही कर सकती हैं क्योंकि राज्य में उन्हीं की पार्टी सबसे बड़ी व ताकतवर पार्टी है। हालांकि वामपंथी दल भी इंडिया गठबन्धन के सदस्य हैं मगर प. बंगाल में इनमें आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। इसकी खास वजह यह है कि प. बंगाल से वामपंथियों का 34 वर्ष पुराना शासन ममता दी की तृणमूल कांग्रेस ने ही 2011 में समाप्त किया था और वामपंथियों को रसातल में पहुंचाया था।

> **इंडिया गठबन्धन के घटक दलों की यह रणनीतिक चाल भी हो सकती है कि वे सब मिलकर आपस में ही एक-दूसरे के मुकाबले प्रत्याशी मैदान में उतारें जिससे भाजपा को कम से कम वोट मिल पायें और उनमें से किसी के भी वोट एक-दूसरे को हराने के लक्ष्य के प्राप्त करने हेतु भाजपा के पाले में न जा पायें। राज्य में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यदि इंडिया गठबन्धन के घटक दलों की यह रणनीति है तो जाहिर तौर पर अपेक्षाकृत राज्य की नई ताकत भाजपा के लिए यह चिन्ता की बात हो सकती है लेकिन भाजपा के रणनीतिकारों को विश्वास है कि ममता दी की यह चाल सफल नहीं हो सकती क्योंकि लोकसभा चुनावों के जो मुद्दे उभर रहे हैं उन्हें देखते हुए अन्तिम मुकाबला अन्ततः भाजपा के साथ ही होगा**

अत: इंडिया गठबन्धन के घटक दलों की यह रणनीतिक चाल भी हो सकती है कि वे सब मिलकर आपस में ही एक-दूसरे के मुकाबले प्रत्याशी मैदान में उतारें जिससे भाजपा को कम से कम वोट मिल पायें और उनमें से किसी के भी वोट एक-दूसरे को हराने के लक्ष्य के प्राप्त करने हेतु भाजपा के पाले में न जा पायें। राज्य में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यदि इंडिया गठबन्धन के घटक दलों की यह रणनीति है तो जाहिर तौर पर अपेक्षाकृत राज्य की नई ताकत भाजपा के लिए यह चिन्ता की बात हो सकती है लेकिन भाजपा के रणनीतिकारों को विश्वास है कि ममता दी की यह चाल सफल नहीं हो सकती क्योंकि लोकसभा चुनावों के जो मुद्दे उभर रहे हैं उन्हें देखते हुए अन्तिम मुकाबला अन्तत: भाजपा के साथ ही होगा औऱ पार्टी के प्रत्याशी हर चुनाव क्षेत्र में लड़ाई में रहेंगे। गौर से देखा जाये तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व वामपंथी दल तीनों ही भाजपा के कट्टर दुश्मन कहे जा सकते हैं हालांकि ममता बनर्जी को यह श्रेय दिया जा सकता है कि वह वाजपेयी काल के दौरान जब एनडीए की सदस्य थीं तो राज्य में भाजपा को विस्तार देने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। यहां से वाजपेयी सरकार में भाजपा सांसद मन्त्रिमंडल में भी शामिल रहते थे। मोदी मन्त्रिमंडल में भी प. बंगाल के कई भाजपा सांसद मन्त्री बने हुए हैं लेकिन मोदी सरकार संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लागू करने जा रही है जिसका बहुत तीखा विरोध करने की घोषणा ममता दी पहले ही कर चुकी है। यह ऐसा विषय है जिसकी गूंज इस प्रदेश की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनावी मौसम में होगी।

बांग्लादेश से लगे होने की वजह से इस मुद्दे का राज्य की जनता पर व्यापक असर हुए बिना नहीं रह सकता। इसके साथ ही सन्देशखाली के शाहजहां शेख का मामला भी कलकत्ता उच्च न्यायालय से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने के बाद राज्यव्यापी मुद्दा बन सकता है जिसका असर प. बंगाल की साम्प्रदायिक संरचना पर पड़ सकता है क्योंकि भाजपा ममता दी पर शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है हालांकि बंगाली जनता अपनी मजबूत सांस्कृतिक जड़ों की वजह से बहुत ही धर्मनिरपेक्ष मानी जाती है। यहां रवीन्द्र नाथ टैगोर जैसे महामानववादी अन्तर्राष्ट्रीय कवि भी हैं और काजी नजरुल इस्लाम जैसे महान बांग्ला कवि भी हुए। बंगाली दोनों ही शख्सियतों को अपनी महान धरोहर मानते हैं परन्तु जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद राज्य में उनके द्वारा संस्थापित जनसंघ पार्टी का भाजपा के रूप में यह पुनरुत्थान काल भी है।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

इस नशे के खिलाफ जंग करो...

इस नशे की आदत से उसने अपनी जिदंगी तमाम गंवा दी,
भाई, बेटा, पति इन रिश्तों की सरेआम नीलामी लगा दी!
पता है ये बुरी आदत एक दिन उसे निगल जाएगी,
दर्दनाक मौत के अलावा ओर कोई पैगाम नहीं लाएगी !
लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ियों से एक ही गुहार है,
इस नशे के खिलाफ जंग करो ये सैकड़ों परिवार का कसूरवार है!!

गीता पाढा

धीरूभाई के संस्कारों का वृक्ष नीता अंबानी ने सींचा

डा. विजय दर्डा
संपादक : लोकमत समूह
पूर्व राज्यसभा सांसद

अमूमन यह देखने में आता है कि किसी ने थोड़ा धन कमा लिया, थोड़ी सी शोहरत हासिल कर ली तो वह विनम्रता खो देता है, उसकी चाल में अकड़ आ जाती है। उसे यह पता नहीं कि आंधी जब आती है तो बड़े-बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़कर फेंक देती है। केवल संस्कारों का वृक्ष ही सारे थपेड़ों को झेलते हुए खड़ा रह सकता है। धीरूभाई अंबानी और मां कोकिला बेन ने अंबानी परिवार में संस्कारों के जो बीज बोए थे, वह आज फल-फूल रहा है, बल्कि लहलहा रहा है तो इसका कारण मुकेश अंबानी तो हैं ही, खासकर नीता अंबानी ने संस्कारों के वृक्ष को जतन के साथ सींचा है।

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग समारोह की पूरी दुनिया में चर्चा है। समारोह के वीडियोज देखकर हर कोई कह रहा है कि इतनी बड़ी सल्तनत के स्वामी अंबानी परिवार का छोटा बेटा कितना विनम्र है। सामान्य परिवार की एक महिला शायद दस-बीस रुपए का एक मुड़ा-तुड़ा नोट उनके हाथ में देती है, भारत के ग्रामीण इलाकों में आशीष देने का यह चलन अब भी लोगों के दिल के करीब है। अनंत अंबानी झुक कर वो नोट स्वीकार करते हैं, महिला उनके सिर को हाथ में लेकर बलैयां लेती है...अनंत कृतज्ञ भाव से हाथ जोड़ लेते हैं। वो महिला राधिका को साड़ी भेंट करती है...राधिका उस साड़ी को कलेजे से लगा लेती हैं। यह दृश्य भावविभोर कर देने वाला है, न केवल अनंत बल्कि बहन ईशा और भाई आकाश भी इतने ही विनम्र हैं जितने विनम्र कोकिला बेन, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी हैं। आकाश की पत्नी श्लोका भी अत्यंत विनम्र और धार्मिक महिला हैं, अनंत से किसी ने पूछा कि पिता और चाचा की तरह क्या वे दोनों भाई भी कभी अलग हो जाएंगे? अनंत ने कहा कि भैया आकाश पिता तुल्य और बहन ईशा माता तुल्य हैं, अलग होने का सवाल ही नहीं है।

पिछले महीने का एक प्रसंग मैं आपको बताता हूं, लोकमत समूह का महाराष्ट्रीयन ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित हुआ। स्वाभाविक तौर पर वहां कोई लक्जरी कुर्सियां नहीं थीं। उस समारोह में यूथ आइकॉन अवार्ड से ईशा अंबानी को नवाजा गया, खुद मुकेश अंबानी भी समारोह में पहुंचे। मेरे कुछ साथियों को लगा कि इस तरह की सामान्य कुर्सी पर मुकेश अंबानी को बिठाना ठीक नहीं रहेगा इसलिए उन्होंने दूसरी कुर्सी लाने की बात की लेकिन मुकेश भाई ने रोक दिया। वे पूरे डेढ़ घंटे तक उसी कुर्सी पर बैठे जिस तरह की कुर्सी पर दूसरे लोग बैठे थे।

मैं धीरूभाई की विनम्रता और दूरदृष्टि के दो प्रसंग भी आपको बताना चाहता हूं, मेरे बाबूजी वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जवाहरलाल दर्डा अस्सी के दशक में जब महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री थे तब मैंने धीरूभाई को उनसे मिलवाया था। उसके बाद हमारे रिश्ते फलते-फूलते गए। लोकमत के दिवाली विशेषांक में विज्ञापन के लिए मैं उन्हें हर साल पत्र भेजता था। एक वर्ष मैं उन्हें पत्र लिखना भूल गया, तब लोकमत जड़ें पकड़ चुका था। धीरूभाई का मुझे फोन आया कि विजय आपका पत्र नहीं आया, मुझे पता है कि लोकमत को अब हमारी जरूरत नहीं है लेकिन हमें तो लोकमत की जरूरत है। कृपया पत्र भेजिए और हमारा विज्ञापन स्वीकार कीजिए।

मैं 1998 में चुनाव लड़ रहा था, धीरूभाई का फोन आया कि आप जल्दी मिलिए, मैं उनके कार्यालय में गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको समाजवादी पार्टी के वोट की भी तो जरूरत होगी। मैं अचंभित हो गया, मैंने कहा कि हां जरूरत पड़ेगी। मुकेश भाई और अनिल भाई भी वहीं खड़े थे। धीरूभाई ने कहा कि मुलायम सिंह को फोन लगाइए, उन्हें अगले दिन ही मुंबई बुलाया और मेरी मुलाकात कराई। मुलायम सिंह ने अमर सिंह को तत्काल निर्देश दिया और समाजवादी पार्टी के चार वोट मुझे मिले। धीरूभाई ने पूछा कि कुछ और भी जरूरत पड़ेगी लेकिन मैंने उन्हें कहा कि किसी और चीज की जरूरत नहीं है। रिश्तों की प्रगाढ़ता उनकी दूरदृष्टि थी।

कहा जा रहा है कि प्री-वेडिंग पर अंबानी परिवार ने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब एक क्रूज पार्टी होने वाली है और जुलाई में मुंबई में शानदार शादी होगी। दुनिया के उद्योगपतियों और राजनेताओं ने एक से एक महंगी शादियां इससे पहले की हैं, सामान्य तौर पर देखें तो आम लोग भी अपनी हैसियत का कम से कम दस प्रतिशत तो बच्चों की शादी पर खर्च कर ही देते हैं। अंबानी परिवार की कुल संपत्ति करीब 7.65 लाख करोड़ रुपए है। इसका एक प्रतिशत भी 7650 करोड़ रुपए होता है, अंबानी परिवार ने जामनगर के 50 हजार लोगों को खाने पर बुलाया। बहुत से लोगों को खुद खाना परोसा, रिलायंस के कर्मचारियों को खाने पर बुलाया और उपहार के साथ धन्यवाद भी ज्ञापित किया। यह दिल छू लेने वाली बात है।

इस शादी की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही समय पहले धनवानों से आग्रह किया था कि वे शादी विदेशों में न करें, भारत में करें, सामान्य सी लगने वाली इस बात में बहुत गहराई है। आलीशान शादियां देश में ही होंगी तो सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर देश में ही खड़ा होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री की बातों का सम्मान रखा।

यहां मैं एक बार फिर से अनंत की चर्चा करना चाहूंगा जिनमें मानवीयता कूट-कूट कर भरी हुई है। उन्हें मूक प्राणियों से बेहद प्यार है। जामनगर में वनतारा नाम का एशिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर करीब तीन हजार एकड़ में फैला हुआ है जहां न केवल घायल प्राणियों की देखरेख की जाती है बल्कि दुर्लभ प्रजाति के जीवों को भी संरक्षित किया गया है। अनंत खुद वनतारा में रमे हुए हैं, उनके साथ राधिका भी रमी हुई हैं। वनतारा का उद्देश्य आय नहीं, सेवा है, अनंत को देश की रक्षा करने वाले जवानों और नागरिकों की रक्षा करने वाली पुलिस से बहुत लगाव है। मुंबई में पुलिकर्मियों के लिए जगह-जगह एयरकूल्ड पोस्ट बनवाए हैं जहां वे सुविधाजनक तरीके से ड्यूटी भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आराम भी कर सकते हैं।

कैसे देखते-देखते बदलने लगा कश्मीर

आर.के. सिन्हा
पूर्व राज्यसभा सांसद

अगर किसी ने फैसला ही कर लिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करना नहीं छोड़ेगा तो बात अलग है, पर हाल ही में उनका (मोदी जी) श्रीनगर यात्रा के समय जिस तरह का उमंग और उत्साह के साथ स्वागत हुआ उससे सारा देश आश्वस्त महसूस कर रहा है। एक यकीन होने लगा है कि अब कश्मीर देश की मुख्यधारा से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब अविश्वसनीय था। सभा स्थल बख्शी स्टेडियम में मोदी जी का भाषण सुनने के लिए हजारों लोगों की वक्त से बहुत पहले से ही लाइनें लग गई थीं। इनमें कश्मीरी औरतें भी भारी संख्या में थीं। याद नहीं आता कि जब किसी प्रधानमंत्री का घाटी में इतना गर्मजोशी से स्वागत किया गया हो। इसके पहले लगभग 40 वर्ष पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लगभग ऐसा ही स्वागत हुआ था श्रीनगर में।

प्रधानमंत्री की सभा की समाप्ति के बाद लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता और आशा की मिलीजुली रेखाओं को पढ़ा जा सकता था। एक खबरिया टीवी चैनल को स्थानीय निवासी गुलाम भट्ट कह रहे थे, "मुझे यकीन है कि पीएम मोदी हमारी सेवाओं को नियमित कराएंगे। वह अकेले ही इसे पूरा कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर में अब तक सभी सरकारों ने हमसे केवल खोखले वादे किए हैं।"

रैली में इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों की सुरक्षा के प्रबंधन में स्थानीय पुलिस सबसे आगे थी। जनता ने पुलिस द्वारा बताए गए हर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। जम्मू-कश्मीर पुलिस के उप-निरीक्षक सुलेमान खान ने कहा, "यह पीएम मोदी की वजह से हुआ है। अब हमारी वर्दी का सम्मान है। हमने कश्मीर में वह दौर भी देखा है जब पुलिसकर्मी पत्थरबाजों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों के डर से अपना पहचान पत्र नहीं रखते थे। कश्मीर में यह परिवर्तन किसने संभव किया? यह मोदीजी और उनका दृढ़ संकल्प है कि कश्मीर में कानून का शासन वापस आया।"

मुझे मेरे कश्मीर में रहने वाले कई मित्रों ने बताया कि रैली के बाद लोग कश्मीर में अपने परिवार और दोस्तों के साथ रैली के बारे में जिस तरह से बातें कर रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि लोग खुद स्वेच्छा से वहां पहुंचे थे। हजारों लोग गर्व से बता रहे हैं कि उन्होंने बख्शी स्टेडियम में मोदी जी का भाषण सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अनुपम अवसर का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को देश का मुकुट बताते हुए प्रदेश का डेवलपमेंट प्लान सबके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि एक विकसित जम्मू-कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। जम्मू-कश्मीर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि वह खुलकर सांस ले रहा है। ये वो नया जम्मू-कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। इस नए जम्मू-कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है, इस नए जम्मू-कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है।

अगर बात प्रधानमंत्री मोदी की रैली से हटकर करें तो कश्मीर की जनता देख रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में कितने बदत्तर हालात हैं। वहां पर दिन में कम से कम दसेक घंटे तक बिजली नहीं आती। वहां रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में अब कुछ भी छिपा नहीं है। कश्मीर घाटी की जनता यह भी देख रही है कि पीओके में पाकिस्तान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले छह महीनों से महंगाई, अप्रत्याशित बिजली बिल और अन्य करों के विरोध में प्रदर्शन जारी है। इतना ही नहीं, वहां पर प्रशासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। बिजली के भारी बिलों और करों को लेकर लोगों का आंदोलन शुरू किया था।

इस बीच, अब बहुत साफ है कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 का कोई मसला ही नहीं रहा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि राज्य का अवाम अब धारा 370 से आगे निकल चुका है। जैसी कि उम्मीद थी कि इस धारा को हटाए जाने के बाद राज्य का सर्वांगीण विकास और रफ्तार पकड़ लेगा, अब वही हो रहा है। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सबको विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है। इसका प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 14 शिखर नेताओं से मिल भी चुके हैं। हालांकि अफसोस होता है कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाने के सवाल पर कांग्रेस का रवैया बेहद खराब रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह कहते रहे हैं कि केन्द्र में उनकी पार्टी की सरकार आएगी तो वे संविधान के अनुच्छेद 370 को पुन: बहाल कर देंगे।

देखिए, आपको कश्मीर घाटी के बदले हुए मिजाज को देखने-समझने के लिए राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गोवा जाने वाली फ्लाइट के मुसाफिरों को देख लेना चाहिए। यकीन मानिए कि हरेक फ्लाइट में कई कश्मीरी परिवार भी यात्रा कर रहे होते हैं। चूंकि श्रीनगर से गोवा की कोई डायरेक्ट उड़ान नहीं है तो ये दिल्ली से गोवा मौज-मस्ती के लिए जा रहे होते हैं। यानी जिस कश्मीर में शेष भारत से लोग पहुंचते हैं, वहां के लोग गोवा छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। यह कश्मीरी गोवा जाने से पहले कुछ दिन दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। यह उसके बाद गोवा जाते हैं। गोवा से वापसी के बाद भी दिल्ली में रुकते हैं। मुझे कुछ कश्मीरियों ने बताया कि उन्हें गोवा का खुला माहौल पसंद आने लगा है। जब कश्मीर जाड़ों में ठिठुर रहा होता है तो सैकड़ों कश्मीरी गोवा का रुख कर लेते हैं। कश्मीरियों के दिल में बसने लगे हैं गोवा के बीच (समुद्र का किनारा), वहां की डिशेज और समावेशी समाज। आपको साऊथ और नॉर्थ गोवा के होटलों में हर सीजन में बहुत सारे कश्मीरी परिवार मिलेंगे। जम्मू-कश्मीर बदलता जा रहा है। वहां पर अब पृथकतावादी ताकतों के लिए जगह नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर आप सरकार से जो चाहें मांग करें। यह आपका हक है। पर वहां या कहीं भी देश विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देश का सिर्फ एक लक्ष्य है विकास करना। इस रास्ते में अवरोध खड़ा करने वालों को देश स्वीकार नहीं करेगा।

सपनों को साकार कर रहे हैं मनोहर

गुरुग्राम, (पंजाब केसरी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यप्रणाली की सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकसित हरियाणा-विकसित भारत के सपने को अपने मजबूत संकल्प के साथ पूरा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी विकास की सकारात्मक सोच के साथ हरियाणा को आधुनिकता के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। आज पूरा गुरुग्राम क्षेत्र एक्सप्रेस-वे सहित कई बड़े नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विकास की सोच को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज जिस द्वारका एक्सप्रेस-वे का हम उद्घाटन कर रहे हैं उसके निर्माण में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे से दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। पहले गुरुग्राम क्षेत्र के आसपास ट्रैफिक की बड़ी समस्या थी और आज यहां पर बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे आईजीआई एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़कर पश्चिम भारत के इंडस्ट्री एक्सपोर्ट को एक नई दिशा देगा। उन्होंने इन सभी विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तत्परता की सराहना की और कहा कि वह हरियाणा के विकास के लिए आधुनिकता की सोच के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज लाखों लोग पूरे देश में एक साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, इससे भी हरियाणा की तरक्की व तकनीक की झलक साफ दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेस-वे को लोगों की जिंदगी में गियर शिफ्ट करने वाला कार्य बताते हुए कहा कि पहले की सरकारें छोटी योजना बनाकर 5 साल तक उसकी डुगडुगी बजाती थी।

छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी होगी पूरी

रायपुर, (आशीष शर्मा/पंजाब केसरी): कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कल 12 मार्च का दिन अविस्मरणीय रहेगा। इस दिन छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुण्डा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 24 लाख 75 हजार किसानों को इस योजना के तहत 13 हजार 320 करोड़ रूपए की आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। पीएम श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से 3100 रूपए क्विंटल की दर से धान खरीदी की गारंटी दी थी। इस गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का प्रदेशव्यापी शुरूआत 12 मार्च को होने जा रहा है। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल धान के मूल्य के मान से अंतर की राशि प्रदान की जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य के 24.72 लाख किसानों से 144.92 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई जिसके एवज में किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को धान के मूल्य में अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रूपए का भुगतान किए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की किसानों से की गई उक्त गारंटी भी पूरी हो जाएगी। किसान हितैषी विष्णु देव की सरकार द्वारा राज्य में किसानों से अपने वायदे के मुताबिक प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने के साथ ही दो साल के धान के बकाया बोनस राशि 3 हजार 716 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

भोजशाला का सर्वेक्षण करने के निर्देश

इंदौर, (पंजाब केसरी): मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को धार जिले के विवादास्पद भोजशाला परिसर का छह सप्ताह के भीतर एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का सोमवार को निर्देश दिया। एएसआई के संरक्षित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को हिन्दू वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला की मस्जिद बताता है। एएसआई के सात अप्रैल 2003 को की गई एक व्यवस्था के मुताबिक हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार भोजशाला में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुस्लिमों को हर शुक्रवार इस जगह नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्र ने सभी संबद्ध पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद जारी एक आदेश में कहा, ''इस अदालत ने केवल एक निष्कर्ष निकाला है कि भोजशाला मंदिर-सह-कमाल मौला मस्जिद परिसर का जल्द से जल्द एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन कराना एएसआई का संवैधानिक और कानूनी दायित्व है।'' पीठ ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली एएसआई समिति को छह सप्ताह के अंदर सर्वेक्षण की एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने को कहा।

किन्नौर में हिमस्खलन, तीन मजदूरों की मौत

कल्पा/शिमला, (पंजाब केसरी): हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के मुसरिंग में सोमवार को हिमस्खलन में झारखंड के तीन मजदूरों की मौत हो गई और दो अन्य मजदूर घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि भाभा घाटी इलाके में बर्फीला तूफान आने के बाद हिमस्खलन हुआ। उन्होंने बताया कि हिमस्खलन के समय बड़ी संख्या में मजदूर कार्यस्थल पर दोपहर का भोजन कर रहे थे। भाभा घाटी के तहसीलदार अरुण कुमार ने घटना की पुष्टि की।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

कल्पमेधा

हर सुधार का कुछ न कुछ विरोध अनिवार्य है। पर, विरोध और आंदोलन एक सीमा तक समाज में स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं।

– महात्मा गांधी

बहानेबाजी पर विराम

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बांड संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की बहानेबाजियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। स्टेट बैंक ने चुनावी बांड संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए अदालत से तीस जून तक का समय मांगा था। उसका तर्क था कि बांड खरीदने वाले और राजनीतिक दलों के नामों का मिलान करने में उसे वक्त लग रहा है। चूंकि ये जानकारियां चुनावी बांड नियमों के मुताबिक सुरक्षा की दृष्टि से डिजिटल रूप में रखने के बजाय हस्तलिखित रूप में दो जगहों पर सीलबंद लिफाफे में रखी गई थीं, इसलिए हर दस्तावेज का मिलान करने में वक्त लगेगा। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी बहानेबाजी पर विराम लगा दिया। उसने कहा कि आपसे मिलान करने को तो कहा ही नहीं गया था। आप तो केवल अपने लिफाफे खोलिए और चुनावी बांड से संबंधित जो भी जानकारियां आपके पास हैं, उन्हें सौंप दीजिए। नियम के मुताबिक आपने हर बांड खरीदने वाले के बारे में विवरण जमा कर रखे हैं, इसलिए कोई परेशानी वैसे भी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने आज शाम तक सभी जानकारियां उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। उन जानकारियों को निर्वाचन आयोग पंद्रह तारीख की शाम तक अपनी वेबसाइट पर डाल देगा। अगर अब भी स्टेट बैंक कोई बहानेबाजी करता है, तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का रास्ता खुला है।

इस फैसले के बाद लगता नहीं कि स्टेट बैंक कोई बहाना बनाएगा। उसके वकील अदालत के समक्ष स्वीकार कर चुके हैं कि बंद लिफाफे में हर बांड का विवरण रखा हुआ है, समस्या केवल बांड के खरीदार और उसे भुनाने वाले राजनीतिक दलों के नामों के मिलान को लेकर है। इसलिए अब स्टेट बैंक के सामने इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं रह गया है। यों भी जब जानकारियां उपलब्ध कराने की अंतिम तारीख से दो दिन पहले स्टेट बैंक ने समय बढ़ाने की फरियाद की थी तो स्वाभाविक ही लोगों को हैरानी हुई थी। पूछा जाने लगा था कि आज जब बैंकों का सारा कामकाज डिजिटल तरीके से होने लगा है और एक बटन दबाने से सारी जानकारियां सामने आ जाती हैं, तब स्टेट बैंक को क्यों इतना वक्त चाहिए। फिर, जिस तरह उसने तीस जून का वक्त मांगा था, उससे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि तब तक आम चुनाव खत्म हो जाएगा। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले लोग कौन हैं।

चुनावी चंदे के लिए बांड की व्यवस्था की गई थी, तभी इस नियम को लेकर सवाल उठने लगे थे कि आखिर इसे गोपनीय क्यों रखा जा रहा है। फिर चंदा देने की सीमा समाप्त कर दी गई थी। पहले कंपनियां अपने वार्षिक मुनाफे का केवल सात फीसद हिस्सा चुनावी चंदे के रूप में दे सकती थीं। इससे संदेह गहरा होने लगा था कि कहीं कुछ कंपनियां अपने फायदे के लिए राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में रिश्वत तो नहीं दे रही हैं। फिर चुनावी चंदे को सूचनाधिकार कानून से बाहर रखा गया था, जिससे लोगों को चंदा देने वालों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरी प्रक्रिया को ही असंवैधानिक करार दे दिया। अदालत के आदेश के बाद वे नाम सामने आएंगे, तो लोगों का संदेह दूर हो सकेगा कि किन लोगों ने आखिर कितना चंदा दिया और कहीं उसके पीछे उनका कोई गलत इरादा तो नहीं था।

हादसे के जिम्मेदार

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक बस के बिजली के तार की चपेट में आ जाने से हुए हादसे से एक बार फिर यही साबित हुआ है कि सरकार की ओर से जारी तमाम आश्वासनों के बावजूद बहुस्तरीय लापरवाही कायम है और उसमें कई बार नाहक ही लोग मारे जाते हैं। विवाह के मौके पर बस में अड़तीस यात्री सवार होकर जा रहे थे कि बस के ऊपर उच्च क्षमता का बिजली का तार गिर गया और बस में आग लग गई। किसी तरह लोगों ने जलती बस से निकलने की कोशिश की, मगर पांच लोग जिंदा जल गए। अब सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा की गई है, मगर अफसोस कि कई बार यह लापरवाही की भरपाई लगती है, क्योंकि संबंधित महकमों को जिस वक्त बिजली के खंभों या तारों के रखरखाव की जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी करनी चाहिए, निर्धारित वक्त पर जांच करते रहना चाहिए था, तब कोताही बरती जाती है। गाजीपुर में हुआ हादसा लापरवाही का नतीजा है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जरूरत है।

विडंबना यह है कि जब कोई गंभीर हादसा हो जाता है तब आनन-फानन में मुआवजे की बात होने लगती है, मगर उसके लिए जिम्मेदारी तय करने को लेकर उतनी सजगता नहीं देखी जाती। सवाल है कि सड़क के ऊपर उच्च क्षमता का तार अगर गुजर रहा था तो उसे इस कदर असुरक्षित हालत में कैसे छोड़ा गया था कि वह लोगों के लिए जानलेवा बना? कई बार आम लोग भी सावधानी नहीं बरतते। मगर इंसानी गतिविधियों या आबादी वाले क्षेत्रों में अगर बिजली के खंभे आदि लगाए जाते हैं तो क्या इससे संबंधित कोई नियम-कायदा है कि उनका पूरी तरह दुरुस्त और सुरक्षित होना सुनिश्चित किया जाए? तकनीकी खराबी एक अचानक उपजी स्थिति हो सकती है, लेकिन उसे समय पर दुरुस्त करने को लेकर थोड़ी भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, जब बिजली का तार हादसे की वजह बनता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी नहीं समझा जाता कि खासकर उच्च क्षमता के तार इंसानी आबादी या व्यस्त सड़कों के ऊपर से न गुजरें या फिर खतरे की वजह न बनें।

ध्वनि प्रदूषण का बढ़ता खतरा

अनेक शोधों से पता चला है कि कोलाहल समुद्री जीव-जंतुओं को भी मानसिक रूप से अशांत करता है। अशांत चित्त की गति कैसी होती है, सबको पता है।

ऋतुपर्ण दवे

संयुक्त राष्ट्र की ताजा रपट में कहा गया है कि दुनिया भर में डेढ़ अरब लोग इस समय ऊंचा सुनते, यानी बहरे हो चुके हैं। ध्वनि प्रदूषण या कोलाहल से लोग केवल बहरे नहीं हो रहे, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर घातक दुष्परिणाम हो रहे हैं। रक्तचाप बढ़ने, हृदय की अनियंत्रित धड़कन के अलावा शरीर पर दूसरे घातक प्रभाव भी अनजाने-अनचाहे झेलने पड़ते हैं। कोलाहल से श्वसन तंत्र पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहीं उत्तेजना, नाड़ी का तेज और अनियंत्रित होना, सिरदर्द भी आम हो गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि तेज कोलाहल से पेट में गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस तक होने से पेट दर्द, आंतों में सूजन, ऐंठन, बुखार, अपच, दस्त, कमजोरी, नींद न आना, तनाव और दिल के दौरे का भी खतरा पैदा होता है। कोलाहल लोगों के काम की क्षमता और गुणवत्ता को घटाता और एकाग्रता को प्रभावित करता है। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं के व्यवहार में भी तेज और कानफोडू आवाज से चिड़चिड़ापन आना और गर्भपात तक की स्थिति बनना चिंताजनक है।

सबके कानों की सहनशक्ति की सीमा है। तेज आवाज जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनका तंत्रिका-तंत्र प्रभावित होता है और वे अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठते हैं। कितनी बार देखा है कि बारात निकलते समय, डीजे या बैंड की तेज आवाज या पटाखों के फटते ही कैसे सड़क पर मौजूद जानवर न केवल बेकाबू हो जाते, बल्कि कई बार बेहद हिंसक, आक्रामक होकर लोगों की जान तक ले लेते हैं। अनेक शोधों से पता चला है कि कोलाहल समुद्री जीव-जंतुओं को भी मानसिक रूप से अशांत करता है। अशांत चित्त की गति कैसी होती है, सबको पता है।

वर्ष 2018 में हुए एक शोध से पहले ही साफ हो चुका है कि यह रक्तचाप को बढ़ाता है। लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से हृदय रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन्स इन्वायरमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) ने कोलाहल के उभरते मुद्दों की पहचान करने और उन पर ध्यान आकर्षित करने हेतु काफी काम किया है। इसकी वर्ष 2022 की एक रपट में विश्व के इकसठ शहरों को शामिल किया गया। भारत का मुरादाबाद विश्व के अत्यधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर है। सबसे ऊपर बांग्लादेश का ढाका और तीसरे क्रम पर पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। ये तीनों शहर एशिया के हैं। वहीं यूरोप और लैटिन अमेरिका सबसे शांत क्षेत्र हैं।

कोलाहल के अनेक कारण और प्रकार हैं। सभी औद्योगिक क्षेत्र इसकी गिरफ्त में हैं। कल-कारखानों की मशीनों से निकलती कर्कश और कानफोडू आवाजें कोलाहल फैलाती हैं। बायलर, टरबाइन, क्रशर तो बड़े कारक हैं ही, परिवहन के लगभग सभी साधन तेज ध्वनि पैदा कर, कोलाहल के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ाते हैं। विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के पैदा होने वाला शोर भी बड़ा कारण है। हमारे मनोरंजन के निजी साधन जैसे टीवी, रेडियो, डीजे ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। वैवाहिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेला, राजनीतिक दलों की रैलियों जैसे आयोजनों में ध्वनि विस्तारकों का असीमित आवाज में उपयोग और

आतिशबाजी या पटाखे जला कर कोलाहल को कई गुना बढ़ाने के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ाया जाता है। रेल, वायुयान, सेना के विमान, सड़कों पर दौड़ते छोटे-बड़े वाहनों के अलावा राजनीतिक और गैर-राजनीतिक रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ से भी तेज कोलाहल होता है।

> सर्वोच्च न्यायालय ने लाउडस्पीकर पर महत्त्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा था कि ऊंची आवाज सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। सबको शांति से रहने का अधिकार है। भोंपू से अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन यह जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं। शोर का ऐसा अधिकार भी नहीं कि पड़ोसियों और दूसरे को परेशानी हो। कोई भोंपू बजाने का, अनुच्छेद 19(1)ए के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थलों पर रात दस से सुबह छह बजे तक शोर करने वाले उपकरणों पर पाबंदी है।

कोलाहल भला किसे अच्छा लगता है? इससे सभी चिढ़ते हैं। माना कि प्राकृतिक कोलाहल जैसे भूकम्प, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, बवंडर, आंधी, बिजली तड़कने जैसी प्राकृतिक आपदाएं झेलना विवशता है। लेकिन मानव जनित कोलाहल पर जान बूझकर चुप्पी साधे रहना कैसी विवशता है? विभिन्न अध्ययनों, शोध और तार्किक दावों से साफ है कि शीघ्र नियंत्रण नहीं हुआ तो सन 2050 तक दुनिया का हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार सुनने की सामान्य क्षमता से प्रभावित होगा और 12 से 35 साल की उम्र के लगभग 110 करोड़ युवाओं की सुनने की क्षमता घटेगी। मगर इस वैश्विक समस्या से सब अनजान बने हुए हैं! कोलाहल एक खामोश हत्यारा है। इस पर काबू पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी व्यवस्थाएं दे रखी हैं। मगर हर दिन कैसे उसकी धज्जियां उड़ती हैं, सभी देखते और जानते हैं।

विज्ञान की भाषा में ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसीबल है। इसका स्तर जितना अधिक होगा, शोर उतना तेज कहलाएगा। डेसिबल पैमाने पर दस के स्तर में वृद्धि का अर्थ है कि आवाज का दस गुना तेज होना। मनुष्य सामान्यतः शून्य डेसीबल भी सुन सकता है। सुनने के लिए 25-30 डेसीबल ध्वनि पर्याप्त है। 75 डेसीबल साधारण तेज, 80-90 डेसीबल श्रवण शक्ति को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। 95 डेसीबल अत्यंत तेज और 120 डेसीबल की ध्वनि बेहद कष्टप्रद होती है।

देश में हर शहर, गांव, कस्बे में हरेक आयोजन चाहे धार्मिक हों, सांस्कृतिक या निजी, तेज आवाज में ध्वनि विस्तारकों का उपयोग प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता जा रहा है। आदेशों के बावजूद इस पर रोक न लग पाना बताता है कि कैसे सभी बेपरवाह हैं और लोग खुद इसे रोकना नहीं चाहते। आजकल एक ही स्थान पर अनेक स्थायी चोगों से निकलती कानफोडू आवाज तड़के से रात तक क्षेत्रीय रहवासियों के लिए असहनीय होती है। आयोजन स्थलों से काफी दूर हर गली, नुक्कड़ और सड़क पर धार्मिक उत्सवों या रैली, सभाओं के दौरान दर्जनों बजने वाले भोंपुओं से क्या मिलता है?

2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने लाउडस्पीकर पर महत्त्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा था कि ऊंची आवाज सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। सबको शांति से रहने का अधिकार है। भोंपू से अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन यह जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं। शोर का ऐसा अधिकार भी नहीं कि पड़ोसियों और दूसरे को परेशानी हो। कोई भोंपू बजाने का, अनुच्छेद 19(1)ए के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थलों पर रात दस से सुबह छह बजे तक शोर करने वाले उपकरणों पर पाबंदी है। भोंपुओं से तेज आवाज करना, धमाकेदार पटाखों से लेकर प्रेशर हार्न तक पर रोक है। ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के अनुसार व्यावसायिक, शांत और आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि तीव्रता की सीमा तय है। औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल की सीमा सुनिश्चित है। व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए दिन में 65 और रात में 55, आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 और रात में 45 तो शांत क्षेत्रों में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल तीव्रता की सीमा तय है। मगर इस पर शायद ही पूरी तरह अमल हो पाता है।

कोलाहल पर सबको सोच बदलनी होगी। संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए, इसे राजनीति और धर्म से इतर 'सबका कान, सबका सम्मान' बनाना होगा, वरना बहरों की दुनिया में जीने को तैयार रहना होगा।

खुद को तराशने की गूंज

सीमा श्रोत्रिय

नियति ने सृष्टि के समस्त जीवों को अपनी सर्वश्रेष्ठ जादूगरी से अत्यंत सुंदर, मनोहर और उपयोगी बनाया है। जीव विभिन्न लोकों में तरह-तरह से भ्रमण करता है। संसार के बहुत से रहस्य ऋषि, मुनियों, तपस्वियों और साधकों के तपोबल से बाहर हैं। परंपरागत रूप से अनेक शोध, मनन और अध्ययन इस जाल को तोड़ नहीं पाए। नैसर्गिक रूप से निरे तर्क ईश्वर की रचना पर चाहकर भी खरे नहीं उतरते। जीव जितना उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करता है, वे उतने ही अधिक गहराते जाते हैं। बहुधा मानवीय समझ सुलझने की बजाय उलझती जाती है।

मनुष्य पैदाइशी रूप से आनंद और सुख तलाशता है, पर व्यावहारिक तौर पर वैसा काम नहीं करता है तो दुख पैर पसार जाता है। जीवन सही जीने की कला बहुत कम लोग जानते हैं। व्यक्ति जब-जब कुछ करने की सोचता है तो काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ की आभा निरंतर उसे अपने आगोश में ले लेती है। अगर वह उन पर नियंत्रण का बारंबार अभ्यास नहीं करता है तो वही चीजें समाज में उसे नीचा दिखाने का काम करती हैं। किंकर्तव्यविमूढ़ता में व्यक्ति यह मानने में विफल होता है कि ऐसे विकारों से कितनी गिरावट का सामना उसे करना पड़ा। गिरना सरल है और एक बार गिरने पर व्यक्ति बार-बार और भी ज्यादा गिरता जाता है, जबकि अगर कहीं गिर जाए तो उठकर संभलना और संभलकर चलना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है।

अज्ञानता में मनुष्य ऐसा समझते हैं जैसे वे लाखों वर्षों के लिए आए हैं और कभी नहीं जाएंगे। वे भ्रम में जीते हैं। संसार में जो भी पैदा हुआ है, उसे देर-सबेर नष्ट होना है। झूठी शान-शौकत के चक्कर में वह अपने अस्तित्व को सही पहचानने में नाकाम दिखता है। अगर हमें ठीक से जीना है तो अपने बाह्य और आंतरिक रूप को पहचानने, समझने और उसके नवनिर्माण की बीड़ा गंभीरता से उठाना चाहिए। जिसने अपना सही मूल्यांकन करना सीख लिया, वह बहुत-सी समस्याओं और विकारों से बच भी जाता है। यह तभी संभव है, जब व्यक्ति अहंकारी हवा से नहीं फूलता है, अपनी कमी निरपेक्ष भाव से देखता है, किसी भी परिस्थिति में हुए सही या गलत कर्म की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर लेता है। ज्यादा दिक्कत पाखंडी केंचुली से होती है। संयोगवश जब यह उतरती है तो व्यक्ति खुद को हल्का महसूस करता है।

अमूमन व्यक्ति छोटी-बड़ी सफलता का श्रेय खुद को देता है और विफलता का ठीकरा दूसरों के माथे पर फोड़ता है। थोड़े से कर्म से ज्यादा पाने की लालसा उसे बुरी तरह जकड़ लेती है। भाग्य से मिली सफलता में वह खुद को खिलाड़ी मानता है और इठलाता है। याद रखना चाहिए कि जो भाग्य हमें उठाता है, वही जब पटकनी देता है तो तब हम खुद के कर्म को दोषी ठहराने में नितांत कंजूसी करते हैं। दूसरों की अपेक्षा विकास का मुकाम ज्यादा हासिल होने से इंसान फूला नहीं समाता और खुद को कुशल, सक्षम व कर्मसाधना का मालिक मान बैठता है।

इंसानी जीवन में स्वार्थ का बहुत महत्त्व है। स्वार्थ जब हित के साथ जुड़ा रहेगा, तब वह ज्यादा विकृत नहीं होता। संसार में दूसरे से काम पड़ना जुड़ाव का बहुत बड़ा साधन है। दिक्कत तब आती है जब खुद के स्वार्थराग को आगे रख दूसरों के साथ आचरण करते हैं। कोई भी आमतौर तब तक सहयोग करता है, जब तक आप उसकी नजरों में स्वार्थी नहीं होते। विकास की तथाकथित चूहादौड़ में समाज का जिस तेजी से नैतिक पतन हो रहा है, वह हमें उतना ही स्वार्थ जंजाल में जकड़ रहा है। चतुराई, धोखा, गुमराह करने की आदत, गैर-जिम्मेदारी से कुछ भी बोलना, मनमर्जी का आचरण, घटिया सोच, संवेदनशीलता का अभाव, नीचा दिखाने में दिलचस्पी, धन-माया का बढ़ता अंधमोह आदि ऐसे विकार हैं, जो हमें स्वार्थ की चाशनी से बाहर नहीं आने देते।

धन, शक्ति, शिक्षा, जाति, संख्याबल आदि से युक्त व्यक्ति अपने को बड़ा और ताकतवर मानने लगता है। ऐसे में सही और गलत के प्रति वह अपनी आंखें चाहे-अनचाहे मूंद लेता है। सूझबूझ वाला व्यक्ति सोचता है कि कोई उसकी सलाह या नसीहत का बुरा न मान ले। ऐसा असमंजस समाज में बहुत कुछ गलत होने से बचा नहीं पाता। अगर किसी ने कुछ दिलेरी दिखाई तो वह भी भयाक्रांत रहता है। कुछ लोग इसी कारण गलत को चाहे-अनचाहे झेलते रहते हैं।

व्यक्ति अपने विकार दूर नहीं करना चाहता है, पर खुश रहने की चाह पाले रहता है। अगर हमारी आदतों में अहंकार, पाखंड, संकीर्णता, विचलन आदि है तो हमें कमजोर करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं। जीवन की उठा-पटक सहज बनानी है तो प्रतिदिन अपने विकारों की धार कम करने के लिए सच्चे अर्थों में प्रयत्नशील रहेंगे, तभी जीने का उद्देश्य सफल हो सकता है। यह कोई असंभव नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है। हमें अपनी दुष्प्रवृत्तियों को अभ्यास से निरंतर तलाशना, तराशना और कम करने की गूंज पर काम करना है। असलियत में जब हम अपनी गलतियां समझना, मानना और उनका निवारण शुरू करते हैं तो यह मार्ग सरल हो जाता है। इस चिंतन-चेतना से कुछ समय बाद हम पाएंगे कि हम खुद के काफी नियंत्रण में हैं। इससे जीवन काफी सहज बनेगा। निस्संदेह कर्म एक ऐसा भोजनालय है, जहां हमें कुछ आदेश देने की जरूरत नहीं। यहां वही मिलता है, जो हमने पकाया है।

दुनिया मेरे आगे

> व्यक्ति अपने विकार दूर नहीं करना चाहता है, पर खुश रहने की चाह पाले रहता है। अगर हमारी आदतों में अहंकार, पाखंड, संकीर्णता, विचलन आदि है तो हमें कमजोर करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं।

मतदान का औजार

विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी वाले देशों में भारत प्रथम स्थान पर है। ऐसे में आगामी लोक सभा चुनावों में युवा भागीदारी को देखना आवश्यक है। चुनाव आयोग के अनुसार आगामी चुनाव में नए मतदाताओं की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। चुनावों को लेकर इन मतदाताओं में उत्साह और असमंजस की मिली-जुली स्थिति देखने मिलती है। एक ओर वे पूर्वाग्रहों से कुछ हद तक मुक्त होते हैं और अधिक निरपेक्षता से निर्णय ले पाने में सक्षम हो सकते हैं तो दूसरी तरफ बहुत से युवा सही राजनीतिक मूल्यांकन नहीं कर पाते और भ्रांतियों, दावों और प्रचारों का सरलता से शिकार हो जाते हैं। नए मतदाताओं की संख्या का एक हिस्सा मतदान के महत्त्व और राजनीतिक प्रणाली की समझ की अपर्याप्त जागरूकता के कारण मतदान में भाग नहीं ले पाता, जिसके दुष्परिणाम देश के विकास में बाधक बनते हैं। चुनावों में नए मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी, लोकतंत्र को दृढ़ता प्रदान करने, युवा मुद्दों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और सामाजिक प्रगति को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण है।

– खुशी श्रीवास्तव, शाहदरा, दिल्ली

बचपन की जरूरत

'बचपन पर मंडराता खतरा' (लेख, 5 मार्च) पढ़ा। इसमें भारत के बच्चों की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है। बच्चे खिलखिलाते बचपन के साथ ही अच्छे लगते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा रहने का वातावरण मिले, इसका प्रावधान भारत के संविधान में है। जब भी कोई बालक श्रम करता दिखता है तो ऐसा लगता है कि हम लोग संविधान को नहीं मानते। हमें भारत के भविष्य को उनके वर्तमान के साथ समझौता करके नहीं बनाना चाहिए। 'छोटू चाय लाना' कहकर हम इस बात पर बहुत विचार-विमर्श करते हैं। मगर 'छोटू' को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए काम करना पड़ रहा है। ऐसे हालात क्यों और कैसे आए? समाज की सोच में परिवर्तन लाने वाली चर्चा होनी चाहिए। सरकार को नियमों के पालन के लिए सख्त रुख अपनाना चाहिए। हम सबका यह दायित्व बनता है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को सही शारीरिक और मानसिक पोषण दें और उनका बचपन बचपन की तरह बीते।

– इंदु मणि, जयपुर, राजस्थान

आत्मनिर्भरता की ओर

आज के डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल हर किस्म के उपकरणों में होने लगा है। इनके उपयोग से बिजली की बचत के साथ ही उपकरणों के भार में कमी भी आई है। जैसे-जैसे डिजिटल क्रांति का विकास हो रहा है, इन चिपों की मांग भी बढ़ती जा रही है। अभी हम अमेरिका, ताइवान और चीन से महंगे सेमीकंडक्टर आयात कर रहे हैं, जिससे उपकरणों की लागत भी बढ़ रही है, पर अब आने वाले समय में हमारी अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी और सेमीकंडक्टर का निर्माण हमारे देश में ही होने लगेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने तीन सेमीकंडक्टर इकाई लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे देश की प्रतिभाओं को रोजगार मिलेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में हम भी सेमीकंडक्टरों का निर्यात करने लगेंगे।

– संजय डागा, हातोद

बेलगाम सवारी

कुछ बिगड़ैल युवा सड़कों पर बिना वैध कागजात के वाहन लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं, वे या तो अपने रौब या फिर अपने संपर्क सूत्रों की वजह से यातायात पुलिस की कार्रवाई से बच निकलते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं पुलिस उनकी अनदेखी तो नहीं करती है! वैसे बिगड़ैल युवा मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकलवा कर बस्तियों में घुस जाते हैं और बड़ी शान से पटाखों जैसी आवाज निकालते हुए गुजरते हैं ऐसा करके ये लोगों को भयाक्रांत करना चाहते हैं। इसी तरह कहीं-कहीं ये लोग 'हूटर' की आवाज निकालते हुए गुजर जाते हैं, मगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती। एक भद्र नागरिक चाहते हुए भी ऐसे युवाओं को इसलिए कुछ नहीं कह पाता कि पता नहीं, उन्हें कैसी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़े। प्रशासन को इस पर सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए।

– नरेंद्र टोंक, मेरठ

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

https://t.me/AllNewsPaperPdf

www.readwhere.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 12 मार्च, 2024

दैनिक जागरण

कोई भी परिवर्तन आरंभ में कठिन प्रतीत होता है

सीएए पर सही फैसला

आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियम अधिसूचित कर दिए गए। अच्छा होता कि यह कानून और पहले अमल में आ जाता, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक को दिसंबर 2019 में ही संसद की स्वीकृति मिल गई थी। इतनी देरी से इस कानून को लागू करने का एक कारण उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना दिखता है। यह विरोध इस शरारत भरे दुष्प्रचार की देन था कि यदि यह कानून लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस दुष्प्रचार में कथित सिविल सोसायटी के लोग ही नहीं, बल्कि कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। वे जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर उसे सड़कों पर उतार रहे थे, जबकि इस कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना-नहीं। वास्तव में यह नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि देने का कानून है। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पंथ-मजहब के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है, जो 2014 के पहले भारत आ चुके हैं। यह एक तथ्य है कि अफगानिस्तान हिंदुओं-सिखों से करीब-करीब खाली हो चुका है और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक बुरी तरह उत्पीड़न का शिकार हैं। वे अपना अस्तित्व बचाने की हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सामने जान गंवाने, पलायन करने या न चाहते हुए भी इस्लाम स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। यह समय की मांग है कि 2014 के बाद भी तीनों पड़ोसी देशों से लुट-पिटकर भारत आए प्रताड़ित लोगों को राहत देने पर विचार किया जाए।

सीएए लागू होने के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। दिल्ली की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग सरीखे किसी धरने को सहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन राजनीतिक दलों को धिक्कारा जाना चाहिए, जिन्होंने इस कानून के विरोध के बहाने राजनीतिक रोटियां सेंकने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किस तरह ओछी राजनीति की, इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। वोट बैंक की सस्ती और गंदी राजनीति के चलते संघीय ढांचे के खिलाफ यह काम जानबूझकर इसके बाद भी किया गया कि किसी को नागरिकता देने में राज्य सरकारों की कहीं कोई भूमिका नहीं। यह केंद्र के अधिकार वाला विषय है। यह समझ आता है कि कोई यह मांग करे कि मानवीय आधार पर तीनों पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के साथ अन्य को भी नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में लाया जाए, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि जब तक ऐसा कुछ नहीं होता, तब तक किसी को भी नागरिकता देने की पहल का विरोध किया जाए। यह विरोध अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं।

अपराधियों में भय जरूरी

आमजन तभी सुरक्षित और निडर रहकर जीवन व्यतीत कर सकता है, जब समाज अपराध से मुक्त हो। जब आपराधिक वारदातें बढ़ती हैं तो पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। पंजाब में आपराधिक गिरोह बहुतायत में हैं। लगभग हर दिन कहीं न कहीं से अपराधियों के दुस्साहस की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इनमें व्यापारियों और उद्योगपतियों से रंगदारी मांगने की घटनाएं भी शामिल हैं। हाल ही में एक अभिनेत्री के पिता को भी जान से मारने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। दावा किया गया है कि उन्हें धमकी भरा फोन पाकिस्तान के नंबर से आया था। हालांकि राहत की बात यह है कि पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा भी कस रही है। गत दिवस भी पंजाब पुलिस ने मोहाली में एक मुठभेड़ में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों को गोलियां भी लगी हैं। इससे पहले भी पुलिस कई अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है। अपराधियों का हौसला तभी पस्त किया जा सकता है, जब उनमें पुलिस और कानून का डर होगा। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। पुलिस यदि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करती रही तो निस्संदेह ऐसा संभव है। आम लोगों का भी यह दायित्व है कि वह अपराधियों की जानकारी पुलिस को जरूर दें। कई बार अपराधी इसलिए वारदात करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस को जनता का सहयोग नहीं मिल पाता। पुलिस की सख्ती और आमजन के सहयोग से ही अपराधियों का पूरी तरह से अंत हो सकता है, इसलिए लोगों को भी अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करना चाहिए।

व्यापार नीति में बड़ा बदलाव

विवेक देवराय

भारत की व्यापारिक रणनीति का व्यापार घाटे को घटाने और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित होना एक शुभ संकेत है

आदित्य सिन्हा

विकसित एवं विकासशील देशों के बीच साझेदारी के माध्यम से आकार लेने वाले क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए) आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाने में बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे समझौतों से विकासशील देशों को विकसित देशों के समृद्ध बाजारों तक पहुंच मिलती है। अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के साथ ही संभावित निवेश के लिए विकसित देशों के बाजारों का अपना आकर्षण है। बड़े एवं विकसित बाजारों के साथ जुड़ाव किसी भी देश को नवाचार के लिए प्रेरित करने के साथ ही उसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे आर्थिक विविधीकरण एवं वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इस महत्ता को समझते हुए ही भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी अनुबंध यानी टीईपीए पर सहमति बनी है। यह समझौता इसका प्रमाण है कि भारत जैसा देश विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बाजार तक पहुंच और निवेश अवसरों से कैसे लाभ उठा सकता है। एक लंबी वार्ता के बाद इसके सार्थक एवं अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं।

बीते दो दशकों के दौरान ईएफटीए-भारत व्यापार रिश्ते निरंतर प्रगाढ़ होते गए हैं। वर्ष 2022 में दोनों पक्षों के बीच कुल वस्तु व्यापार 6.1 अरब डालर को पार कर गया। व्यापार की पड़ताल करें तो उसमें वस्तुओं का व्यापक विनिमय दिखता है, जिसमें ईएफटीए ने भारत से आर्गेनिक रसायनों का आयात किया और भारत को मुख्य रूप से मशीनरी और दवा उत्पादों का निर्यात किया। परवान चढ़ते ये व्यापारिक रिश्ते टीईपीए के संभावित फायदों को रेखांकित करते हैं। वैश्विक विनिर्माण मानचित्र पर चीन की जगह लेने से जुड़ी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत ने आरटीए की रणनीति को अपनी आर्थिक सक्रियता-सहभागिता में के केंद्र में रखना आरंभ किया है। वर्ष 2020 में हमने एक विश्लेषण किया था, जिसमें उस रुझान का संज्ञान लिया गया था कि वैश्विक कंपनियां किस प्रकार चीन से इतर अपनी विनिर्माण इकाइयां लगाने की योजना पर काम कर रही थीं। इस रणनीति को 'चाइना प्लस वन' नाम मिला था। उसमें देखा गया गया कि तमाम कंपनियां पूर्वी एशियाई देश वियतनाम को वरीयता दे रही थीं। जब इसके पीछे के कारकों की पड़ताल की गई तो पता चला कि वियतनाम को वरीयता मिलने में कई विकसित देशों के साथ उसके आरटीए की अहम भूमिका रही। इन अनुबंधों के नेटवर्क ने वियतनाम को वैश्विक आपूर्ति

अवधेश राजपूत

श्रृंखला में एक अहम खिलाड़ी बना दिया।

यदि भारत और वियतनाम के रणनीतिक व्यापार गठबंधनों की बात करें तो वे आर्थिक साझेदारियों के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं। वियतनाम के व्यापार समझौते मुख्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ हो रहे थे, जहां आर्थिक लाभ और वृद्धि के व्यापक अवसर विद्यमान हों। दूसरी ओर भारत का जोर अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ अनुबंधों पर केंद्रित था। इसमें भू-राजनीतिक रणनीति, भारत से होने वाले निर्यात की प्रकृति और संभावित विकसित देशों के नियामकीय परिदृश्य जैसे पहलू प्रभावी थे। विकासशील देशों के साथ ऐसे समझौतों से क्षेत्रीय एकजुटता और साझा वृद्धि को तो बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन स्थापित बाजारों में प्रवेश के मोर्चे पर कायम चुनौतियां भी रेखांकित होती हैं, जहां अमूमन जटिल व्यापारिक बाधाएं और प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है। इस दौरान भारत ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशियाई देशों के साथ आरटीए पर बात आगे बढ़ाई। आंकड़ों के अनुसार इनमें से कई आरटीए पर बात 2007 से 2011 में संप्रग सरकार के दौरान शुरू हुई थी। उन समझौतों में लाभ का संतुलन भारत के व्यापारिक साझेदारों के पक्ष में झुका हुआ था। इससे इन देशों को भारत के बड़े बाजार में निर्यात के अवसर मिले, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। यानी लाभ का पलड़ा संतुलित नहीं था।

मौजूदा सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लिया और व्यापार समझौतों में एक अलग एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। वर्ष 2020 के बाद भारत कई विकसित देशों के साथ आरटीए और मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए कर चुका है। कई समझौतों पर वार्ता जारी है। आस्ट्रेलिया के साथ हुआ व्यापार समझौता इसकी एक बड़ी मिसाल है। भारत ने करीब दशक भर बाद किसी विकसित देश के साथ ऐसा समझौता किया। इसमें वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार को बढ़ावा देने सहित व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम किया गया। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ। वर्ष 2022 में हुए इस समझौते का लक्ष्य पांच वर्षों के भीतर द्विपक्षीय वस्तु व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डालर तक करने का है, जिसे वर्ष 2030 तक 250 अरब डालर करने का लक्ष्य है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन की उम्मीदें हैं।

इस समय भारत ब्रिटेन के अलावा इजरायल और खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की संभावनाएं तलाश रहा है। ये वार्ताएं और समझौते एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें दुनिया की विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहभागिता बढ़ाकर भारत के आर्थिक एवं रणनीतिक हितों को पोषित करना है। ये भारत की व्यापारिक रणनीति में एक बड़े परिवर्तन का प्रमाण है, जिसमें व्यापार घाटे को घटाने और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन समझौतों के बहुआयामी लाभ देखने को मिलेंगे। इनसे व्यापार में तेजी, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, रोजगार सृजन के स्तर पर बेहतर स्थितियां बनेंगी। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार नेटवर्क पर भारत की पकड़ भी मजबूत होगी।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

समय पर न्याय मिलने की आस

सीवीपी श्रीवास्तव

औपनिवेशिक अपराध विधियों में बदलाव देश की विधि प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन है

अर्थपूर्ण न्याय की दिशा में सकारात्मक पहल। फाइल

स्वतंत्रता, समानता और न्याय भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के तीन अंतर्निहित सिद्धांत हैं। भारत में न्याय शासन का मुख्य संचालक है। स्वतंत्रता और समानता इसके दो आधार स्तंभ हैं, जिन पर न्याय का पूरा ढांचा टिका है। प्रश्न है कि क्या न्याय मुख्य रूप से कानूनी होना चाहिए या प्राकृतिक? संविधान के ढांचे में अर्थपूर्ण न्याय देने का विचार अंतर्निहित है, जिसका अर्थ है अन्याय को दूर कर न्याय उपलब्ध कराना। यानी कानूनी और प्राकृतिक न्याय, दोनों से ही अर्थपूर्ण न्याय मिलना चाहिए। हालांकि यदि किसी मामले में कानूनी न्याय अर्थपूर्ण न्याय देने में सक्षम नहीं है तो प्राकृतिक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यही भारत के उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली का मूल मंत्र रहा है, जिसने हाल में अपनी हीरक जयंती मनाई है। संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि मितव्ययी न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली एक ऐसी प्रणाली बनाई जानी चाहिए, जो प्रक्रियात्मक बाधाओं से स्वतंत्र रहे। दूसरे शब्दों में न्याय प्रणाली में सभी की समावेशिता ही लोकतंत्र को समावेशी बनाएगी। शायद यही कारण है कि न्यायपालिका वर्षों से ऐसी बाधाओं को दूर करने और अर्थपूर्ण न्याय देने के लिए कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रयासरत है। इसके बावजूद अभी भी कुछ गंभीर चुनौतियां कायम हैं, जिन्हें यथाशीघ्र दूर करना होगा, क्योंकि सभी के लिए न्याय तक पहुंच विकसित भारत के मूलभूत स्तंभों में से एक होगी।

समय पर न्याय न मिलना एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान होना ही चाहिए, क्योंकि अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। न्यायिक समावेशन की दिशा में ई-कोर्ट परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य सभी न्यायालयों को आपस में जोड़कर, कागज रहित न्यायालयों के बुनियादी ढांचे की स्थापना, डिजिटलीकरण द्वारा उनके कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नागरिक-केंद्रित सूचना एवं प्रौद्योगिकी पहल की, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डिजी एससीआर), डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट शामिल है। सरकार द्वारा न्यायपालिका की सुदृढ़ता के लिए ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराने की पहल भी सराहनीय है। यह न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगी। आधारभूत ढांचे का निर्माण लंबित मामलों की संख्या घटाएगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक नए भवन के निर्माण का कार्य 27 अतिरिक्त न्यायालयों का प्रविधान करेगा। दूसरी ओर, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही स्थगन की संस्कृति को नियंत्रित करने और न्याय तंत्र में तकनीकी प्रयोग पर बल दिया है, जिससे न्यायपालिका में कार्यात्मक गतिशीलता बढ़ी है।

यह स्मरण रहे कि किसी भी न्याय तंत्र की कार्यकुशलता कानूनों के आधुनिकीकरण और उनके क्रियान्वयन के दृष्टिकोण पर व्यापक रूप से निर्भर करती है। इस दिशा में मौजूदा केंद्र सरकार अप्रासंगिक कानूनों को सुधारात्मक कानूनों से प्रतिस्थापित करने या उन्हें निरस्त करने का कार्य कर रही है। अब तक ऐसे 1827 कानूनों को चिह्नित कर 125 को निरस्त किया जा चुका है। संसद के पिछले सत्र में एक विधेयक पारित किया गया, जो और 76 ऐसे कानूनों को निरस्त करेगा।

भारत की विधिक प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन औपनिवेशिक अपराध विधियों का बदलाव है। यहां इस बदलाव के तर्क पर विचार करना आवश्यक होगा। भारतीय दंड संहिता के बदले न्याय संहिता का निर्माण विधि के सकारात्मक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। औपनिवेशिक भारत में राज्य का उद्देश्य दंड देना था, जबकि नए कानून में दंड देना जरिया होगा और अंतिम उद्देश्य न्याय देना होगा। न्याय प्रणाली को तभी प्रभावशाली कहा जाएगा जब अभियुक्त और पीड़ित, दोनों के ही अधिकारों में संतुलन हो। न्याय संहिता में मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर पहले मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता औपनिवेशिक दृष्टिकोण वाली थी, जिसके कारण अभियुक्त के प्रति एक पूर्वाग्रह की आशंका होती थी। नई नागरिक सुरक्षा संहिता अपने नाम से ही सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट कर रही है कि इसका उद्देश्य सुरक्षा देना है, न कि बदले की भावना से मुकदमा चलाना। अपराध विधियों में बदलाव से समय पर न्याय मिलने की जो आस जगी है, वह पूरी होनी चाहिए। इसी के साथ न्यायपालिका में सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना अनिवार्य है, जो नैसर्गिक न्याय की सुरक्षा करेगा और न्याय तंत्र को समावेशी भी बनाएगा। इसके साथ ही स्थगन की संस्कृति का नियमन त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में भी योगदान देगा।

एक सरकारी आंकड़े के अनुसार पिछले छह वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त 650 न्यायाधीशों में से 75.7 प्रतिशत (492 व्यक्ति) सामान्य श्रेणी से थे। केवल 3.54 प्रतिशत (23 व्यक्ति) अनुसूचित जाति वर्ग से, 1.54 प्रतिशत (10 व्यक्ति) अनुसूचित जनजाति वर्ग से, 11.7 प्रतिशत (76 व्यक्ति) अन्य पिछड़ा वर्ग से और 5.54 प्रतिशत (36 व्यक्ति) अल्पसंख्यक समुदाय से थे। महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत कुल संख्या का 9.5 प्रतिशत और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यक्षमता का 13.6 प्रतिशत है। कुल मिलाकर यह कहा जाना चाहिए कि बदलती परिस्थितियों में न्यायपालिका अपनी भूमिका को गतिशील बनाने के लिए कटिबद्ध तो है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय समाधान और न्याय की संस्था है। यह संस्था संपूर्ण न्याय तंत्र को इस रूप में दिशा दे रही है कि न्यायपालिका को अन्याय, अत्याचार और स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध एक ढाल के रूप में काम करना चाहिए।

(लेखक सेंटर फार अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

क्रोध और मौन

क्रोध और ईर्ष्या अज्ञान के कारक हैं, जबकि मौन और तप ज्ञान के। ज्ञानी व्यक्ति दूसरे को सुख देकर स्वयं आनंदित होता है। वहीं अज्ञानी व्यक्ति दूसरों को सता कर, पीड़ा देकर, उनके मार्ग को अवरुद्ध कर सुख पाता है। ज्ञान और मौन सदैव सृजनात्मक एवं भविष्यलक्षी होते हैं, जबकि क्रोध एवं अज्ञान नितांत विध्वंसात्मक और तात्कालिक। ज्ञानी स्वयं के साथ-साथ, परहित और परमार्थ का कार्य करता है, जबकि अज्ञानी स्वयं के साथ-साथ दूसरे के अनिष्ट हेतु ही कृत्संकल्पित होता है। उससे चाहकर भी पुण्य का कार्य सुलभ नहीं होता है। ज्ञान विगत जन्मों के पुण्यों के संचित गुणधर्मों का प्रतिफल होता है, वहीं अज्ञान कृत पापों का छलछलाता समूह।

सुगंध से कभी दुर्गंध आ नहीं सकती और दुर्गंध से कभी दुर्गंध जा नहीं सकती। क्रोध और मौन रात और दिन के समान हैं। चरित्र, गुणधर्म एवं उपादेयता की दृष्टि से दोनों नितांत विपरीत होते हैं। विचार एवं आचरण की उत्कृष्टता के अभाव में व्यक्ति के जीवन की गरिमा समयचक्र के बीतते ही धूल-धूसरित हो जाती है। त्यागी, तपी और परमार्थी साधक इस संसार से जाने के बाद भी स्मरणीय एवं वंदनीय होता है। विषय-भोगी, पद या सत्ता का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति क्षण-क्षण जीते-जी ही मरता रहता है।

क्रोध की प्रचंड अग्नि किसी भी दुर्बल व्यक्ति के विवेक और बुद्धि के साम्राज्य का संहार कर सकती है। इसके विपरीत मौन क्रोध को जीतने का दिव्यास्त्र ही नहीं, बल्कि बुद्धि-विवेक का अपूर्व रक्षा-कवच भी है। क्रोध के आते ही मनुष्य के जीवन से प्रेम, सौंदर्य, सद् विचार, माधुर्य, लालित्य, अपनत्व एवं आनंद जैसे श्रेष्ठ गुणधर्म सदा-सदा के लिए उसका साथ छोड़ देते हैं। वहीं मौन के वृक्ष पर शांति एवं आनंद के फल और क्रोध के वृक्ष पर विनाश एवं पश्चाताप के फल लगते हैं। यह हमें निश्चय करना है कि विध्वंस का मार्ग अपनाना है अथवा सृजन का।

प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश'

समस्या बनते आवारा कुत्ते

देवेंद्रराज सुथार

आज आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों और बड़ों, दोनों को काटना चिंता का विषय बन गया है

कुत्तों द्वारा इंसानों को काटने की घटनाएं देशभर में सुर्खियां बन रही हैं। गत दिनों राजस्थान के अलवर जिले में आवारा कुत्तों के हमले में नौ साल की एक बच्ची की जान चली गई। इसी तरह हैदराबाद, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली और सूरत जैसी जगहों पर भी आवारा कुत्तों के हमले से लोगों की जान चली गई। आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों और बड़ों, दोनों को काटना चिंता का विषय बन गया है। स्टेट आफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स-2021 के अनुसार, भारत में लगभग 6.2 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। भारत में आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों के मामले आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़ों के अनुसार, हर साल वैश्विक स्तर पर कुत्तों के हमलों से 55,000 से अधिक लोग जान गंवा देते हैं, जिसमें रेबीज के कारण होने वाली वैश्विक मौतों में से 36 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं। एक गैर सरकारी संगठन 'एसोसिएशन फार द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आफ रेबीज इन इंडिया' का हवाला देते हुए गत दिनों कहा गया था कि देश में कुत्तों के काटने के सालाना लगभग 1.74 करोड़ मामले होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से मामले दर्ज ही नहीं हो पाते।

देश में जिम्मेदार पशुपालकों और आवारा जानवरों के प्रबंधन की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाते देखना सामान्य है। ये कुत्ते अक्सर पैदल चलने वालों और मोटर चालकों के लिए खतरा पैदा करते हैं। खतरनाक नस्लों सहित पालतू कुत्तों को बिना पट्टे के घुमाने की प्रथा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम को और बढ़ा देती है। इस समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। संबंधित अधिकारियों के लिए सख्त नियमों को लागू करना और पशुपालकों को उनकी जिम्मेदारी का अहसास दिलाना जरूरी है। इसमें पालतू कुत्तों के पंजीकरण और टीकाकरण को अनिवार्य करने के साथ-साथ आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त नागरिकों को आवारा कुत्तों को खिलाने से जुड़े जोखिमों के बारे में भी शिक्षित करने की आवश्यकता है। आवारा कुत्तों की समस्या के निदान के लिए उपचार और प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में निवेश की दरकार है। इसमें पशु आश्रयों और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, जहां आवारा कुत्तों को सही देखभाल के साथ रखा जा सकता है। इन सबके बावजूद एक ऐसे समाज के निर्माण की भी जरूरत है जहां इंसान और जानवर दोनों सौहार्दपूर्ण ढंग से रह सकें। इसके लिए जानवरों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव, सहानुभूति, करुणा और जिम्मेदार प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

नकल और पेपर लीक की घातक प्रवृत्ति

'शिक्षा नीति में है पर्चा लीक का समाधान' शीर्षक से लिखे आलेख में प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता कि 'शिक्षा व्यवस्था में बढ़ रही भ्रष्ट प्रवृत्तियां व्यवस्था की साख को दीमक की तरह नष्ट कर रही हैं' वर्तमान शासन-प्रशासन के साथ देश के जिम्मेदार नागरिकों के लिए भी चिंता का विषय बननी चाहिए। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के मजबूत और कारगर उपाय क्या हो सकते हैं? इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न करवाने की जिम्मेदारी जितनी शासन-प्रशासन की है, उससे कहीं अधिक उन अभिभावकों की भी है, जो अपने पाल्य को सही दिशानिर्देश देने के बजाय गलत रास्ते से परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करवाने की जुगत में रहते हैं। इस सेंधमारी में उन कोचिंग संस्थानों की नकारात्मक भूमिका से इन्कार नहीं किया सकता, जो मोटी रकम के बदले परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को उपलब्ध कराने की गारंटी लेने के आपराधिक कृत्य में शामिल रहते हैं। यह जानते हुए भी कि परीक्षा में नकल और पेपर लीक से लाखों प्रतिभाशाली युवाओं के अरमानों पर पानी फिर जाएगा, फिर भी पैसे का लालच इनको अपराध के दलदल में धकेल देता है। परीक्षा व्यवस्था से जुड़े जिन जिम्मेदार लोगों ने अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से नहीं किया है, उन्हें भी इस अपराध का दोषी मानते हुए कठघरे में खड़ा करने की जरूरत है। परीक्षा की शुचिता पर आघात करने वाले परीक्षार्थियों, उसे प्रोत्साहन देने वाले अभिभावकों, परीक्षा व्यवस्था में सेंधमारी करने वाले अपराधियों और इस सेंधमारी को रोक पाने में अक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों का अपराध सिद्ध होते ही उनकी नकारात्मक भूमिका के अनुरूप एक साथ कड़ी सजा देने की कारगर कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिए।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़

ड्रोन दीदी

नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत की महिलाओं का सशक्तीकरण किया जाना है। वहां की महिलाएं आधुनिकता के वरण के साथ-साथ कृषि में भी महत्वपूर्ण योगदान कर सकेंगी। उनकी कमाई भी होगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी। उनको निश्शुल्क प्रशिक्षण के साथ वेतन भी मिलेगा। प्रशिक्षण से कृषि कार्य सरलता से कम समय में हो सकेंगे। पिछले वर्ष प्रारंभ की गई इस योजना में 500 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 20 राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूह को पूर्व में 446 ड्रोन वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना को कार्यरूप देने के लिए केंद्र सरकार ने 1,261 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना को पूरे देश के कृषि विज्ञान केंद्र लागू करेंगे। देश में लगभग 10 करोड़ महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह का हिस्सा हैं, उन्हीं के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं ड्रोन दीदी बन सकेंगी।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

ईएफटीए पर सावधानी आवश्यक

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी बहुत स्वागत योग्य कदम है। भारत सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक साझेदार है, जो सहयोगी देशों के दोहन अथवा शोषण के बिना आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखता है। हालांकि इसमें भी बहुत सतर्कता आवश्यक है। भारत के व्यापार खाते में घाटा न हो इसका ध्यान रखना होगा। जैसी स्थिति चीन के साथ है। यूरोपीय देशों की सबसे बड़ी आवश्यकता पेट्रोलियम उत्पादों, अनाज, मैटल, मिनरल, रासायनिक, इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों, टेक्नोलाजी की है। वहीं यूरोपीय देशों में दवाओं के पेटेंट और बड़े दवा निर्माता हैं, जिसमें हम चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। मुक्त व्यापार समझौतों के साथ व्यापार करने के लिए हम उन देशों में अपने विशाल वेयरहाउसिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कोई बाधा न खड़ी हो। यूरोपीय देशों में प्रवासी भारतीयों को भी भारतोन्मुख व्यापार में साझेदार बनाया जाए तो अच्छा होगा और यह आसान भी है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

न्यायपूर्ण नागरिकता

लगभग चार वर्ष के इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम अर्थात सीएए को देश भर में लागू करके न केवल अपने आलोचकों को चौंकाया है, बल्कि देश अपने लोगों की नागरिकता सुनिश्चित करने की जरूरी दिशा में बढ़ चला है। इस नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले मुस्लिमों को अब भारत में सहजता से नागरिकता नहीं मिलेगी, जबकि इन देशों से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई व अन्य धर्म के लोगों को सहजता से नागरिकता हासिल हो जाएगी। कानून के तहत पात्र लोग नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। गौर करने की बात है कि पिछले दिनों से अनेक नेता सीएए के लागू होने के संकेत दे रहे थे। यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि आम चुनाव से पहले ही सीएए को लागू कर दिया जाएगा। चुनाव की घोषणा के ठीक पहले सीएए को लागू कर सरकार ने अपना एक वादा पूरा कर दिया है।

दरअसल, सीएए एक ऐसा मोर्चा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार की आलोचना हो रही थी। सीएए का विरोध करने वाले ज्यादातर लोग शांत थे और अनेक लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे थे। वाकई, संसद में 11 दिसंबर, 2019 को सीएए पारित हो गया था, और कुछ ही घंटों में कानून को अधिसूचित भी कर दिया गया था, पर इसके लिए नियम तय नहीं हुए थे। कानून बन जाने के बाद नियम तय करना जरूरी होता है और नियम तय करने के लिए सरकार लगातार समय ले रही थी। इस वजह से सरकार की आलोचना भी हो रही थी। बहरहाल, नियम न तय होने से आगे नई लोकसभा में तकनीकी परेशानियां आ सकती थीं, अतः केंद्र सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इस कार्य को अंजाम देकर एक तरह से अपना ही अधूरा काम पूरा किया है। अब चुनाव में साफ तौर पर सीएए विरोधियों के पास यह मौका होगा कि वे लोगों के बीच अपनी बात रखें। मतलब, आगामी चुनाव एक तरह से सीएए पर जनमत संग्रह जैसा होगा। यहां यह याद करने की बात है कि सीएए लागू करने का वादा पिछले लोकसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया गया प्रमुख मुद्दा था और इससे भाजपा को चुनाव में बहुत फायदा भी हुआ था।

लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले देश में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) लागू करके सरकार ने अपना एक वादा पूरा कर दिया है।

देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, जो मानते हैं कि भारत का विभाजन मुस्लिमों की अलग राष्ट्र की मांग की वजह से हुआ था, अतः जिन मुस्लिमों ने भारत छोड़कर अलग देश में रहना चुना, उन्होंने भारत की नागरिकता मांगने का हक खो दिया। दूसरी ओर, सीएए का विरोध करने वालों का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिमों के साथ भारतीय नागरिकता देने में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक तर्क यह भी है कि धर्मनिरपेक्ष भारत में नागरिकता का फैसला किसी की आस्था के आधार पर नहीं होना चाहिए। बहरहाल, अपने देश में धर्म की राजनीति नई नहीं है, इसके पक्ष और विपक्ष में लगभग हर पार्टी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। बेशक, राजनीति से अलग होकर सोचना ज्यादा जरूरी है। जो मजबूर लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश से भारत में आए हुए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान देश के लिए प्राथमिकता होनी ही चाहिए। भूलना नहीं चाहिए, नागरिकता का तार्किक व मानवीय वितरण इस देश की 'वसुधैव कुटुंबकम्' की संस्कृति का अंग है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 12 मार्च, 1949

ऊंचा उठने की जरूरत

मानव स्वभाव में यह कमजोरी प्रायः देखी गई है कि लक्ष्य-सिद्धि के निकट पहुंचने पर लक्ष्य-निष्ठा की ओर से बेपरवाही आ जाती है।... उसका दुष्परिणाम नहीं होता, ऐसा कहना कठिन है। लक्ष्य-सिद्धि में आगे बढ़े हुओं के ऐसे रुख से उनके पीछे चलने वालों को सही मार्ग-प्रदर्शन नहीं मिल पाता और ऐसे प्रश्न अथवा विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जो नहीं होने चाहिए। वृहत्तर राजस्थान का निर्माण अब सन्निकट और निश्चित है तब कुछ ऐसे ही वातावरण की भनक वहां से आ रही है, यह देखकर हमें आश्चर्य और खेद होता है।

राजस्थान और उसके निवासियों के लिए यह गर्व की बात है कि विभिन्न राज्यों के एकीकरण की दिशा में अब तक निर्बाध प्रगति हुई है। गर्वीले राजाओं ने विलीनीकरण पर सहमति दे दी है और लोकपक्ष ने नये शासन का भार सम्हालने के लिए नेता निर्वाचित कर दिया है। सोने में सुगन्ध की बात यह हुई कि यह सब रस्साकशी और थुक्काफजीती के बगैर हुआ। इससे राजस्थान और उसके लोकजीवन की प्रतिष्ठा बढ़ी। क्या अच्छा हो कि यही क्रम आगे भी रहे- और, कोई वजह नहीं मालूम पड़ती कि आगे भी यह क्रम नहीं रहेगा। अतः जो विपरीत भनक हमारे कानों में पड़ रही है, उसे हम बहुत गंभीर रूप में नहीं लेना चाहते। हमारा विश्वास है कि भगवान के पुजारी भगवान की अचानक उपस्थिति पर जिस प्रकार चकाचौंध हो जायें, उसी प्रकार महाराजस्थान के पुजारी महाराजस्थान को पूर्ण रूप लेते देखकर चौंधिया रहे हैं और यह स्थिति क्षणिक है। असंभव को संभव देखकर हुई संज्ञाहीनता स्थायी नहीं होती और यह स्थिति शीघ्र दूर होकर सब कुछ उसी तरह निर्बाध होगा जैसा अब तक होता आया है। वृहत्तर या महाराजस्थान के लोकनियुक्त प्रधानमंत्री (तब राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था) श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने भाषण में यह सुसमाचार सुनाया भी है कि वृहत्तर राजस्थान के निर्माण का कार्य ठीक तरह चल रहा है और नववर्ष प्रतिपदा (३० मार्च) को उसका उद्घाटन हो जायेगा। निर्णायक प्रश्न वस्तुतः अब एक रह गया है, वह यह कि राजधानी कहां हो। जयपुर का नाम सामने आया है और राजस्थान के इतर कांग्रेसी क्षेत्रों से कुछ ऐसी आवाज भी कि जयपुर न हो, किन्तु कहां हो यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा गया है।

चंदा और चुनाव सुधार की कवायद

यहां स्कैन करें

कमलेश जैन | वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैंक अधिकारियों को आखिर दिक्कतें क्या आ रही हैं? उनको यह बताने में संकोच क्यों हो रहा है कि किसने, कितने रुपये, किस राजनीतिक दल को दिए?

आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को सख्त चेतावनी देते हुए कह ही डाला कि वह मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल यानी चुनावी बॉन्ड का 'ब्रेक अप' बताए, यानी इस बात का खुलासा करे कि चुनावी बॉन्ड के रूप में किसने, कितने रुपये, किस पार्टी को दिए हैं, अन्यथा 15 मार्च को शीर्ष अदालत खुद एसबीआई पर अवमानना का मुकदमा दायर कर देगी। यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने एकमत होकर दिया है।

चुनावी बॉन्ड योजना को वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया था। इसे चुनाव में काला धन के इस्तेमाल से निपटने के एक कारगर तरीके के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन इसमें सियासी दलों को मिलने वाला चंदा गुप्त भी था और उसकी कोई सीमा भी तय नहीं की गई थी। इसके तहत 'प्रॉमिसरी नोट्स', यानी वचन-पत्र के रूप में बैंक से बॉन्ड खरीदे जा सकते थे, जिनको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना दानकर्ताओं के लिए जरूरी नहीं था। वे अपनी बैलेंस शीट में इसे सरकार को न दिखाने को स्वतंत्र थे। जाहिर है, यह सीधे-सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) व अनुच्छेद 19 (1) (अ) (सूचना के अधिकार) का उल्लंघन था।

चुनावी चंदे को लेकर यह कोई नया विवाद नहीं था। भारत में यह लगातार मांग होती रही है कि राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में जो रकम मिलती है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। मगर एन-केन-प्रकारेण सभी दल इससे बचते रहे। चुनावी बॉन्ड में भी राजनीतिक दलों पर यह दायित्व नहीं था कि वे चंदे की रकम या चंदा देने वाले का नाम जाहिर करें। मतदाताओं के लिए यह रहस्य ही था कि राजनीतिक दलों के पास चुनावी बॉन्ड के रूप में किससे, कितने रुपये आए?

अब जब चुनावी बॉन्ड का अध्याय खत्म होने को है, तब सवाल यह भी है कि राजनीतिक दलों के लिए चंदे की एक आदर्श व्यवस्था क्या हो? देखा जाए, तो

यह काम राजनीतिक दलों को अपने तईं करना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा जीवंत लोकतंत्र है, जहां किसी भी प्रकार की लुका-छिपी स्वीकार्य नहीं हो सकती। चंदे में पारदर्शिता का न होना लोकतंत्र के लिए एक गंभीर रोग है, जो इसकी जड़ों को खोद सकता है। ऐसे में, सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही लोकतंत्र रूपी वृक्ष को हरा-भरा रखने के लिए चंदे रूपी खाद को पवित्र करने का एक प्रयास किया है।

गौर कीजिए, अदालतें सिर्फ कानून की रक्षा करने के लिए जवाबदेह होती हैं और वे अपनी इसी सीमा में चुनाव सुधार को आगे भी बढ़ा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर देश की चुनाव प्रणाली को स्वच्छ बनाए रखने की कोशिश की है। जैसे, चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि से जनता को आगाह करना। इस बार अदालत ने स्पष्ट किया है कि गुमनाम चंदा लोकतंत्र के हृदय को बीमार बनाता है।

इसी तरह, किसी भी विधेयक को वित्त-विधेयक का चोला पहनाकर जो सुरक्षित दरवाजा अपनाया जाता है, उस पर भी निगरानी आवश्यक है। चुनावी बॉन्ड को वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया था, जनता के बीच व्यापक विमर्श के बिना किसी विधेयक को यूं लाया जाना एक गलत नजीर पेश करता है।

अपने पिछले आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा था कि 12 अप्रैल, 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए सभी चुनावी बॉन्ड की जानकारी वह चुनाव आयोग को मुहैया कराए। इसके जवाब में ही स्टेट बैंक ने आगामी 30 जून तक यह जानकारी देने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने यह सख्ती दिखाई है। सवाल है कि आंकड़े जारी करने में बैंक के अधिकारियों को आखिर दिक्कतें क्या आ रही हैं? उनको यह बताने में इतना संकोच क्यों हो रहा है कि किसने, कितने रुपये, किस राजनीतिक दल को दिए या किसी पार्टी ने कब अपने बॉन्ड भुनाए? चूंकि इन सवालों का स्पष्ट जवाब एसबीआई की ओर से अब तक नहीं आया है, इसलिए यह शंका भी पैदा होती है कि क्या किसी दबाव में वह इन आंकड़ों को जारी करने में कोताही बरत रहा है?

अदालत ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने का फैसला सांविधानिक न्यायिक पुनरीक्षण के तहत किया है। यह एक तरह का सांविधानिक स्व-आत्मनियंत्रक न्यायिक पुनरीक्षण सिद्धांत का पालन है, जो सरकार की सभी संस्थाओं पर लागू होता है। यह सिद्धांत एक तरह से इस बात के लिए बाध्य करता है कि जरूरी सूचनाओं की पहुंच सभी लोगों तक हो। यह समझने की बात है कि किसी अधिकार पर विवेकशील रोक लगाना उस अधिकार को खत्म करना नहीं होता। कानून किसी अधिकार पर विवेकशील रोक लगा सकता है, यदि रोक का उद्देश्य कानूनन सही है, लक्ष्य तक पहुंचने में वह सहायक हो, और मौलिक अधिकारों को कम से कम बाधित करे। संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के अंदर जो मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दिए गए हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि हम काला धन अपने पास रखें।

बहरहाल, सिर्फ कानूनन रोक लगाकर चुनाव में काला धन की आमद को रोकना मुश्किल है। इसके लिए कई अन्य प्रयास भी करने होंगे। मसलन, चुनावी ट्रस्ट बनाना, चुनाव में कॉरपोरेट से फंड लेने पर रोक लगाना आदि। चुनावी बॉन्ड जहां चंदे के लेन-देन को गुप्त रखता है, वहीं मतदाताओं के अधिकार (सूचना के अधिकार) का भी हनन करता है। ऐसे में, बेहतर तरीका तो यही है कि चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए चंदे की व्यवस्था पारदर्शी बने, एक-एक पैसे की जानकारी राजनीतिक पार्टियां खुद सार्वजनिक करें और मतदाताओं के अधिकारों का भी हनन न हो।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कहा है कि सन् 1958 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एम सी छागला ने चेताया था, 'बिग बिजनेस' और 'मनी बैग्स' वास्तव में लोकतंत्र का गला घोंट देते हैं, यानी बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों से राजनीतिक दलों को मिलने वाली थैलियां लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं। आज के समय में जब चुनाव खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है, छागला की यह टिप्पणी प्रासंगिक जान पड़ती है। ऐसे में, अदालत का दायित्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है कि वह किसी अनुचित और भ्रष्ट आचरण को रोके। चुनावी बॉन्ड पर सख्त रुख अपनाकर शीर्ष अदालत ने भारतीय लोकतंत्र का हित ही साधा है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

आंध्र प्रदेश में तेदेपा ने फिर से थाम लिया भाजपा का हाथ

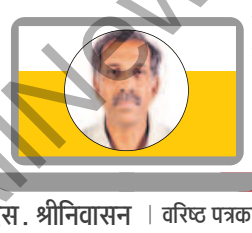

दक्षिण एक्सप्रेस

यहां स्कैन करें

एस. श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

चुनावी राजनीति के पल-पल बदलते मौसम में देश भर में अनेक ऐसे गठजोड़ बन रहे हैं, जिनकी कोई संभावना नहीं थी। पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और अनुभवी चुनावी योद्धा वोटों के विशाल चरागाहों की तलाश में हैं। आंध्र प्रदेश भी इसका अपवाद नहीं है। जैसे प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज कहा जाता है, ठीक वैसे ही अब अनेक राजनेता भी चुनाव में सब कुछ जायज मानकर चलते हैं। दक्षिण के ब्लॉक-बस्टर चुनावी समझौतों में से एक आंध्र प्रदेश में हुआ है, जहां चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी ने पवन कल्याण की जन सेना पार्टी के साथ मिलकर भाजपा से गठबंधन किया है।

यह समझौता करीब पांच साल के परस्पर अलगाव के बाद हुआ है। साल 2014 में जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, तब नायडू भाजपा के साथ थे और चुनाव में कामयाब रहे थे। भाजपा के सहयोग से ही वह एक दशक बाद मुख्यमंत्री के पद पर लौटे थे। साल 2004 में तत्कालीन कांग्रेस नेता वाई एस राजशेखर रेड्डी ने नायडू को सत्ता से बेदखल किया था। बहरहाल, नायडू के 2014 के राज्य मंत्रिमंडल में दो भाजपा विधायकों को शामिल किया गया था, मगर 2019 के आम चुनाव में नायडू ने पाला बदल लिया, भाजपा को छोड़ वह कांग्रेस के साथ चले गए। तब मतदाताओं ने उन्हें दंडित भी किया, क्योंकि वह आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए थे।

भाजपा जहां तेदेपा के रथ पर सवारी कर रही है, वहीं कांग्रेस जगन की बहन शर्मिला की मदद से कुछ वोट शेयर पाने की उम्मीद बांध रही है।

अब नायडू की उम्मीदें फिर एक बार भाजपा पर टिकी हैं, पर मतदाता उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं, जो वादे पूरे न कर सका। साल 2004 में भी नायडू को जगन मोहन रेड्डी के पिता वाई एस राजशेखर रेड्डी से हार मिली थी, क्योंकि नायडू ने बड़े-बड़े वादे किए थे। उन्होंने खुद को अविभाजित आंध्र के सीईओ के रूप में स्थापित कर लिया था। वह तब आईटी कंपनियों को बहुत बढ़ावा देते हुए चल रहे थे। नायडू ने हैदराबाद में हाईटेक सिटी विकसित की थी। चमकदार फ्लाईओवर और शीशे वाली बड़ी इमारतें उनके समय खड़ी हुई थीं, पर वह राजधानी के बाहर रहने वाले आम लोगों और किसानों की दुर्दशा पर गौर करने में नाकाम रहे थे। साल 2004 में सत्ता से बाहर होने का यही मुख्य कारण था।

हालांकि, ऐसा लगता है कि उन्होंने 2014 में भी कोई सबक नहीं सीखा, जब वह भाजपा के समर्थन से सत्ता में वापस लौटे थे। दूसरी ओर, कांग्रेस टूट गई थी। कांग्रेस से अलग होकर जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी बनाई और सत्ता में आ गए। कुछ समय नायडू कमजोर और सत्ता से वंचित कांग्रेस के साथ खड़े रहे। जब उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ, तो उन्होंने आश्रय के लिए भाजपा से संपर्क साधा, क्योंकि उन्हें जगन से लगातार सियासी हमलों का सामना करना पड़ रहा था। नायडू को भाजपा ने बार-बार नजरअंदाज किया, मगर पिछले सप्ताह उन्हें सफलता मिल गई। भगवा पार्टी का नेतृत्व उन्हें एनडीए में वापस ले आया।

वह अब पवन कल्याण के साथ मिलकर जगन मोहन को हराने की उम्मीद कर रहे हैं। इधर भाजपा को भी कुछ सीटें जीतने और नायडू मंत्रिमंडल में पैर जमाने की उम्मीद है। 2019 में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी ने तेदेपा के 40 प्रतिशत के मुकाबले विधानसभा चुनाव में 50 प्रतिशत मत हासिल किया था। भाजपा के 0.98 फीसदी के मुकाबले कांग्रेस को 1.31 प्रतिशत मत मिले थे, इसलिए इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों- कांग्रेस और भाजपा की आंध्र प्रदेश में फिलहाल कोई खास मौजूदगी नहीं है।

अब भाजपा जहां तेदेपा के रथ पर सवारी कर रही है, वहीं कांग्रेस जगन की बहन शर्मिला की मदद से कुछ वोट शेयर हासिल करने की उम्मीद कर रही है। शर्मिला हाल ही में अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। फायरब्रांड नेता शर्मिला अपने भाई से नाराज हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें राजनीतिक सत्ता व पारिवारिक संपत्तियों में उचित हिस्सेदारी से वंचित कर दिया गया। शर्मिला ने अब कांग्रेस का कायाकल्प किया है, मगर देखने वाली बात है कि कांग्रेस मुख्यधारा में लौट पाती है या नहीं?

ध्यान रहे, आंध्र प्रदेश में लोकसभा और राज्य विधानसभा, दोनों के चुनाव साथ होने हैं। आंध्र में जब नेता परस्पर तगड़ी प्रतिद्वंद्विता पाले हुए मैदान में उतरे हैं, तो यह तय है, वहां कांटे का मुकाबला है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

ताकि मन की क्षुद्रता मिटे

पूछा गया है, मन को किस बात में व्यस्त रखना चाहिए? कभी आपने गौर किया है कि द्वंद्व कैसे जन्म लेता है? इसका एक अच्छा उदाहरण है- 'जो होना चाहिए' और 'जो है' के बीच द्वंद्व। पहले हम जो होना चाहिए, अर्थात जो आदर्श है, उसे स्थापित करते हैं और फिर उसके अनुसार जीने का प्रयत्न करते हैं। हम कहते हैं, मन को श्रेष्ठ बातों में व्यस्त रहना चाहिए। जैसे, निःस्वार्थता में, उदारता में, दयालुता में, प्रेम में; यही है वह आदर्श, यानी वह 'जो होना चाहिए', जिसके अनुरूप हम जीने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार द्वंद्व की शुरुआत होती है- जो होना चाहिए और जो है के बीच, और उस द्वंद्व के जरिये हम कायापलट की उम्मीद करते हैं। जब तक हम 'चाहिए' के लिए संघर्ष करते रहते हैं, महसूस करते हैं कि हम सदाचारी हैं, भले इंसान हैं, परंतु महत्वपूर्ण क्या है- जो होना चाहिए या जो है?

हमारा मन किस चीज में व्यस्त रहता है, सैद्धांतिक रूप से नहीं, वास्तव में? हमारा मन तरह-तरह की क्षुद्रताओं में व्यस्त रहता है, और एक क्षुद्र मन जब कोई श्रेष्ठ आदर्श निर्मित कर रहा होता है, तब भी वह होता तो क्षुद्र मन ही है! इसलिए मूल प्रश्न यह है कि क्षुद्रताओं से मन अपने को कैसे मुक्त करे? यदि हम सचेत हैं, हमने थोड़ा-सा भी अन्वेषण किया है, तो हम अपनी खास क्षुद्रताओं को जान ही जाते हैं। जैसे, लगातार बातें करते रहना, मन की निरंतर बड़बड़, किसी न किसी प्रकार की चिंता, यह कौतूहल कि लोग क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, किसी परिणाम को हासिल करने की कोशिश करते रहना, अपनी समृद्धि के लिए टोह लगाना वगैरह। इसी सब में हम निरंतर लगे रहते हैं और यह हमें भली-भांति मालूम है। क्या इसमें आमूल परिवर्तन किया जा सकता है? समस्या यही है, है न?

हमारा मन निरंतर क्षुद्रताओं में उलझा रहता है, इस बात का भान होने पर क्या मन इस अवस्था से खुद को मुक्त कर सकता है? क्या वह स्वभाव से ही क्षुद्र नहीं है? स्मृति के परिणाम के अतिरिक्त मन और क्या है? किस बात की स्मृति? यही कि अस्तित्व कैसे बना रहे, शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, मानसिक दृष्टि से भी- कुछ योग्यताओं,

हमारा मन किस चीज में व्यस्त रहता है? वह तरह-तरह की क्षुद्रताओं में व्यस्त रहता है, और एक क्षुद्र मन जब कोई श्रेष्ठ आदर्श निर्मित कर रहा होता है, तब भी वह होता तो क्षुद्र मन ही है!

गुणों का विकास करके, अनुभवों का संग्रह करके और अपनी ही गतिविधियों में स्वयं को दृढ़ करके। क्या यह क्षुद्रता नहीं है? मन स्मृति का, समय का परिणाम है, अतएव अपने आप में क्षुद्र है; तो अपनी क्षुद्रता से स्वयं को मुक्त करने के लिए वह क्या कर सकता है?

इन क्षुद्रताओं के समाप्त होने की संभावना केवल तभी होती है, जब मन उनको देखकर उनके प्रति पूर्णतया सजग होता है और इस प्रकार वास्तव में मौन हो जाता है। मौन की इसी स्थिति में सर्जनात्मक अवस्था फलित होती है, और यही वह तत्व है, जो आमूल परिवर्तन लाता है।

जे कृष्णमूर्ति

जो बाइडन | अमेरिकी राष्ट्रपति

मैं एक ऐसा भविष्य देखता हूं, जहां हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, न कि उसे कमजोर बनाएंगे। मैं एक ऐसा भविष्य देखता हूं, जहां मध्यम वर्ग को न्यायसंगत मौका मिलेगा और अमीर लोगों को टैक्स में मुनासिब हिस्सा चुकाना होगा।

हमारे भीतर उतर जाने वाली एक फिल्म

ऐसे समय में, जब रुपहले परदे बहुधा खूनी कहानियों से रंगे हुए हैं, किरण राव की *लापता लेडीज* एक सुकून भरी बयार की तरह है। हिंदी सिनेमा को इस तरह के प्रोडक्शन चुपके-चुपके उस दिशा में मोड़ रहे हैं, जहां सिनेमा अपने समय और समाज की कहानी कहता नजर आता है। कम ही लोग जानते होंगे कि करीब पांच बरस पहले 'सिनेस्तान' ने पहली बार एक फिल्म स्क्रिप्ट प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें बिप्लब गोस्वामी की स्क्रिप्ट *टु ब्राइड्स* को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। उन्हें वह अवॉर्ड आमिर खान के हाथों मिला था। आमिर खान को वह स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इसके बारे में किरण राव को बताया। किरण राव को भी इस स्क्रिप्ट का मर्म छू गया। महिलाओं के सिर पर पड़ा घूंघट उन्हें न तो दुनिया देखने का मौका देता है और न दुनिया को उनको देखने का मौका देता है। उन्होंने सामाजिक विसंगतियों पर बात करने वाली इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने का फैसला किया। बिप्लब को यह आइडिया दरअसल भारत भर में यात्रा करते हुए आया था। उन्होंने देखा कि आज भी महिलाओं को किस तरह चौखट में कैद रखा जाता है, और जब वे बाहर निकलती भी हैं, तो घूंघट की कैद में होती हैं।

यह फिल्म मोटे तौर पर दो लड़कियों के संघर्ष की दास्तान है। फूल, जिसकी शादी दीपक कुमार से होती है, मगर ट्रेन की भीड़ में उसकी दुल्हन बदल जाती है और घूंघट काढ़े पुष्पा रानी उसके घर चली आती है। घर आने पर जब घूंघट उठाया जाता है, तब पता चलता है कि दुल्हन तो बदल गई। यहां से शुरू होता है संशय, बदहवासी, भागदौड़ और तनाव। इस फिल्म में रवि किशन को छोड़कर कोई बड़ा सितारा नहीं है, फिर भी यह फिल्म अपनी गहरी छाप छोड़ती है। इतने चुटीले संवाद हैं कि कभी आप हंस पड़ें, कभी तालियां बजाने को मजबूर हो जाएं, तो कभी सोचने पर। हमारी अपनी दुनिया के किरदार नजर आते हैं इसमें। इतना ही नहीं, जब भारतीय सिनेमा से गांव लगातार गायब होते चले जा रहे हैं, तब *लापता लेडीज* में गांव है, खेत हैं, साइकिल है, बिना स्टेशन के रुकने वाली ट्रेन है, बाजार है, घर के अंदर कैद रहते हुए भी अपने जीवन से खुश ग्रामीण महिलाएं हैं। यह फिल्म तंज भी खूब करती है। कुल मिलाकर, एक जरूरी फिल्म है यह। करीब दो घंटे की *लापता लेडीज* एक ऐसी फिल्म है, जिससे आप बाहर नहीं आ पाते। यह फिल्म आपके भीतर कहीं रह जाती है।

यूनुस खान, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

लापता लेडीज

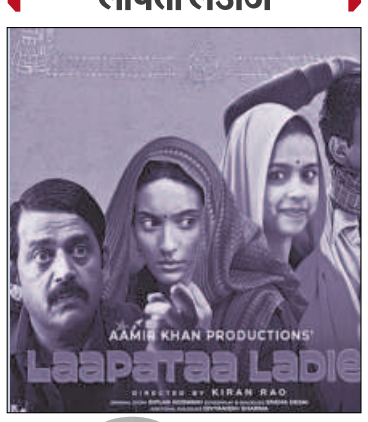

ऐसा भी कुछ खास नहीं लापता लेडीज में

लापता लेडीज बस ठीक फिल्म है। इसमें स्त्री-विमर्श के मुद्दे तो उठाए गए हैं, लेकिन कई जगह पर इतना विरोधाभास दिखता है कि माथा पीट लेने का मन करता है। शुरुआत में ही एक व्यंग्यनुमा डायलॉग (वाहियात) है। बंदा रिपोर्ट लिखाने थाने जाता है। वह इंस्पेक्टर से कहता है- सर, मेरी बीवी गुम हो गई है। इंस्पेक्टर हंसता है और कहता है- मैं सालों से कोशिश कर रहा हूं, मेरी गुम ही नहीं हो रही है। इस डायलॉग पर थिएटर में भी ठहाके लगते हैं, मगर यह एक बेशर्मी भरा डायलॉग है। इसका इस्तेमाल न भी होता, तब भी कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

एक बात और मेरी समझ में नहीं आई कि तमाम जातियों के लोग पुलिस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन फिल्मों में सिंह, मिश्रा, पाठक, चौबे, तिवारी, दूबे जैसे उपनाम ही क्यों प्रमुखता से दिखाए जाते हैं। इस फिल्म में भी इंस्पेक्टर के साथ वाले भैया को (जो हवलदार, कॉन्स्टेबल जो भी हों) बार-बार दूबे-दूबे कहकर संबोधित किया जाता है, जो खीझ पैदा करता है। इतना ही नहीं, फिल्म की एक प्रमुख किरदार है, जया। उसके हिस्से में ही ज्यादा सीन हैं और स्त्री-विमर्श की बंदूक भी कमोबेश उसी के कंधों पर है। जिस युवक से उसकी जबरन शादी हुई है, वह शराबी, लालची, बदतमीज, पावरफुल, सब कुछ होता है। लगभग अंतिम सीन में थाना है। जया पकड़ी गई है और उसका शराबी पति उसे लेने आया है। दारोगा सामने है। पति जया को थप्पड़ जड़ देता है। एकदम शांति का माहौल होता है। हमको लगता है कि अब तो पति की खैर नहीं। जया थाने में है। अगल-बगल पुलिस भी है, महिला पुलिस भी। मगर हम इंतजार करते रह जाते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि असली जीवन में ऐसे मौकों पर पति जरूर पिट जाता है। कुछ नहीं, तो महिला पुलिसकर्मी ही लपेट देती हैं। ऐसे में, इस फिल्म की तमाम प्रोग्रेसिव बातों का क्या अर्थ निकालें या महज घूंघट हटवाने तक ही सीमित है फेमिनिज्म?

एक बात और। फिल्म में दूसरी प्रमुख महिला किरदार है फूल, जो नाबालिग है। इस चरित्र को नाबालिग क्यों रखा गया, यह भी स्पष्ट नहीं होता। हालांकि, मंजू नामक किरदार के जिम्मे कई दमदार डायलॉग हैं, जैसे- फिरोड (फ्रॉड) सुना है? जब कोई किसी को ठगता है, मूर्ख बनाता है, तो अंग्रेजी में उसे फिरोड कहते हैं। बस! यही फिरोड इस देश में सालों से चल रहा है 'अच्छी लड़की' और 'अच्छे परिवार' के नाम पर। एक और डायलॉग याद रह जाता है- 'घूंघट आपकी पहचान छीन लेता है।'

मिथुन कुमार, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कोई भी परिवर्तन आरंभ में कठिन प्रतीत होता है

सीएए पर सही फैसला

आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियम अधिसूचित कर दिए गए। अच्छा होता कि यह कानून और पहले अमल में आ जाता, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक को दिसंबर 2019 में ही संसद की स्वीकृति मिल गई थी। इतनी देरी से इस कानून को लागू करने का एक कारण उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना दिखता है। यह विरोध इस शरारत भरे दुष्प्रचार की देन था कि यदि यह कानून लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस दुष्प्रचार में कथित सिविल सोसायटी के लोग ही नहीं, बल्कि कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। वे जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर उसे सड़कों पर उतार रहे थे, जबकि इस कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना-नहीं। वास्तव में यह नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि देने का कानून है। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पंथ-मजहब के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है, जो 2014 के पहले भारत आ चुके हैं। यह एक तथ्य है कि अफगानिस्तान हिंदुओं-सिखों से करीब-करीब खाली हो चुका है और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक बुरी तरह उत्पीड़न का शिकार हैं। वे अपना अस्तित्व बचाने की हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सामने जान गंवाने, पलायन करने या न चाहते हुए भी इस्लाम स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। यह समय की मांग है कि 2014 के बाद भी तीनों पड़ोसी देशों से लुट-पिटकर भारत आए प्रताड़ित लोगों को राहत देने पर विचार किया जाए। सीएए लागू होने के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। दिल्ली की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग सरीखे किसी धरने को सहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन राजनीतिक दलों को धिक्कारा जाना चाहिए, जिन्होंने इस कानून के विरोध के बहाने राजनीतिक रोटियां सेंकने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किस तरह ओछी राजनीति की, इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। वोट बैंक की सस्ती और गंदी राजनीति के चलते संघीय ढांचे के खिलाफ यह काम जानबूझकर इसके बाद भी किया गया कि किसी को नागरिकता देने में राज्य सरकारों की कहीं कोई भूमिका नहीं। यह केंद्र के अधिकार वाला विषय है। यह समझ आता है कि कोई यह मांग करे कि मानवीय आधार पर तीनों पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के साथ अन्य को भी नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में लाया जाए, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि जब तक ऐसा कुछ नहीं होता, तब तक किसी को भी नागरिकता देने की पहल का विरोध किया जाए। यह विरोध अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं।

पूरा होगा सपना

राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालयों में रहकर पढ़ने वाली छात्राओं को नये सत्र से मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। राज्य सरकार का यह एक बेहतर निर्णय है, जिससे उन बेटियों का सपना पूरा हो सकेगा जो आर्थिक स्थिति के कारण करियर संवारने में पीछे रह जाती हैं। पढ़ाई के साथ-साथ निःशुल्क कोचिंग की यह व्यवस्था पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से की गई है। अच्छी बात है कि विभाग ने सभी जिलों को यह निर्देश भी दिया है कि लड़कियों को मेडिकल-इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें उनके विद्यालय में ही नामचीन कोचिंग संस्थानों की अध्ययन सामग्री और आनलाइन क्लासेज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। संबंधित विभाग ने कई कोचिंग संस्थानों से इसके लिए करार किया है। इसके साथ ही कन्या आवासीय विद्यालयों की कक्षा छह से बारह तक की छात्राओं को इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। विद्यालयों में टीवी स्क्रीन, नेट, वेब के साथ ही डिजिटल ब्लैक बोर्ड की भी व्यवस्था की गई है। किंतु, यह पूरी कवायद तब तक फलदायी नहीं होगी जब तक इसकी कड़ी मानीटरिंग नहीं की जाएगी। इसके साथ ही समय-समय पर परीक्षा लेने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, ताकि छात्राओं को उनकी कमजोरियों व अच्छाइयों का पता चल सके। राज्य मुख्यालय में बैठे अधिकारियों को पूरी ईमानदारी से यह आकलन करने की भी जरूरत है कि करार के मुताबिक कोचिंग संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व शिक्षण सामग्री दे रहे हैं या नहीं।

कड़ी मानीटरिंग व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री निश्चय ही छात्राओं के लिए काफी मददगार साबित होगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची आइएनडीआइए और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है?

आज का सवाल

क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम पर सस्ती राजनीति के कारण उसके नियम अधिसूचित करने में देरी हुई?

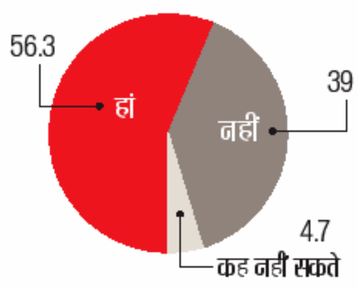

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

व्यापार नीति में बड़ा बदलाव

विवेक देवराय

आदित्य सिन्हा

भारत की व्यापारिक रणनीति का व्यापार घाटे को घटाने और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित होना एक शुभ संकेत है

विकसित एवं विकासशील देशों के बीच साझेदारी के माध्यम से आकार लेने वाले क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए) आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाने में बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे समझौतों से विकासशील देशों को विकसित देशों के समृद्ध बाजारों तक पहुंच मिलती है। अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के साथ ही संभावित निवेश के लिए विकसित देशों के बाजारों का अपना आकर्षण है। बड़े एवं विकसित बाजारों के साथ जुड़ाव किसी भी देश को नवाचार के लिए प्रेरित करने के साथ ही उसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे आर्थिक विविधीकरण एवं वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इस महत्ता को समझते हुए ही भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी अनुबंध यानी टीईपीए पर सहमति बनी है। यह समझौता इसका साक्षात प्रमाण है कि भारत जैसा देश विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बाजार तक पहुंच और निवेश अवसरों से कैसे लाभ उठा सकता है। एक लंबी वार्ता के बाद इसके सार्थक एवं अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं।

बीते दो दशकों के दौरान ईएफटीए-भारत व्यापार रिश्ते निरंतर प्रगाढ़ होते गए हैं। वर्ष 2022 में दोनों पक्षों के बीच कुल वस्तु व्यापार 6.1 अरब डालर को पार कर गया। व्यापार की पड़ताल करें तो उसमें वस्तुओं का व्यापक विनिमय दिखता है, जिसमें ईएफटीए ने भारत से आर्गेनिक रसायनों का आयात किया और भारत को मुख्य रूप से मशीनरी और दवा उत्पादों का निर्यात किया। परवान चढ़ते ये व्यापारिक रिश्ते टीईपीए के संभावित फायदों को रेखांकित करते हैं। वैश्विक विनिर्माण मानचित्र पर चीन की जगह लेने से जुड़ी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत ने आरटीए की रणनीति को अपनी आर्थिक सक्रियता-सहभागिता में के केंद्र में रखना आरंभ किया है। वर्ष 2020 में हमने एक विश्लेषण किया था, जिसमें उस रुझान का संज्ञान लिया गया था कि वैश्विक कंपनियां किस प्रकार चीन से इतर अपनी विनिर्माण इकाइयां लगाने की योजना पर काम कर रही थीं। इस रणनीति को 'चाइना प्लस वन' नाम मिला था। उसमें देखा गया गया कि तमाम कंपनियां पूर्वी एशियाई देश वियतनाम को वरीयता दे रही थीं। जब इसके पीछे के कारकों की पड़ताल की गई तो पता चला कि वियतनाम को वरीयता मिलने में कई विकसित देशों के साथ उसके आरटीए की अहम भूमिका रही। इन अनुबंधों के नेटवर्क ने वियतनाम को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एक अहम खिलाड़ी बना दिया।

यदि भारत और वियतनाम के रणनीतिक व्यापार गठबंधनों की बात करें तो वे आर्थिक साझेदारियों के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं। वियतनाम के व्यापार समझौते मुख्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ हो रहे थे, जहां आर्थिक लाभ और वृद्धि के व्यापक अवसर विद्यमान हों। दूसरी ओर भारत का जोर अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ अनुबंधों पर केंद्रित था। इसमें भू-राजनीतिक रणनीति, भारत से होने वाले निर्यात की प्रकृति और संभावित विकसित देशों के नियामकीय परिदृश्य जैसे पहलू प्रभावी थे। विकासशील देशों के साथ ऐसे समझौतों से क्षेत्रीय एकजुटता और साझा वृद्धि को तो बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन स्थापित बाजारों में प्रवेश के मोर्चे पर कायम चुनौतियां भी रेखांकित होती हैं, जहां अमूमन जटिल व्यापारिक बाधाएं और प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है। इस दौरान भारत ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशियाई देशों के साथ आरटीए पर बात आगे बढ़ाई। आंकड़ों के अनुसार इनमें से कई आरटीए पर बात 2007 से 2011 में संप्रग सरकार के दौरान शुरू हुई थी। उन समझौतों में लाभ का संतुलन भारत के व्यापारिक साझेदारों के पक्ष में झुका हुआ था। इससे इन देशों को भारत के बड़े बाजार में निर्यात के अवसर मिले, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। यानी लाभ का पलड़ा संतुलित नहीं था।

मौजूदा सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लिया और व्यापार समझौतों में एक अलग एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। वर्ष 2020 के बाद भारत कई विकसित देशों के साथ आरटीए और मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए कर चुका है। कई समझौतों पर वार्ता जारी है। आस्ट्रेलिया के साथ हुआ व्यापार समझौता इसकी एक बड़ी मिसाल है। भारत ने करीब दशक भर बाद किसी विकसित देश के साथ ऐसा समझौता किया। इसमें वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार को बढ़ावा देने सहित व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम किया गया। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ। वर्ष 2022 में हुए इस समझौते का लक्ष्य पांच वर्षों के भीतर द्विपक्षीय वस्तु व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डालर तक करने का है, जिसे वर्ष 2030 तक 250 अरब डालर करने का लक्ष्य है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन की उम्मीदें हैं।

इस समय भारत ब्रिटेन के अलावा इजरायल और खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की संभावनाएं तलाश रहा है। ये वार्ताएं और समझौते एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें दुनिया की विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहभागिता बढ़ाकर भारत के आर्थिक एवं रणनीतिक हितों को पोषित करना है। ये भारत की व्यापारिक रणनीति में एक बड़े परिवर्तन का प्रमाण है, जिसमें व्यापार घाटे को घटाने और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन समझौतों के बहुआयामी लाभ देखने को मिलेंगे। इनसे व्यापार में तेजी, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, रोजगार सृजन के स्तर पर बेहतर स्थितियां बनेंगी। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार नेटवर्क पर भारत की पकड़ भी मजबूत होगी।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

समय पर न्याय मिलने की आस

सीबीपी श्रीवास्तव

औपनिवेशिक अपराध विधियों में बदलाव देश की विधि प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन है

अर्थपूर्ण न्याय की दिशा में सकारात्मक पहल • फाइल

स्वतंत्रता, समानता और न्याय भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के तीन अंतर्निहित सिद्धांत हैं। भारत में न्याय शासन का मुख्य संचालक है। स्वतंत्रता और समानता इसके दो आधार स्तंभ हैं, जिन पर न्याय का पूरा ढांचा टिका है। प्रश्न है कि क्या न्याय मुख्य रूप से कानूनी होना चाहिए या प्राकृतिक? संविधान के ढांचे में अर्थपूर्ण न्याय देने का विचार अंतर्निहित है, जिसका अर्थ है अन्याय को दूर कर न्याय उपलब्ध कराना। यानी कानूनी और प्राकृतिक न्याय, दोनों से ही अर्थपूर्ण न्याय मिलना चाहिए। हालांकि यदि किसी मामले में कानूनी न्याय अर्थपूर्ण न्याय देने में सक्षम नहीं है तो प्राकृतिक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यही भारत के उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली का मूल मंत्र रहा है, जिसने हाल में अपनी हीरक जयंती मनाई है। संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि मितव्ययी न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली एक ऐसी प्रणाली बनाई जानी चाहिए, जो प्रक्रियात्मक बाधाओं से स्वतंत्र रहे। दूसरे शब्दों में न्याय प्रणाली में सभी की समावेशिता ही लोकतंत्र को समावेशी बनाएगी। शायद यही कारण है कि न्यायपालिका वर्षों से ऐसी बाधाओं को दूर करने और अर्थपूर्ण न्याय देने के लिए कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रयासरत है। इसके बावजूद अभी भी कुछ गंभीर चुनौतियां कायम हैं, जिन्हें यथाशीघ्र दूर करना होगा, क्योंकि सभी के लिए न्याय तक पहुंच विकसित भारत के मूलभूत स्तंभों में से एक होगी।

समय पर न्याय न मिलना एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान होना ही चाहिए, क्योंकि अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। न्यायिक समावेशन की दिशा में ई-कोर्ट परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य सभी न्यायालयों को आपस में जोड़कर, कागज रहित न्यायालयों के बुनियादी ढांचे की स्थापना, डिजिटलीकरण द्वारा उनके कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नागरिक-केंद्रित सूचना एवं प्रौद्योगिकी पहल की, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डिजी एससीआर), डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट शामिल है। सरकार द्वारा न्यायपालिका की सुदृढ़ता के लिए ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराने की पहल भी सराहनीय है। यह न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगी। आधारभूत ढांचे का निर्माण लंबित मामलों की संख्या घटाएगा। इसी क्रम में यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के परिसर में एक नए भवन के निर्माण का कार्य 27 अतिरिक्त न्यायालयों का प्रविधान करेगा। दूसरी ओर, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही स्थगन की संस्कृति को नियंत्रित करने और न्याय तंत्र में तकनीकी प्रयोग पर विशेष बल दिया है, जिससे न्यायपालिका में कार्यात्मक गतिशीलता बढ़ी है।

यह स्मरण रहे कि किसी भी न्याय तंत्र की कार्यकुशलता कानूनों के आधुनिकीकरण और उनके क्रियान्वयन के दृष्टिकोण पर व्यापक रूप से निर्भर करती है। इस दिशा में मौजूदा केंद्र सरकार अप्रासंगिक कानूनों को सुधारात्मक कानूनों से प्रतिस्थापित करने या उन्हें निरस्त करने का कार्य कर रही है। अब तक ऐसे 1827 कानूनों को चिह्नित कर 125 को निरस्त किया जा चुका है। संसद के पिछले सत्र में एक विधेयक पारित किया गया, जो और 76 ऐसे कानूनों को निरस्त करेगा।

भारत की विधिक प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन औपनिवेशिक अपराध विधियों का बदलाव है। यहां इस बदलाव के तर्क पर विचार करना आवश्यक होगा। भारतीय दंड संहिता के बदले न्याय संहिता का निर्माण विधि के सकारात्मक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। औपनिवेशिक भारत में राज्य का उद्देश्य दंड देना था, जबकि नए कानून में दंड देना जरिया होगा और अंतिम उद्देश्य न्याय देना होगा। न्याय प्रणाली को तभी प्रभावशाली कहा जाएगा जब अभियुक्त और पीड़ित, दोनों के ही अधिकारों में संतुलन हो। न्याय संहिता में मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर पहले मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता औपनिवेशिक दृष्टिकोण वाली थी, जिसके कारण अभियुक्त के प्रति एक पूर्वाग्रह की आशंका होती थी। नई नागरिक सुरक्षा संहिता अपने नाम से ही सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट कर रही है कि इसका उद्देश्य सुरक्षा देना है, न कि बदले की भावना से मुकदमा चलाना। अपराध विधियों में बदलाव से समय पर न्याय मिलने की जो आस जगी है, वह पूरी होनी चाहिए। इसी के साथ न्यायपालिका में सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना अनिवार्य है, जो नैसर्गिक न्याय की सुरक्षा करेगा और न्याय तंत्र को समावेशी भी बनाएगा। इसके साथ ही स्थगन की संस्कृति का नियमन त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में भी योगदान देगा।

एक सरकारी आंकड़े के अनुसार पिछले छह वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त 650 न्यायाधीशों में से 75.7 प्रतिशत (492 व्यक्ति) सामान्य श्रेणी से थे। केवल 3.54 प्रतिशत (23 व्यक्ति) अनुसूचित जाति वर्ग से, 1.54 प्रतिशत (10 व्यक्ति) अनुसूचित जनजाति वर्ग से, 11.7 प्रतिशत (76 व्यक्ति) अन्य पिछड़ा वर्ग से और 5.54 प्रतिशत (36 व्यक्ति) अल्पसंख्यक समुदाय से थे। महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत कुल संख्या का 9.5 प्रतिशत और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यक्षमता का 13.6 प्रतिशत है। कुल मिलाकर यह कहा जाना चाहिए कि बदलती परिस्थितियों में न्यायपालिका अपनी भूमिका को गतिशील बनाने के लिए कटिबद्ध तो है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय समाधान और न्याय की संस्था है। यह संस्था संपूर्ण न्याय तंत्र को इस रूप में दिशा दे रही है कि न्यायपालिका को अन्याय, अत्याचार और स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध एक ढाल के रूप में काम करना चाहिए।

(लेखक सेंटर फार अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

क्रोध और मौन

क्रोध और ईर्ष्या अज्ञान के कारक हैं, जबकि मौन और तप ज्ञान के। ज्ञानी व्यक्ति दूसरे को सुख देकर स्वयं आनंदित होता है। वहीं अज्ञानी व्यक्ति दूसरों को सता कर, पीड़ा देकर, उनके मार्ग को अवरुद्ध कर सुख पाता है। ज्ञान और मौन सदैव सृजनात्मक एवं भविष्यलक्षी होते हैं, जबकि क्रोध एवं अज्ञान नितांत विध्वंसात्मक और तात्कालिक। ज्ञानी स्वयं के साथ-साथ, परहित और परमार्थ का कार्य करता है, जबकि अज्ञानी स्वयं के साथ-साथ दूसरे के अनिष्ट हेतु ही कृतसंकल्पित होता है। उससे चाहकर भी पुण्य का कार्य सुलभ नहीं होता है। ज्ञान विगत जन्मों के पुण्यों के संचित गुणधर्मों का प्रतिफल होता है, वहीं अज्ञान कृत पापों का छलछलाता समूह।

सुगंध से कभी दुर्गंध आ नहीं सकती और दुर्गंध से कभी दुर्गंध जा नहीं सकती। क्रोध और मौन रात और दिन के समान हैं। चरित्र, गुणधर्म एवं उपादेयता की दृष्टि से दोनों नितांत विपरीत होते हैं। विचार एवं आचरण की उत्कृष्टता के अभाव में व्यक्ति के जीवन की गरिमा समयचक्र के बीतते ही धूल-धूसरित हो जाती है। त्यागी, तपी और परमार्थी साधक इस संसार से जाने के बाद भी स्मरणीय एवं वंदनीय होता है। विषय-भोगी, पद या सत्ता का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति क्षण-क्षण जीते-जी ही मरता रहता है।

क्रोध की प्रचंड अग्नि किसी भी दुर्बल व्यक्ति के विवेक और बुद्धि के साम्राज्य का संहार कर सकती है। इसके विपरीत मौन क्रोध को जीतने का दिव्यास्त्र ही नहीं, बल्कि बुद्धि-विवेक का अपूर्व रक्षा-कवच भी है। क्रोध के आते ही मनुष्य के जीवन से प्रेम, सौंदर्य, सद् विचार, माधुर्य, लालित्य, अपनत्व एवं आनंद जैसे श्रेष्ठ गुणधर्म सदा-सदा के लिए उसका साथ छोड़ देते हैं। वहीं मौन के वृक्ष पर शांति एवं आनंद के फल और क्रोध के वृक्ष पर विनाश एवं पश्चाताप के फल लगते हैं। यह हमें निश्चय करना है कि विध्वंस का मार्ग अपनाना है अथवा सृजन का। हमारा यह चयन ही हमारे जीवन की दशा-दिशा तय करेगा।

प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश'

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

नकल और पेपर लीक की घातक प्रवृत्ति

'शिक्षा नीति में है पर्चा लीक का समाधान' शीर्षक से लिखे आलेख में प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता कि 'शिक्षा व्यवस्था में बढ़ रही भ्रष्ट प्रवृत्तियां व्यवस्था की साख को दीमक की तरह नष्ट कर रही हैं' वर्तमान शासन-प्रशासन के साथ देश के जिम्मेदार नागरिकों के लिए भी चिंता का विषय बननी चाहिए। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के मजबूत और कारगर उपाय क्या हो सकते हैं? इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न करवाने की जिम्मेदारी जितनी शासन-प्रशासन की है, उससे कहीं अधिक उन अभिभावकों की भी है, जो अपने पाल्य को सही दिशानिर्देश देने के बजाय गलत रास्ते से परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करवाने की जुगत में रहते हैं। इस सेंधमारी में उन कोचिंग संस्थानों की नकारात्मक भूमिका से इन्कार नहीं किया सकता, जो मोटी रकम के बदले परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को उपलब्ध कराने की गारंटी लेने के आपराधिक कृत्य में शामिल रहते हैं। यह जानते हुए भी कि परीक्षा में नकल और पेपर लीक से लाखों प्रतिभाशाली युवाओं के अरमानों पर पानी फिर जाएगा, फिर भी पैसे का लालच इनको अपराध के दलदल में धकेल देता है। परीक्षा व्यवस्था से जुड़े जिन जिम्मेदार लोगों ने अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से नहीं किया है, उन्हें भी इस अपराध का दोषी मानते हुए कठघरे में खड़ा करने की जरूरत है। परीक्षा की शुचिता पर आघात करने वाले परीक्षार्थियों, उसे प्रोत्साहन देने वाले अभिभावकों, परीक्षा व्यवस्था में सेंधमारी करने वाले अपराधियों और इस सेंधमारी को रोक पाने में अक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों का अपराध सिद्ध होते ही उनकी नकारात्मक भूमिका के अनुरूप एक साथ कड़ी सजा देने की कारगर कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिए।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़

राजनीतिक चंदा

पूर्व में राजनीति देश सेवा एवं समर्पण का पर्याय थी। देश की आजादी का इतिहास कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। उस दौर में लोग स्वेच्छा से राजनीतिक दलों को चंदा दिया करते थे, क्योंकि संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आजादी के बाद भी लोग राजनीतिक दलों को चंदा दिया करते हैं। आज राजनीति का स्वरूप बदल चुका है। सभी राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति हो चुका है। नीति-सिद्धांत की बातें पुस्तकों के पन्नों में सिमट कर रह गई है। आज के नेतागण राजनीति के माध्यम से पद व धन प्राप्त करना चाहते हैं। पूर्व में जन आंदोलन के माध्यम से नेता पैदा होते थे, लेकिन आज परिवारवाद, धनबल एवं बाहुबल के सहारे लोग चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पूर्व की तुलना में आज उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों को कई गुणा अधिक चंदा मिल रहा है। किसी भी राजनीतिक दल के पास चंदे का हिसाब नहीं है। आज लोग उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों को चंदा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए देते हैं। देश सेवा की बातें केवल सुनने और सुनाने के लिए हो गई है। चुनाव आयोग को राजनीतिक चंदे पर पैनी नजर रखनी चाहिए एवं हर दल को अपने चंदे को सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

दक्षिण की बदलती राजनीति

'राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती' शीर्षक आलेख में हृदयनारायण दीक्षित ने द्रमुक के बड़बोले नेता ए. राजा द्वारा देश एवं प्रभु श्रीराम के विरुद्ध उगले जहर की चर्चा की है। उन्होंने अपने विद्वत्ता पूर्ण लेख से द्रमुक पार्टी को भारत की भाषा एवं संस्कृति के 'अमृत रस' के स्वाद को चखाया है और भारत के संघीय ढांचे का पाठ पढ़ाया है। अयोध्या में यूं तो प्रभु राम एवं मां सीता के पांच हजार से ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें प्रभु राम के विग्रह विराजमान हैं। इन्हीं में दो मंदिर दक्षिण भारत के भी हैं, जो उत्तर को दक्षिण से धार्मिक सूत्र में जोड़ते हैं। ये मंदिर हैं, रामा स्वामी अथवा अम्मा जी मंदिर एवं मद्रास मंदिर। इन मंदिरों को 1902 में स्थापित किया गया था। तमिलनाडु के रामास्वामी एंगार को शिवलिंग में समाहित प्रभु राम की प्रतिमा मिली थी। उन्हें सपने में इसे अयोध्या में स्थापित करने का संदेश मिला, तब उन्होंने मंदिर का निर्माण करवा प्रतिमा स्थापित की। बाद में उनकी अम्मा ने इस मंदिर की व्यवस्था संभाली। काशी में भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दक्षिण से ही आते हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर है। भाजपा की राजनीति के दक्षिण की ओर प्रस्थान से तेलंगाना, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में गैर भाजपाई नेताओं के होश उड़े हुए हैं। वे चाहते हैं कि अनाप-शनाप बयान देकर भाजपा को विचलित कर दें। भाजपा ने यदि दक्षिण की राजनीति बदल दी तो वहां के सत्ताधीशों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

पोस्ट

अगर राजनीतिक चंदा देने वालों के नाम सामने आ भी जाएं तो इससे भला कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा।

सुहेल सेठ@Suhelseth

शांति सुनिश्चित करने के लिए देश को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इस कड़ी में अग्नि-5 के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ के विज्ञानियों को बधाई।

केजेएस ढिल्लों@TinyDhillon

नागरिकता संशोधन कानून-सीएए के अधिसूचित होने का स्वागत कीजिए। दलित हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। किसी को विचलित नहीं होना है। सीएए में नागरिकता छीनने का कोई नियम नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दें।

दिलीप मंडल@Profdilipmandal

आखिर मध्य प्रदेश स्थित धार की भोजशाला का मामला भी खुल गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर एएसआइ को इसका सर्वे करना होगा। इसी तरह का सर्वे ज्ञानवापी में भी हुआ था।

मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

बाहुबली नेताओं के प्रति आकर्षण पिछड़े सामाजिक दृष्टिकोण का परिचायक है। ऐसे नेताओं को अदालत दोषी पाकर ही सजा देती है। उनके समर्थन में मुहिम चलाने वाले लोग अपने समाज के बच्चों का ही भविष्य खराब करते हैं।

रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

जनपथ

अपने ही गोदाम में भरि बाहर का माल,
ममता दीदी 'बाहरी' पर खुद करें बवाल।
पर खुद करें बवाल बाहरी ले प्रत्याशी,
समझ रही हैं आप स्वयं को रानी झाँसी।
अपराधी पर छत्र तान कर पालें सपने,
सभी बाहरी आय बन रहे उनके अपने!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर. बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि. नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 24 अंक 328

****

साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक नया वातावरण बनाना भी है। - सर्वपल्ली राधाकृष्णन

जैसा कि खुद प्रधानमंत्री आश्वस्त कर चुके हैं, नागरिकता संशोधन कानून का मकसद दरअसल किसी की नागरिकता छीनना नहीं, बल्कि नागरिकता देना है। ऐसे में, बेहतर यह होगा कि पहले इसके अमल को देखा जाए। हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं।

अंततः सीएए

लोकसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होने से ऐन पहले केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए की अधिसूचना जारी कर इसे पूरे देश में लागू करने का निर्णय अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि सरकार की तैयारियों को देखते हुए इसके कयास काफी पहले से ही लगाए जा रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह खुद कई बार कह चुके थे कि सीएए लोकसभा चुनावों से पहले ही लागू किया जाएगा, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह मुद्दा भाजपा के घोषणापत्रों का अहम बिंदु भी रहा है। कानून के अनुसार, अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शरणार्थियों को बगैर वैध दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारत की नागरिकता पाने के पात्र वही होते थे, जिन्होंने इस देश में ग्यारह साल बिताए हों। लेकिन नए कानून में इन तीन देशों के शरणार्थियों के लिए नागरिकता हासिल करने की अवधि ग्यारह से घटाकर छह साल करने का प्रावधान है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद राजनीतिक रूप से यह कदम सरकार के लिए एक विराट उपलब्धि है। हालांकि वर्ष 2019 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप (एनआरसी) के भ्रम में पूर्वोत्तर और खासकर असम में जो दृश्य बने थे, अब स्थितियां बिल्कुल उससे अलग है। ऐसे में, ये आशंकाएं कि इस कानून द्वारा किसी समुदाय विशेष को अलग-थलग कर दिया जाएगा, निराधार ही दिखती हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री आश्वस्त कर चुके हैं, यह कानून देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है। इस कानून का मकसद दरअसल किसी की नागरिकता छीनना नहीं, बल्कि नागरिकता देना है। पड़ोसी देशों के मजहबी आधार पर पीड़ित अल्पसंख्यकों को मानवीय आधार पर नागरिकता देना इसके मूल में है। सीएए एक संवेदनशील मसला है, लेकिन सियासत के अपने ढंग होते हैं। बेहतर यह होगा कि इसके अमल को देखा जाए। हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं। आम लोगों को भी आधी-अधूरी जानकारियों के आधार पर राय बनाने से बचना चाहिए। सीएए को पूरे देश में लागू करने की घोषणा ने बेशक मोदी सरकार को एक बार फिर से बड़े फैसले लेने वाली साहसी सरकार साबित किया हो, लेकिन पूर्व अनुभवों को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मोर्चे पर सजग रहने की जरूरत है।

इतनी भगदड़ क्यों है?

पिछले दस वर्षों में कांग्रेस से 15 मुख्यमंत्रियों समेत 50 से अधिक नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की और न ही रवैये में बदलाव किया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची सांगठनिक उद्देश्यों के बजाय व्यक्तिगत हितों से प्रेरित लगती है।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में धूमिल संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस एक विखंडित पार्टी के रूप में नजर आ रही है। वर्ष 2014 लेकर अब तक पार्टी ने 50 से ज्यादा प्रभावशाली नेताओं, जिनमें 15 मुख्यमंत्री और इतने ही पूर्व केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी पदाधिकारी और अन्य प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं, को बाहर निकलते देखा है। पिछले दस वर्षों में पंद्रह पूर्व मुख्यमंत्रियों के पार्टी से बाहर जाने के बावजूद एक भी मामले में कांग्रेस नेतृत्व ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इतने सारे वरिष्ठ और दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। इसने डॉ अजय कुमार, अरविंदर सिंह लवली, कृष्णा तीरथ, अलका लांबा जैसे उन थोड़े से पार्टी नेताओं से प्रतिक्रिया लेने की भी कोशिश नहीं की, जो वास्तव में पार्टी में लौट आए थे।

रशीद किदवई
वरिष्ठ पत्रकार

संयोग से यह पहला अवसर नहीं है, जब कांग्रेस का भविष्य खराब दिख रहा है या गांधी परिवार पर हमले हो रहे हैं। इंदिरा गांधी को दो बार 1969 एवं 1977 में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने विरोधियों को परास्त कर बाजी पलट दी।

यहां तक कि जब 1987 में राजीव गांधी का पतन शुरू हुआ, तो कई नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनमोर्चा के गठन के लिए पार्टी छोड़कर चले गए। नरसिंह राव के कार्यकाल में अरुण सिंह, एनडी तिवारी, एस बंगरप्पा, माधवराव सिंधिया और ममता बनर्जी पार्टी जैसे नेता पार्टी से बाहर हो गए। वर्ष 1999 में शरद पवार ने अपनी अलग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। लेकिन 2014 के बाद कोई विभाजन नहीं हुआ, जो थोड़ा असामान्य है।

क्या ऐसा इसलिए है, क्योंकि वर्तमान कांग्रेस नेता अलग हुए समूहों को राजनीतिक रूप से व्यावहारिक नहीं पाते हैं? या फिर ऐसी भावना है कि कांग्रेस की विचारधारा को कोई अपनाने वाला नहीं है, इसलिए विपरीत खेमे यानी भाजपा में शामिल होना ही समझदारी है?

पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को दोष देने के बजाय कांग्रेस को अपने वैचारिक ढांचे को मजबूत करना होगा और 'क्या करें' तथा 'क्या नहीं करें' की एक सूची बनानी होगी। लेखक जहीर मसानी ने एक बार पूर्व प्रधानमंत्री को उद्धृत करते हुए कहा था कि कोई 'व्यक्ति जो राष्ट्र प्रमुख हो, वह व्यावहारिक न होने का जोखिम भला कैसे उठा सकता है। आपको हर दिन व्यावहारिक बनना पड़ता है। लेकिन आपको अपनी व्यावहारिकता को किसी प्रकार के आदर्शवाद से जोड़ना होगा, अन्यथा आप जो करना चाहते हैं, उसके लिए लोगों को उत्साहित नहीं कर पाएंगे।' राहुल की कांग्रेस में पार्टी की विचारधारा लोगों को उत्साहित करने में विफल रही है।

'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी', 'जाति आधारित जनगणना', 'खून की दलाली', 'चौकीदार चोर है' जैसी राहुल की टिप्पणियों और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इन्कार ने पार्टी विचारधारा को मजबूत बनाया है। दिवंगत वीएन गाडगिल ने कहा था कि भावनात्मक मुद्दों पर कांग्रेस दो पाटों के बीच फंस गई है। इसके अलावा, राहुल गांधी गैर-परंपरागत और लापरवाह नेता के रूप में दिखते हैं। पूर्व कांग्रेस प्रमुख के रूप में राहुल लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं की भावनाओं और संवेदनाओं को उचित महत्व दिए बिना अपने अधिकार की भावना से ग्रस्त दिखे।

ऐतिहासिक रूप से अपने राजनीतिक अभियानों में धर्म को मिलाने की कांग्रेस की कोशिश समस्याग्रस्त रही है। धर्म एवं राजनीति को लेकर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के विचारों में भारी विरोधाभास थे। जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक *24, अकबर रोड* में उल्लेख किया है, नेहरू धर्मनिरपेक्षता की अपनी परिभाषा को लेकर दृढ़ थे, जिसका मतलब था जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू से धर्म को अलग रखना। नेहरू के विचार से, धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, जिससे राज्य को हर कीमत पर अलग होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी के लिए धर्म धर्मनिरपेक्षता का अभिन्न हिस्सा था। गांधी कहते थे कि 'धर्म रहित राजनीति पूरी तरह गंदगी है।' राहुल गांधी का 'मुस्लिम बुद्धिजीवियों' को शामिल करने का कदम, शशि थरूर की भारत के 'हिंदू पाकिस्तान' में बदलने की आशंका और 2019 में कांग्रेस के घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर से सुरक्षा बलों को आंशिक रूप से वापस बुलाने की पेशकश का नकारात्मक असर हुआ।

वर्ष 1969, 1977, 1989 या 1996 से कहीं ज्यादा वर्ष 2024 में कांग्रेस को विश्वसनीय नेतृत्व, चुनावी सफलता और आत्मविश्वास की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची सांगठनिक उद्देश्यों के बजाय व्यक्तिगत हितों से प्रेरित लगती है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाल ही में विधायक चुने जाने के बावजूद राजनंदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। बघेल की योजना के अनुसार, राजनंदगांव से जीत जाने पर वह कांग्रेस के एक विश्वसनीय पिछड़े नेता के रूप में सामने आएंगे। दूसरी तरफ, राजस्थान में अशोक गहलोत स्वयं तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जालौर से अपने बेटे वैभव की उम्मीदवारी पर जोर दे रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गहलोत राजस्थान की आधा दर्जन सीटों पर भी कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। वर्ष 2014 और 2019 में कांग्रेस 25 सीटों में से एक भी सीट जीत नहीं पाई।

अलपुझा सीट से एआईसीसी संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल की उम्मीदवारी देखकर कई कांग्रेसी भी हैरान रह गए। केसीवी फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल 2028 तक है। यदि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वह राज्यसभा सीट छोड़ते हैं, तो वह सीट भाजपा के पास चली जाएगी। कथित तौर पर यदि कांग्रेस 2024 के चुनाव में 55 या उससे अधिक सीटें जीतने में कामयाब होती है, तो केसीवी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की उम्मीद में चुनाव लड़ रहे हैं। केसीवी इस धारणा पर अपनी संभावनाओं की कल्पना कर रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड से जीतने के बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे और शशि थरूर, भूपेश बघेल या मनीष तिवारी अगर जीतते भी हैं, तो पार्टी अधीर रंजन चौधरी जैसे चेहरों की तलाश करेगी। यदि 18वीं लोकसभा में वास्तव में ऐसा होता है, तो कांग्रेस को कुछ और नेताओं के पार्टी छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

माता अमृतानंदमयी

शिक्षा का उद्देश्य एकता और समावेशिता की भावना विकसित करना होना चाहिए। करुणा हृदय की भाषा है। बुद्धि और हृदय, दोनों को उचित स्थान देना चाहिए।

यह सुंदर पृथ्वी ईश्वर का दुर्लभ आशीर्वाद है

सूर्य को अपना मार्ग रोशन करने के लिए मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं है। सोने के आभूषणों में सोना मौजूद होता है, और सोने के भीतर सोने के आभूषण मौजूद होते हैं। मूल सिद्धांतों में से एक है ईशावास्यम इदं सर्वम् - यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा व्याप्त है। हर चीज को भगवान के रूप में देखना, हर चीज से प्यार करना और उसकी सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने काफी प्रगति की है। हालांकि, मानवता के नैतिक आचरण में गिरावट आई है। इंसानों ने पक्षियों की तरह उड़ना और मछली की तरह तैरना तो सीख लिया है, लेकिन इंसानों की तरह चलना और जीना भूल गए हैं। यहीं पर आध्यात्मिकता प्रासंगिक हो जाती है।

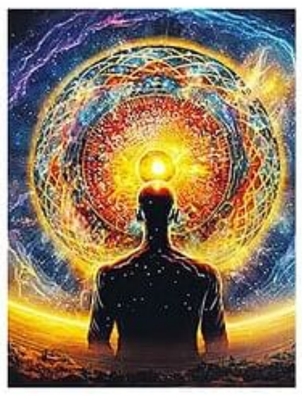

शिक्षा दो प्रकार की होती है: 'जीविका के लिए शिक्षा' और 'जीवन के लिए शिक्षा'। 'जीवन के लिए शिक्षा', यानी आध्यात्मिकता मन को वातानुकूलित करती है, जबकि 'जीवन जीने यानी जीविका के लिए शिक्षा' बाहरी स्तर पर राहत प्रदान करती है। कई लोग वातानुकूलित कमरों में आत्महत्या कर लेते हैं और कई लोग नींद की गोलियों के बिना सो नहीं पाते, क्योंकि उन्हें मानसिक शांति नहीं मिलती। लेकिन जब मन 'वातानुकूलित' हो जाता है, तो हम सीखते हैं कि जीवन की परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। शिक्षा का उद्देश्य एकता और समावेशिता की भावना विकसित करना होना चाहिए। करुणा हृदय की भाषा है। बुद्धि और हृदय, दोनों को उचित स्थान देना चाहिए। बच्चे के प्रथम गुरु उसकी माता एवं पिता होते हैं। वे जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उससे बच्चे के चरित्र का निर्माण होता है।

इसलिए हम सभी को उच्च मानक के नैतिक सिद्धांत विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। माता-पिता को अपने बच्चों को आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में आध्यात्मिक पहलू को भी शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों को अपने मन में करुणा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्कूलों को बच्चों को उनके दयालु कार्यों के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। धीरे-धीरे यही उनकी जीवन-शैली और उनका चरित्र बन जाएगा। इस तरह, वे जरूरतों और चाहतों के बीच अंतर समझना सीखते हैं। आवश्यकता चाहत या लालच से भिन्न होती है। यदि हमारा दृष्टिकोण सही होगा, तभी हम समाज का उत्थान कर सकेंगे।

हम विश्व को एक सुंदर फूल के रूप में, प्रत्येक राष्ट्र को उसकी एक पंखुड़ी के रूप में देख सकें। यह सुंदर और अमूल्य पृथ्वी एक दुर्लभ आशीर्वाद है, जो ईश्वर ने मनुष्यों और हमारे साथी प्राणियों को दिया है। उसकी सुंदरता और खुशी कभी कम न हो और वह हमेशा जीवित रहे, हर किसी के लिए खुशी और खुशबू फैलाती रहे। ईश्वरीय कृपा सभी को वसुधैव कुटुंबकम के सपने को साकार करने का आशीर्वाद दे।

वसुधैव कुटुंबकम...

सूत्र

वसुधैव कुटुंबकम यानी यह दुनिया एक बड़ा परिवार है के लोकाचार को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। मानवता के भविष्य के पथ, चिंतन और कार्यों में एकता की यह साझा भावना प्रतिबिंबित होनी चाहिए। अन्यथा हमारा लालच इस हद तक पहुंच जाएगा कि यह हमारे अस्तित्व को ही खतरे में डाल देगा।

दूसरा पहलू

आगरा किले में स्थित ऐतिहासिक विरासत को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक ने किया था तहस-नहस।

शाही हमाम को तोड़कर बेचने की तिकड़म

अगर अंग्रेजों का बस चलता, तो वे भारत से हर उस ऐतिहासिक वस्तु को बेचने के लिए ले जाते, जिससे जरा भी कमाई हो सकती थी। ताजमहल को बेचने का किस्सा तो विख्यात है, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत आगरा के किले से हुई थी। आगरा किले में दीवान-ए-खास में हमाम वाले कक्ष में प्रवेश करते ही लगता है, जैसे यहां कुछ कमी है, कुछ था जो अब नहीं है। फर्श और दीवारों को गौर से देखें, तो ऐसा लगता है कि पहले कुछ था, जिसे हटा दिया गया है। दरअसल यह कहानी है अंग्रेजों के लालच और कुटिलता की। ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजोरी जब बर्मा युद्ध (1824-26) की वजह से खाली होने लगी, तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक को यही सूझा कि आगरा की ऐतिहासिक इमारतों में मौजूद कीमती रत्नों और संगमरमर को बेच दिया जाए। यों तो अंग्रेज इतिहासकार ऐसी बातों को हवा-हवाई कहकर उड़ा दिया करते थे, पर इतिहासकार डॉ कविता सिंह ने लंदन और दिल्ली में 2017 में दिए कई लेक्चर में यह साबित किया कि कैसे अंग्रेजों का मकसद केवल भारत को लूटना था।

भूपेंद्र कुमार

बर्मा युद्ध की वजह से जब अंग्रेजों की तिजोरी खाली होने लगी, तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक ने आगरा की ऐतिहासिक इमारतों में मौजूद कीमती रत्नों एवं संगमरमर को बेचने की योजना बनाई।

अपनी योजना के तहत बैंटिक ने शाहजहां के दुर्लभ शाही हमाम को तोड़कर कीमती पत्थर और संगमरमर निकाल लिए, लेकिन बाजार में उसकी अच्छी कीमत नहीं मिली।

शाहजहां के शाही हमाम में मौजूद लाल बलुआ पत्थर के खंभे आज भी लंदन के विक्टोरिया ऐंड एलबर्ट म्यूजियम में मौजूद हैं। दिलचस्प यह कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा था कि 1815 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हमाम को बचाने के लिए इसे मूल जगह से हटाकर कोलकाता भेज दिया था, पर वहां भी इसके होने के कोई प्रमाण नहीं मिले। दीवान-ए-खास में ही वह जगह है, जहां शाहजहां का दुर्लभ शाही हमाम था। बैंटिक ने इसे तोड़कर बेचने की योजना बनाई, तो इसके पीछे भी षड्यंत्र था। बैंटिक की योजना ताजमहल का संगमरमर बेचने की थी, ताकि कंपनी को अच्छा मुनाफा हो, पर वह पहले आगरा किले में मौजूदा बेशकीमती हमाम को तोड़कर बेचना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि इसके संगमरमर और दुर्लभ रंगीन पत्थरों की अच्छी कीमत मिलेगी। वर्ष 1830 में वह आगरा आया था और उसके आदेश पर हमाम तोड़कर कीमती पत्थर और संगमरमर निकाल लिए गए। हालांकि नीलामी होने पर कोई खास कीमत नहीं मिली, उलटे ब्रिटेन में बैंटिक का विरोध शुरू हो गया। ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम स्लीमैन ने अपने संस्मरण *रैम्बल्स ऐंड रिकलेक्शंस ऑफ इंडियन ऑफिशियल* में लिखा है कि अगर हमाम महंगा बिकता, तो ताजमहल भी नहीं बचता। ...शायद हमाम का नष्ट होना ही ताजमहल को बचा गया।

आंकड़े

वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा खपत

बिजली के लिए व्यापारिक ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा की, जिसे प्राथमिक ऊर्जा कहा जाता है, वैश्विक खपत में भारत का स्थान तीसरा है।

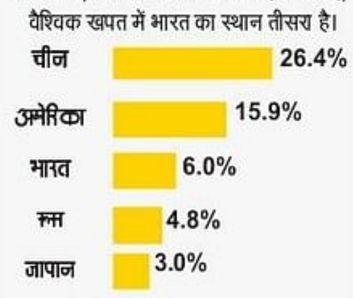

स्रोत : EE, Science Direct

कोरे बौद्धिक विकास से न राष्ट्र का भला होता है, न समाज का। बौद्धिक विकास के साथ-साथ भावनात्मक विकास जरूरी है।

शिक्षा और नैतिकता

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

एक बार कुछ शिक्षाविद आचार्य महाप्रज्ञ के सत्संग के लिए पहुंचे। महाविद्यालय के एक प्राचार्य ने कहा, 'आचार्यश्री, अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा का भी अवमूल्यन होते देख मुझे बहुत पीड़ा होती है। अब स्कूल-कॉलेजों का व्यावसायीकरण होता जा रहा है। आपकी दृष्टि में इस पतन के क्या कारण हैं?'

आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, 'ज्ञान का सार है आचार। दूध में मक्खन न निकले, तो दूध को सारहीन मानना पड़ेगा। नैतिकता पर ध्यान न देने के कारण ही आज शिक्षा के क्षेत्र में अवमूल्यन दिखाई दे रहा है। जबसे शिक्षा का उद्देश्य अर्थ कमाना और नौकरी करने तक सीमित कर दिया गया है, तब से यह गड़बड़ी शुरू हुई है।'

गुरुदेव आचार्य तुलसी ने भी कहा था, 'शिक्षा केंद्रों से ऐसे छात्र निकलने चाहिए, जिनका आदर्श जीवन हो और वे जिस क्षेत्र में जाएं, वहां नैतिकता का आदर्श स्थापित करें। मगर आज तो डिग्री लेकर धन कमाने की होड़ चल रही है। कोरे बौद्धिक विकास से न राष्ट्र का भला होता है, न समाज का। बौद्धिक विकास के साथ भावनात्मक विकास भी जरूरी है। जब तक नैतिक मूल्यों को शिक्षा का उद्देश्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश और समाज का सर्वांगीण विकास असंभव है।'

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 3 मई, 1955

होशंगाबाद उप चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट प्रत्याशी की जीत

श्री कामथ की शानदार जीत

होशंगाबाद, २ मई। लोकसभा की होशंगाबाद सीट से हुये उप चुनाव में प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार श्री हरिविष्णु कामथ ने कांग्रेसी उम्मीदवार डाक्टर सैयद अहमद मूसा को ३० हजार से भी अधिक वोटों से हरा दिया।

लोकसभा की होशंगाबाद सीट के लिए हुए उप चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हरिविष्णु कामथ ने कांग्रेसी प्रत्याशी डॉ सैयद अहमद मूसा को 30 हजार से अधिक वोटों से हराया।

रियल एस्टेट एजेंट की जवाबदेही तय हो

रेरा कानून की तरह सरकार को रियल एस्टेट एजेंटों की जवाबदेही तय करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए, ताकि वे खरीदारों को धोखा न दे सकें।

सतीश सिंह — **संपत्ति बाजार**

इंसान हो या पक्षी या फिर जानवर, सभी शाम को लौटकर अपने घर आते हैं, लेकिन भारत में आज भी बहुत कम लोग अपने घर के सपने को पूरा कर पाते हैं। अधिकांश लोगों का जीवन किराये के मकान में गुजर जाता है या फिर बिना किसी छत के। भारत में घरों के स्वामित्व का राष्ट्रीय औसत 86.6 फीसदी है। राज्यों में, सिक्किम में घर का स्वामित्व सबसे कम 64.5 फीसदी है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश, दमन और दीव में घर का स्वामित्व सबसे कम 38.3 फीसदी है।

नाबार्ड के आंकड़ों के अनुसार, देश की 58 फीसदी आबादी आज भी खेती-किसानी पर निर्भर है, लेकिन उनका ठीक से गुजर-बसर नहीं हो पा रहा है। इसलिए वे बेहतर रोजगार हासिल करने के लिए गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। इस वजह से शहरों में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। चूंकि जमीन सीमित है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए खुद का मकान बनाना मुमकिन नहीं है। इस समस्या के समाधान हेतु शहरों और कस्बाई इलाकों में अपार्टमेंट संस्कृति का आगाज हुआ है।

आरंभ में छोटी पूंजी वाले डेवलपर एक साथ कई परियोजनाओं को शुरू कर देते थे, ताकि ज्यादा संख्या में खरीदारों से दो से तीन किस्तों की वसूली की जा सके। एक से अधिक परियोजनाओं को जीवित रखने के लिए वे फंड डाइवर्ट करते थे, अर्थात कभी 'एक्स' परियोजना का पैसा 'वाई' परियोजना में लगा देते थे, तो कभी 'जेड' परियोजना में। नतीजतन कोई भी परियोजना समय से पूरी नहीं हो पाती थी। अमूमन, एजेंट के जरिये वे प्रॉपर्टी की कीमत 50 से 70 फीसदी नकद में वसूलते थे, ताकि काले धन को सफेद बनाया जा सके।

कालांतर में, बड़ी कंपनियां डेवलपर्स बन गईं, जिससे फंड डाइवर्जन, काले धन को सफेद बनाने की प्रक्रिया, खरीदारों को समय पर पजेशन नहीं मिलने जैसी अनियमिताओं पर अंकुश लग गया। सरकार ने भी खरीदारों की परेशानियों को समझा और वर्ष 2016 में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) कानून को अमली-जामा पहनाया।

यह अधिनियम राज्यसभा में 10 मार्च, 2016 को और लोकसभा में 15 मार्च, 2016 को पारित किया गया। रेरा अधिनियम को मूर्त रूप देने का मकसद था घरेलू खरीदारों के हितों की रक्षा करना। यह कानून डेवलपर को परियोजना के दो-तिहाई से अधिक खरीदारों की लिखित सहमति के बिना किसी फ्लैट, मकान, दुकान के लिए स्वीकृत योजना से अलग बदलाव करने से प्रतिबंधित करता है। इस कानून को अमली-जामा पहनाने के बाद से रियल एस्टेट में निवेश करने वाले ईमानदार निवेशकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

कुछ राज्यों को छोड़कर, भारत के लगभग सभी राज्यों ने रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए राज्य रेरा कानून को मूर्त रूप दिया। बेशक रेरा कानून रियल एस्टेट कारोबार में पारदर्शिता और जवाबदेही लेकर आया, इसके बावजूद, यह रियल एस्टेट एजेंटों के काले कारनामों पर प्रभावी ढंग से लगाम नहीं लगा सका। आज भी रियल एस्टेट एजेंट मोटी कमीशन के लालच में भ्रम पैदा करने वाली सूचनाएं, गलत जानकारी आदि देकर खरीदारों को दोयम दर्जे की प्रॉपर्टी मुंहमांगी कीमत पर दिलवा रहे हैं। अमूमन, खरीदार को अपार्टमेंट के आसपास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे उपलब्ध कराई गई सूचनाओं को न तो स्वयं सत्यापित कर पाते हैं और न ही किसी दूसरे से उसका सत्यापन करवा पाते हैं। अंतत, वे एजेंट के झांसे में आकर ठगे जाते हैं।

साफ है कि रियल एस्टेट एजेंट और डेवलपर को तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जब उनकी धोखाधड़ी को साबित किया जा सके। लिहाजा, सरकार को रेरा कानून की तरह रियल एस्टेट एजेंट की जवाबदेही तय करने के लिए एक ऐसे कानून को मूर्त रूप देना चाहिए, जिसमें केवल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा रियल एस्टेट एजेंट का कार्य करने, रियल एस्टेट एजेंट को डेवलपर का कानूनी प्रतिनिधि बनाने, रियल एस्टेट एजेंट को नियुक्ति पत्र और कमीशन देने की शर्तों का उल्लेख ऑफर लेटर में करने आदि के प्रावधान होने चाहिए। साथ ही, जमीन की खरीद-फरोख्त में विक्रेता को पैसे मिले या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए विक्रेता को खाते का विवरण रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य कर देना चाहिए। ऐसे प्रावधानों से काले धन के सर्कुलेशन पर लगाम लगेगी और रियल एस्टेट एजेंट खरीदार से अवांछित कीमत की वसूली नहीं कर सकेगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

पारदर्शिता लानी ही होगी सियासी दलों को चंदे में

देश की शीर्ष अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देने के फैसले के बाद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उसने बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने ताजा निर्देश में कहा है कि एसबीआइ को 12 मार्च तक यह जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी और चुनाव आयोग को इसे 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर साझा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी साझा करने में देरी के लिए एसबीआइ की सभी दलीलों को भी खारिज दिया।

राजनीतिक दलों को मिलने वाला संदेहजनक चंदा सदैव ऐसी प्रवृत्ति से जोड़कर देखा जाता है जिसमें देने वाले को बदले में कुछ लेने की चाहत भी रहती है। मोटे तौर पर चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए वर्ष 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था बैंक से निश्चित रकम के चुनावी बॉन्ड खरीद कर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को गुमनाम चंदे के रूप में दे सकता था। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी इस तरह से गुप्त रखने पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। वह इसलिए भी कि कालेधन का इस्तेमाल भले ही इस प्रक्रिया से एक हद तक रुक गया लेकिन जब अधिकांश चुनावी बॉन्ड सत्ता पक्ष को ही मिलने लगे। धीरे-धीरे चुनावी बॉन्ड योजना की कई खामियां सामने आने लगीं। मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो उसने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। वैसे भी सूचना के अधिकार के दौर में चुनावी चंदे को लेकर ऐसी गोपनीयता को उचित नहीं कहा जा सकता। एसबीआइ भले ही चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दे लेकिन भविष्य के लिए भी कोई न कोई पारदर्शी व्यवस्था चुनावी चंदे को लेकर करनी ही होगी। राजनीतिक दलों को आरोप-प्रत्यारोप लगाने का मौका भी तब ही मिलता है जब किसी एक दल के मुकाबले दूसरे दलों को चंदा कम मिल रहा हो। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी भी है कि चुनावों से जुड़ी हर प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। खास तौर से उस वक्त जब राजनीतिक दलों के खातों में धन के प्रवाह का मामला हो।

आज सत्ता में कोई दल है और कल कोई दूसरा दल भी होगा। ठोस नियम-कायदे बनेंगे तो सभी दल इसकी परिधि में रहेंगे। चंदे की ऐसी नीति बनानी होगी जो पक्ष-प्रतिपक्ष को मंजूर हो। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली किसी भी योजना को लोकतंत्र हितैषी कतई नहीं कहा जा सकता। राजनीति में शुचिता को लेकर मतदाताओं को भरोसा दिलाना जरूरी है।

कला : मनुष्य जीवन की हर व्याधि का उपचार नाटक से होता है, वह महा औषधि है

यांत्रिकता से मुक्त कर चिन्तनशील और विवेकवान बनाने में सक्षम है रंगमंच

ज्योतिष जोशी
आलोचक व कलाविद और सीनियर फेलो, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली
@patrika.com

हम जिस समय में हैं और जिन संकटों से गुजर रहे हैं, उनमें तकनीक के दुष्प्रभाव से पैदा हुआ संकट अधिक भयावह रूप लेता जा रहा है। हमारे समाज का बड़ा हिस्सा इसकी गिरफ्त में है और समय रहते इसका समाधान नहीं खोजा गया तो स्थिति विकट हो जाएगी। भर्तृहरि ने कहा था- 'साहित्यसंगीत कलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः'। अर्थात साहित्य, कला और संगीत से हीन मनुष्य उस पशु के समान है जिसकी पूंछ और सींग नहीं होते। मुश्किल यह है कि वर्तमान परिदृश्य में यह सार्वजनिक सच हो गया है और तथाकथित पढ़ा लिखा समाज भी इसी दशा को प्राप्त हो गया है। तकनीक के इस भयावह दुष्प्रभाव का समाधान सर्जनात्मक कलाओं से होकर गुजरता है जिन्हें हमने उपेक्षित कर रखा है। साहित्य हो या संगीत, नृत्य हो या नाटक-रंगमंच, चित्रकला हो या समेकित रूप से सांस्कृतिक उद्यम; इनसे मनुष्य अपने जीवन में संवेदनशील होना सीखता है और निरन्तर वैचारिक उन्मेष की संभावना उसमें बनी रहती है। आज की स्थिति में ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसका असल कारण यह है कि हमारे जीवन में कलाओं की जगह नहीं रह गई है। हम सृजन और विचार के मूल्य नहीं समझ पा रहे। यह स्थिति अचानक आ गई हो, ऐसा भी नहीं है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के इस कथन को एक सूत्र के रूप में समझना होगा कि- 'नाटक जीवन की महौषधि है।' यानी मनुष्य जीवन की हर व्याधि का उपचार नाटक से होता है, वह महा औषधि है। इसी तरह रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'नाटक को कल्पनाशीलता और नए वैचारिक सूत्रों को जन्म देनेवाला' माना है।' यह मानसिक विकारों को ठीक करने वाला है। प्रश्न यह है कि जब समाज में नाटक की कोई भूमिका ही न होगी तो मनुष्य कैसे इन्हें अपने मानसिक विक्षेप का समाधान बना पाएगा?

भारत में प्रायः अनेक भाषाओं में नाटक-रंगमंच का एक भरापूरा संसार है। वह उन भाषाओं के लोगों के संस्कार में शामिल है और जीवन व्यवहार में भी। कदाचित यही कारण है कि तकनीक के बढ़ते दबाव के बावजूद उन भाषाओं में वैसी विकृतियां कम देखी जा रही हैं जो हिन्दी अंचल में दिखती हैं। बांग्ला, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल आदि भाषाओं में रंगमंच की अपनी एक समृद्ध दुनिया है। व्यस्त मशीनी जीवन के बीच फुर्सत निकालकर लोग उनसे अपने मानसिक विक्षेपों का निदान करते हैं। नाटक देखना उनके जीवन में केवल रुचि या शौक का विषय नहीं है, उनकी आवश्यकता भी है। हालांकि पहले की स्थिति वहां भी नहीं रह गई है, किन्तु उतनी बुरी नहीं है जितनी कि वह हिंदी भाषी-समाज में है। मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पर बात करते हुए हम अक्सर सामान्यीकरण का शिकार हो जाते हैं और हिन्दी भाषी समाज की दुर्दशा को देश की दुर्दशा मानकर विचार करने लगते हैं। यह पूरी तरह सच नहीं है। इसका असल कारण यही है कि हिन्दी क्षेत्र में कभी कोई सांस्कृतिक आंदोलन नहीं हुआ, न भाषा के स्तर पर और न संस्कृति के स्तर पर। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां हिन्दी स्वयं भाषा के स्तर पर अराजकता का शिकार हुई, वहीं संस्कृति के स्तर पर कभी उसकी बदहाली दूर ही नहीं हुई।

आजादी के बाद जिस पश्चिमी ढंग के 'प्रोसिनियम थिएटर' को आधुनिकता का पर्याय मानकर विकसित किया गया, उससे स्थिति अधिक खराब हुई। इसका असर यह हुआ कि पारंपरिक ढंग के रंग संस्कारों ने आधुनिक रंगमंच को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। इससे यह हुआ कि कथित आधुनिक रंगमंच सिर्फ नगरों तक केंद्रित होकर रह गया। इसके समानांतर हिन्दी क्षेत्र की नाट्य शैलियां- नाच, नाचा, माचा, बिदापत, कीर्तनिया, बिदेशिया, नौटंकी, स्वांग या भगत जैसी अनेक कलाएं प्रश्रय और संरक्षण के अभाव में विलुप्ति की कगार पर आ गईं। यह आश्चर्य होता है कि जिन पारम्परिक नाट्य शैलियों ने पश्चिमी ढंग के नाट्य व्यवहार के साथ-साथ पारसी रंगमंच के भोंडेपन का विरोध कर हिन्दी पट्टी के रंग संस्कारों को बचाए रखा था, आजादी के बाद उनकी कोई सुधि नहीं ली गई। जिन्हें हमने आधुनिक रंगमंच माना और जिनके प्रशिक्षण और संरक्षण के लिए बड़े नाट्य विभाग और नाट्य विद्यालय बनाए, उन्होंने भी हिन्दी पट्टी की पारम्परिक नाट्य शैलियों की अनदेखी की। स्थिति तो तब और विकट हो गई जब हमारे कथित मुख्यधारा का रंगमंच हिन्दी का एक समग्र रंगमंच तक तैयार न कर सका और वह विदेशी नाटकों के अनुवाद, हिन्दीतर भाषाओं के नाटकों के रूपांतरण तथा कथा-कविता के नाट्यान्तर का रंगमंच बन गया। यह आजादी के बाद के हिन्दी रंगमंच की दुःखद सच्चाई है जिसमें अधिकतर नाटक भी वही लिखे और खेले गए जो नगरीयबोध के दर्शकों की रुचियों के अनुकूल थे। निसन्देह नाटक-रंगमंच में वह शक्ति है जो मनुष्य की यांत्रिकता को रचनात्मक प्रवृत्तियों से शमित कर सके। वह उसे वैचारिकता और कल्पनाशीलता से सम्पन्न कर सके। उसमें दया, माया और करुणा का भाव पैदा कर सके। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है- 'विभावानुभाव संचारी संयोगद्रस निष्पति।' अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पति होती है।

> बांग्ला, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल आदि भाषाओं में रंगमंच की अपनी एक समृद्ध दुनिया है।

reader's fest राजस्थान पत्रिका 69 7 मार्च 69वां स्थापना दिवस

यह रस जीवन आनन्द है। यही हृदय का स्पंदन है और उसका सुख है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है-'रसो वै सः। रसं ह्योवायं लब्ध्वानन्दी भवति।' अर्थात वह रस स्वरूप है। जो इस रस को पा लेता है, वही आनन्दमय बन जाता है। रस ही परम अनुभति है। वही ईश्वर है और वही अनिर्वचनीय सुख भी। नाटक चूंकि समग्र कला है, इसलिए उसमें यह शक्ति होती है कि वह मनुष्य को हर तरह की यांत्रिकता से मुक्त कर उसे चिन्तनशील और विवेकवान बनाए रख सके। उसके हर प्रश्न का समाधान दे और समस्त जीवन मूल्यों के साथ उसे जीने की प्रेरणा दे। जीवन अंततः लीलारूप है। नाटक उस लीलाभाव का साक्षात्कार है। मनुष्य उसे अंगीकार कर अपनी उन सभी प्रवृत्तियों से बचने की राह खोज लेता है जो उसे मनुष्य होने से रोकती हैं।

जीवन में करुणा, हास, राग, विराग, शोक और क्रोध को मनुष्य के जाग्रत विवेक के साथ संगति बिठाकर नाटक सभी विकृतियों से मुक्त करता है। विकट समय में भी नाटक ही ऐसा कलारूप है जो मनुष्य की संवेदनशीलता और विचारप्रवणता जाग्रत बनाए रख सके। इसके लिए आवश्यक है कि जहां हम नाटक देखने की तरफ प्रेरित हों, वहीं यह भी अनिवार्य है कि नाटक-रंगमंच को हमारे जीवन-व्यवहार में शामिल करने के प्रयास भी किए जाएं। जब तक नाटक हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक हमारे भीतर रंग संस्कार निर्मित नहीं हो सकेगा।

मुद्दा : नेताओं की सजा घटाने या माफ करने की प्रवृत्ति

जनता के प्रति जवाबदेही पर भारी पड़ती सत्ता की लालसा

कीथ बी. रिचबर्ग
निदेशक, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज सेंटर
द वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

दक्षिण पूर्व एशिया के कई राजनेताओं को पिछले कुछ समय में राहत मिली है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की 12 साल की कैद की सजा घटा कर आधी की जा रही है। अब वे अगले आम चुनावों से पहले 2026 में रिहा हो जाएंगे। नजीब पर सरकारी निवेश फंड से अरबों डॉलर की चोरी का आरोप था। यह सदी की सबसे बड़ी चोरी की घटनाओं में गिनी जाती है। नजीब की सजा कम करने पर मलेशियाई नागरिकों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया आई कि 'यह फैसला न्याय के मुंह पर तमाचा' है।

इसी तरह थाईलैंड के अपदस्थ प्रधानमंत्री थकसिन शिनावत्रा को एक जेल अस्पताल से रिहा कर दिया गया। उन पर भ्रष्टाचार व सत्ता के दुरुपयोग के आरोप थे। 17 सालों से स्वनिर्वासित थकसिन उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद अगस्त में ही थाईलैंड लौटे थे। तब थाईलैंड की जनता ने भी थकसिन को मिल रहे इस विशेष महत्व पर सवाल उठाए थे। इसी प्रकार इंडोनेशिया में हुए चुनावों में सेना के पूर्व जनरल व रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो 50 प्रतिशत से ज्यादा मतों के साथ आसानी से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए। उनके समर्थक भले ही इससे खुश दिखाई दिए लेकिन आलोचकों का कहना था कि यह अधिनायकवाद के लौटने का खतरा है। प्रबोवो की जीत पूर्व सैन्य विशेष बलों के कमांडर के पुनर्वास का प्रतीक है, जिसे 1990 में मानवाधिकार हनन के आरोपों पर सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। उस पर कार्यकर्ताओं को गायब करने का भी आरोप है। इनमें से कुछ अब भी लापता हैं। प्रबोवो को तख्ता पलट का प्रयास करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया व दो दशक तक उनके अमरीका में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी।

> क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को साथ रखना आम चलन हो गया है। फिलीपीन्स में 1980 में तख्ता पलट की साजिश रचने वालों को तुरंत ही माफी मिल गई। इनमें से कुछ राजनेता बनकर उभरे और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की मदद से सत्ता में विभिन्न पदों तक पहुंचे।

उक्त सारे संदर्भ तीनों लोकतांत्रिक देशों की राजनीति के स्थाई लेकिन संकटपूर्ण पहलू को दर्शाते हैं-सजा मुक्ति की व्यापक संस्कृति। इसके तहत राजनेताओं की पिछली गलतियों को शीघ्र भुला दिया जाता है। राजनेता आश्चर्यजनक रूप से अपने ताकतवर प्रतिद्वंद्वियों को अपने निकट रखना चाहते हैं। चूंकि कानून की दुहाई देकर पत्रकारों को खामोश कर दिया जाता है, आंदोलनकारियों को जेल भेज दिया जाता है; ऐसे में राजनेताओं को कड़ी सजा दिलाना मुश्किल है। क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को साथ रखना आम चलन हो गया है। फिलीपीन्स में 1980 में तख्ता पलट की साजिश रचने वालों को तुरंत ही माफी मिल गई। इनमें से कुछ राजनेता बनकर उभरे और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की मदद से सत्ता में विभिन्न पदों पर पहुंचे।

दक्षिण एशियाई नेता कहते हैं कि वे अमरीका की विभाजित राजनीति के मुकाबले राष्ट्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को साथ लेकर चलना एक प्रकार से अपने बारे में सर्वसम्मति बनाना है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि क्षेत्र का लोकतंत्र प्रभावित होता है, कानून का मखौल उड़ाया जाता है। जब आम जन राजनेताओं की ऐसी मिलीभगत देखता है तो उसका राजनीति से मोह भंग हो जाता है।

प्रबोवो का पुनरुत्थान तब हुआ जब उन्हें दो बार हरा कर राष्ट्रपति बने जोको विडोडो ने उन्हें अपने केबिनेट में शामिल किया। दो कार्यकाल पूरे होने के बाद 'जोकोवि' के नाम से लोकप्रिय विडोडो ने प्रबोवो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बदले में प्रबोवो ने विडोडो के कम योग्य पुत्र गिब्रान राकाबमिंग राका को अपना साथी नामित किया। मलेशिया में नजीब की सजा में कटौती का फायदा प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को हुआ और उन्हें नजीब के समर्थक मलय समुदाय का समर्थन मिला। थाईलैंड में सत्ताधारी जनरलों ने तय किया कि वे थकसिन की लोकप्रिय फेउ थाई पार्टी का समर्थन करेंगे बजाय सुधारवादी पार्टी के जिसने पिछला चुनाव जीता था।

चाहे कुछ भी हो,यह दण्ड मुक्ति का चलन कानून का अपमान है। लोकतंत्र में कानून का राज जरूरी है। सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। राज करने के लिए नेता दूसरे नेताओं के अपराधों की अनदेखी करेंगे, तो जनता का लोकतंत्र के प्रति विश्वास कम ही होगा।

कन्याकुमारी से कश्मीर तक ■ **कांग्रेस के सामने सीटें बढ़ाने की तो भाजपा के सामने बरकरार रखने की चुनौती**

कर्नाटक में खरगे की होगी परीक्षा, भाजपा मोदी के सहारे

देश का चुनावी मिजाज
लोकसभा चुनाव 2024

अनंत मिश्रा

दक्षिण राज्यों में चुनाव पूर्व माहौल देखने के मकसद से मेरी यात्रा का अगला पड़ाव था कर्नाटक। अलेप्पी से रात को मावेली एक्सप्रेस पकड़ी और अगले दिन सुबह पहुंच गया मेंगलूरु। तीन घंटे मेंगलूरु में घूमने के बाद मुरदेश्वर एक्सप्रेस पकड़कर उडुप्पी जा पहुंचा।

कर्नाटक

यह वही उडुप्पी है जिसने सालभर पहले हिजाब मुद्दे पर देश का ध्यान खींचा था। दक्षिण का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला कर्नाटक एक मात्र दक्षिण राज्य है, जहां भाजपा न सिर्फ अपनी जड़ें जमा चुकी है बल्कि तीन-चार बार सत्ता में भी रह चुकी है। तमाम दूसरे लोगों की तरह मेरे मन में भी एक सवाल घूम रहा था कि क्या दस महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवा चुकी भाजपा यहां पिछले लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहरा पाएगी?

यही सवाल जब मेंगलूरु के सांई मंजूनाथ से पूछा तो बोले- एकाध सीट भले कम हो जाए पर भाजपा ही यहां बढ़त में रहेगी। निजी स्कूल में अध्यापक मंजूनाथ से जब दूसरा कारण जानना चाहा तो जवाब मिला कि विधानसभा चुनाव में हार भाजपा की हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट नरेन्द्र मोदी को मिलेगा। उनका मानना है कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार के चलते भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी।

डेढ़ दिन उडुपी में रहा, लेकिन अब वहां न हिजाब की चर्चा है और न राम मंदिर की। चर्चा है तो बस मोदी की। कर्नाटक वित्त निगम में सहायक महाप्रबंधक रहे पी.एम. कामता से सवाल किया तो बोले, बाकी नेताओं और मोदी में दो मुद्दों पर बहुत बड़ा अंतर है। मोदी पर न भ्रष्टाचार का आरोप है और न परिवारवाद का। उन्होंने बताया कि, कर्नाटक में जनता दल (एस) का वजूद भले तीन-चार सीटों पर ही हो, लेकिन पूरे राज्य में उसका वोट बैंक है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी जेडी (एस) इस बार भाजपा के साथ है। इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाजपा में सब कुछ ठीक है। प्रदेश की राजनीति से बी.एस. येदियुरप्पा भले हट गए हों, लेकिन उनके पुत्र को भाजपा संगठन की कमान सौंप दी गई है। इसे लेकर पार्टी का एक धड़ा खुश नहीं है।

राज्य की राजधानी में पिछले दिनों हुआ बम विस्फोट और राज्य के अनेक शहरों में चल रही पानी की किल्लत की चर्चा जरूर सुनने को मिली। भाजपा का सीधा आरोप है कि कांग्रेस का राज आते ही विस्फोट फिर होने लगे हैं। विधानसभा चुनाव में लिंगायत और वोक्कालिगा मुद्दा चरम पर रहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरणों का मुद्दा प्रभावी नहीं जान पड़ता है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी भी कर चुकी है और भाजपा-जेडी (एस) की सूची भी आने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पिछले साल कांग्रेस को चुनावी संजीवनी मिली थी। लेकिन इस बार मोदी के मुकाबले इस प्रदेश में राहुल गांधी के दौरे कम हुए हैं।

कर्नाटक, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का गृह राज्य है। पिछले चुनाव में राज्य की 28 में से सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस के हाथ लगी थी। इस बार के चुनाव नतीजे तय करेंगे कि खरगे अपने राज्य में अपनी पार्टी को कितनी सफलता दिला पाए। पांच साल पहले के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री रहे एच.डी देवगौड़ा को भी हार का सामना करना पड़ा था। उडुप्पी के अलावा दूसरे शहरों में अभी चुनावी रंग चढ़ना शुरू नहीं हुआ है। सभी टिकट सामने आने के बाद चुनावी रंगत परवान पर चढ़ेगी। यहां कांग्रेस के सामने चुनौती सीटें बढ़ाने की है तो भाजपा के सामने अपनी सीटों को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है।

उडुपी जिले के मालपे बीच पर समुद्र की लहरों पर तैरता पुल। यह पुल सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है।

किस दल को कितनी सीटें मिली

कुल सीट 28

भाजपा	25
कांग्रेस	1
जेडी (एस)	1
निर्दलीय	1

लोकसभा चुनाव 2019

किस दल को कितने मत मिले

51.75% भाजपा | 32.11% कांग्रेस | 9.74% जेडी(एस) | 3.92% निर्दलीय

■ पिछली बार कांग्रेस को 28 में से एक ही सीट मिल पाई थी

■ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कर्नाटक गृह राज्य है

भाजपा में केन्द्रीय मंत्री का विरोध

उडुप्पी-चिकमगलूर लोकसभा सीट से दो बार से जीत रही केन्द्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को फिर प्रत्याशी बनाने को लेकर भाजपा का एक धड़ा भारी विरोध कर रहा है। पिछले दिनों पार्टी कार्यकर्ताओं ने करंदलाजे को टिकट नहीं देने को लेकर एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता राजीव हेगड़े से बातचीत हुई तो बोले, हमारी सांसद ने दस साल में क्षेत्र के लिए कुछ खास नहीं किया है। भाजपा के भीतर इस विरोध को बी.एस. येदियुरप्पा के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी का एक धड़ा मानता है कि येदियुरप्पा अब भी पर्दे के पीछे से भाजपा को नियंत्रित कर रहे हैं।

दक्षिण के 'मौसम विज्ञानी'

पिछली बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी जनता दल (एस) इस बार भाजपा के साथ खड़ी है। मेंगलूरु के कपड़ा व्यापारी एम. अशरफ ने चुटकी लेते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी देवगौड़ा दक्षिण भारत के मौसम विज्ञानी हैं। वे कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के साथ गठजोड़ करते रहते हैं। जनता दल (एस) कांग्रेस के सहयोग से सरकार चला चुकी है। इस बार उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस में नेतृत्व विवाद उभर ही आता है। पिछले चुनाव में पार्टी ने भले सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के समर्थक इसे पचा नहीं पाए हैं। कांग्रेस दो धड़ों में बंटी है। डीके के भाई डीके सुरेश को बेंगलूरु दक्षिण से पार्टी प्रत्याशी बनाया है।

आधी आबादी

अब कन्या-मान पर ध्यान देने का वक्त

नारी के आर्थिक सामर्थ्य का विकास उसके सम्मानपूर्ण जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। बदलते परिवेश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है। आर्थिक संबल का सकारात्मक प्रभाव एक महिला को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है।

बेटियों को पढ़ाना और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए मजबूत आधार देना उनके जीवन में बहुत महत्त्व रखता है। नौकरी या अपना व्यवसाय करने का मतलब है फैसले लेने की स्वतंत्रता, चुनौती झेलनी की काबिलियत, अपने वजूद को पहचानने के कौशल और समाज पर अपना प्रभाव छोड़ने की क्षमता को साबित करना। यह अवसर हर व्यक्ति को समान रूप से मिलना चाहिए । इस बात को समझना होगा कि आज कन्या-दान से भी अधिक जरूरी है कन्या-मान। गरिमामय, सुरक्षित तथा सुदृढ़ भविष्य के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता नितांत आवश्यक है।

मिताली गर्ग
लेखिका पुलिस सेवा की अधिकारी हैं
@patrika.com

महज योजनाएं बनाने से महिलाओं का आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। इनके सही क्रियान्वयन के लिए ऐसी सामाजिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता है जो इन नीतियों के इच्छित परिणामों को मूर्त रूप दे सके। इसके लिए बालिका शिक्षा व प्रशिक्षण, महिला कौशल विकास व रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यक है। समस्त क्षेत्रों में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व मिले, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो और सबसे महत्त्वपूर्ण है उनको सुरक्षित माहौल मिले। इनके अभाव में महिला सशक्तीकरण की बातें महज किताबी बनकर रह जाती हैं।

महिला सशक्तीकरण व आर्थिक समावेशन के द्वारा ही एक सुरक्षित, स्वस्थ व समान समाज की स्थापना संभव है। एक रिसर्च के मुताबिक लिंग-भेद कम होने की स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद में काफी वृद्धि संभव है। राष्ट्र के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उसका बुनियादी ढांचा है। महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक विकास व समावेशन, अर्थव्यवस्था की ही नहीं बल्कि समाज की आधारशिला है। महिला विकास व लैंगिक समानता में निवेश समग्र राष्ट्र की प्रगति में निवेश है जो कि भविष्य में अपार अवसरों एवं समग्र समाज को सशक्त करेगा। महिला सशक्तीकरण में निवेश से महज महिलाओं को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि यह राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में भी मददगार साबित होगा।

आपकी बात

लेना पड़ता है कर्ज

शादियों में दिखावे का प्रचलन बढ़ गया है। अमीरों पर तो इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चे भी इसी प्रकार के दिखावे की अपेक्षा करने लगते हैं। इसके कारण परिवार के मुखिया को कर्ज लेना पड़ता है या बरसों की जमापूंजी खर्च करनी पड़ती है।

- **उमराव सिंह वर्मा,** बेमेतरा, छत्तीसगढ़

फिजूलखर्ची रोकी जाए

खर्चीली शादियों का बुरा असर निम्न व मध्यमवर्गीय समाज पर पड़ रहा है। दिखावे के चक्कर में ब्याजखोरों से बहुत ज्यादा ब्याज पर धन उधार लेकर शादियां तो कर दी जाती हैं, लेकिन कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में जमीन, मकान, गहने तक को बेचना पड़ता है। शादियों में फिजूलखर्ची रुकनी चाहिए।

-**गजानंद,** जयपुर

आज का सवाल

मणिपुर में अब भी शांति क्यों नहीं हो पा रही?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, ' खर्चीली शादियों का समाज पर क्या असर पड़ रहा है?' इस मुद्दे पर कुछ प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी दी जा रही हैं।

rb.gy/y3a7kc

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

सीएए लागू करना अच्छा भ्रम का खात्मा भी जरूरी

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने सीएए की अधिसूचना जारी कर ही दी। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अवैध प्रवासियों पर लागू होता है जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई हैं। इस कानून के तहत उन गैर मुस्लिमों को देश की नागरिकता दी जाएगी, जिन्हें पड़ोसी देशों में प्रताड़ित गया है। जो प्रताड़ना से तंग आकर भारत आने चाहे तो देश उनका स्वागत करेगा। जब पहली बार देश में सीएए की चर्चा हुई तो हंगामा खड़ा हो गया था। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ा था कि यह गैरकानूनी है और अगर अन्य देशों के लोगों को नागरिकता देनी भी है तो इसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कौन भूल सकता है कि इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली में लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया गया था। सीएए इन लोगों के लिए भारतीय नागरिक बनने की योग्यता अवधि को 11 साल से घटाकर पांच साल कर देता है, बशर्ते कि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो। कोई भी व्यक्ति जो इस आवश्यकता को पूरा करता है, उसे अधिनियम के तहत अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता नहीं है। सीएए उन असंख्य लोगों की मदद करेगा जो पहले आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ थे। इसमें खास बात यह भी है कि सीएए भारत के बाहरी संबंधों को प्रभावित नहीं करता है और भारत का अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ कोई प्रत्यावर्तन समझौता नहीं है। सीएए केवल मुस्लिम-बहुल देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रदान करता है, जहां धार्मिक उत्पीड़न की संभावना अधिक है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि केंद्र सरकार को यह कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका सीधा और सरल जवाब यही है कि अगर मुस्लिम देशों में किसी गैर मुस्लिम को प्रताड़ित किया जाता है तो वो कहां जाए। हम आए दिन खबरें देखते और सुनते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में हिन्दुओं पर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं। हिन्दुओं की नाबालिग बेटियों का अपहरण करके उनके साथ जबरन निकाह किया जा रहा है। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में हिन्दुओं का लगातार शोषण हो रहा है। यहां तक कि पड़ोसी देश में सांसद या फिर उच्च पद पाने वाले हिन्दू भी सुरक्षित नहीं है। कौन भूल सकता है कि पाक में सांसद रहे डिवायाराम शोषण के चलते ही भागकर हिन्दुस्तान आ गए और अब फतेहाबाद में मूंगफली बेच रहे हैं। ऐसे ही पाक में पुलिस अधिकारी रहे जरनल सिंह भारत भाग आए थे। जब वहां इतने बड़े लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम हिन्दुओं की हालत को सहज ही समझा जा सकता है। इसी शोषण के चलते पाकिस्तान में हिन्दुओं की तादाद लगातार कम हो रही है। वहां के हिन्दू भागकर भारत आ रहे हैं, लेकिन कानूनी पेचिदगियों के चलते उन्हें नागरिकता नहीं मिल पा रही। ऐसे मैं जरूरी हो जाता है कि सीएए तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। हालांकि इसे लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग गुमराह करने से भी बाज नहीं आ रहे। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस बारे में जागरूकता लाने के प्रयास किए जाएं। देश को समझाया जाए कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा।

आंबेडकर विमर्श
प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

महिला सशक्तिकरण का हो प्रयास

बाबासाहेब का मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं एवं उन्हें उनकी गरिमा के साथ जीने का सुअवसर उपलब्ध है कि नहीं? दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता किसी भी का देश विकास संभव नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी सरकार बाबासाहेब के विचारों को लेकर काफी काम कर रही है और आधी आबादी के विकास में यदि डॉ. आंबेडकर की मंशा को मूर्त रूप दिया जाएगा तो इससे भारत की स्त्रियाँ, हाशिये के समाज और अपने हक़ से वंचित लोगों की गरिमा सुरक्षित व संरक्षित होगी।

विश्व में महिला सशक्तिकरण के लिए खूब बातें हो रही हैं, लेकिन स्त्रियों के बीच से उनके अधिकारों के हनन का शोर भी है। भारत में स्त्री-प्रश्न पर दुनिया की अपेक्षा न तो आन्दोलन है, और न ही असंतोष, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों के सशक्तिकरण पर कई स्तर पर ध्यान दिया गया है। डॉ. भीमराव आंबेडकर की चिंता केवल आधी आबादी को लेकर नहीं थी, अपितु उनका तो सम्पूर्ण चिंतन उस विरासत से मुक्ति का था, जो व्यक्ति को असमानता में धकेलते हों। श्रम के बराबर हक़ जहाँ न मिलता हो और घृणा और अस्पृश्यभाव से जिन्हें देखा जाता हो। हमारे देश में डॉ. आंबेडकर ने स्त्रियों के लिए संघर्ष किया। उन्हें सम्मान के लिए हक़दार बताया और उनकी गरिमा की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई और निःसंदेह संपत्ति में स्त्रियों के अधिकार की बात बाबासाहेब ने ही उठाई।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 3 अक्तूबर, 1954 को आकाशवाणी को एक साक्षात्कार दिया था, उसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कहीं, एक, मेरे जीवन संबंधी दर्शन में आजादी का विशेष स्थान है। दूसरा, मेरे दर्शन में समता का स्थान स्वतंत्रता से ऊंचा है। इस 'आज़ादी' और 'समता' के सन्देश को यदि भारतीय मानस या दुनिया की आबादी समझ ले तो इसमें समस्त नारीवादी आन्दोलन और उनकी मांगों का हल है। स्त्रियाँ आज़ादी चाहती हैं, स्त्रियाँ समानता चाहती हैं। इसके अतिरिक्त उनकी कोई दूसरी मांग है ही नहीं। यदि डॉ. आंबेडकर इन दोनों मांगों के लिए भारतीय मानस तैयार करने के हिमायती थे तो यह बात समझने की है कि उनकी स्त्रियों के प्रति क्या इच्छाएं थीं। यद्यपि इसे कहा जाएगा कि यह तो सबके लिए उनकी बात थी, लेकिन सबमें स्त्रियाँ भी सम्मिलित हैं, इसे भी कोई नकार नहीं सकता।

बाबासाहेब का मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं एवं उन्हें उनकी गरिमा के साथ जीने का सुअवसर उपलब्ध है कि नहीं? दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता तो किसी भी देश का विकास संभव ही नहीं। इसीलिए भारत में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए डॉ आंबेडकर ने महिलाओं के विकास, उन्नति एवं उनके पूरे अधिकारों व गरिमा को दिलाने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए 1951 में 'हिंदू कोड बिल' संसद में पेश किया। इस कोड बिल में स्त्रियों के लिए विशिष्ट अधिकार, हिंदू कानून के अनुसार विवाहित व्यक्ति के लिए एकाधिक पत्नी अर्थात बहुविवाह प्रतिबंध, अविवाहित कन्याओं और विधवाओं को बिना कोई शर्त के पिता या पति के सम्पति पर उत्तराधिकार और अंतरजातीय विवाह को मान्यता का प्रावधान था। इसमें अंतनिर्हित बाबासाहेब के केवल विचार नहीं थे अपितु उनकी वे संवेदनाएं थीं, जिनसे स्त्रियाँ सुरक्षित रहकर अपने जीवन में अवसाद में न जाएँ। उन्हें पूर्णतया आत्मबोध और सुरक्षाबोध भी हो. इस बिल को 1951 में अंबेडकर ने संसद में पेश किया था, लेकिन भारत का दुर्भाग्य था कि संसद के अंदर और बाहर इसका जमकर विरोध हुआ। बाबासाहेब ने क्षुब्ध

होकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जो इच्छा थी उसे हतोत्साहित कर दिया गया। यद्यपि बाद में कुछ संशोधनों के साथ हिंदू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा सन 1955 में पारित कर दिया गया जिसके तहत तीन कानून बने- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1955), हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम (1956) और हिंदू एडॉप्शन और भरणपोषण अधिनियम (1956)। ये अधिकार भारत के शोषित तबके को सशक्त करते हैं।

आज युद्ध क्षेत्र में स्त्रियों को वस्तु के रूप में देखा जा रहा है या अफगान स्त्रियों के भीतर व्यापक रोष है। उनका अपने स्थानीय प्रशासन से, तो कहीं न कहीं उनकी आज़ादी छिन गई है। उन्हें समान दर्जा पुरुष प्रधान-समाज द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अब यदि पूरी दुनिया का विश्लेषण करें तो स्टेट के बारे में ही एक राय यह बन रही है कि स्टेट्स खुद पितृसत्ता के ही बिम्ब हैं। वे पितृसत्ता सा व्यव्हार करते हैं और स्त्रियाँ उनके द्वारा अतिक्रमण का शिकार बनती हैं। पहले समाज में पितृसत्ता व्यवस्था थी जहां स्त्रियाँ लड़ने हेतु मजबूर होती थीं, यदि स्टेट्स के ही चरित्र पितृसत्तात्मक हो जाएंगे तो फिर आधी आबादी की लड़ाई निश्चित रूप से दुरूह हो जाएगी। अफगान, ईरान और विकसित देशों में भी स्त्रियों के जो हालात हैं, वे ठीक नहीं हैं। कठिनाइयाँ कम नहीं हो रही हैं। भारत में डॉ. आंबेडकर का कहना था कि सामाजिक जीवन के त्रिगुण सिद्धांतों को समाप्त कर हिन्दू समाज में क्रांति ला सके, ऐसा मेरा दर्शन क्रांतिकारी है। मेरा दर्शन केवल मेरे लिए नहीं है, वह सबके लिए है। अलग शब्दों में कहूं तो मेरे दर्शन का ख़ास उद्देश्य है। आंबेडकर के दर्शन में उनके जीवन का सार है।

आज डॉ. भीमराव आंबेडकर केवल भारत में नहीं अपितु दुनिया में भी गैर-बराबरी को ख़त्म करने के लिए मुखर रूप से अपनी अनुपस्थिति में भी उपस्थित हैं। उनकी सोच जिंदा है। वे अपने विचारों से अभी भी बराबरी के लिए भरपूर वकालत कर रहे हैं। उसमें सभी लोगों के लिए एक आवाज़ है। उसमें एक व्यापक बदलाव भी है। यह बदलाव विश्व की तस्वीर चेंज करने में सक्षम है। यह संयुक्त राष्ट्र ने भी समझ लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने गांधी के अहिंसा सन्देश को जिस प्रकार फैलाया है। डॉ. आंबेडकर के विचारों को भी अब उसने पकड़ लिया है और इक्वैलिटी की जितनी पुरजोर कोशिश हो सकती है, वह फैलाने की कोशिश कर रहा है और उसने यह साफ-साफ कह दिया है कि सामाजिक न्याय के लिए इक्वैलिटी ज़रूरी है और इसके प्रेरणा स्रोत आंबेडकर हैं। दुनिया में देखा जाए तो स्त्रियाँ भी इक्वैलिटी की लड़ाई लड़ रही हैं। स्त्रियों के साथ दुनिया को सामाजिक न्याय इसी इक्वैलिटी के माध्यम से मिलने वाली है। संयुक्त राष्ट्र यह चाहता है कि डॉ. आंबेडकर के विचारों को फैलाया जाए। इनके विचारों में दम है। इनसे विश्व में सामाजिक न्याय की मुहिम तेज की जा सकती है। आधी आबादी का संकट बाबासाहेब के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर के जो विचार हैं उसे आमजन तक ले जाना है। यह विचार स्त्रियों को सशक्त बनायेंगे। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार बाबासाहेब के विचारों को लेकर काफी काम कर रही है और आधी आबादी के विकास में यदि डॉ. आंबेडकर की मंशा को मूर्त रूप दिया जाएगा तो इससे भारत की स्त्रियाँ, हाशिये के समाज और अपने हक़ से वंचित लोगों की गरिमा सुरक्षित व संरक्षित होगी। इस दिशा में मोदी सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं जिससे आधी आबादी को सुरक्षा का अहसास हुआ है। यदि देश में डा. आंबेडकर के विचारों को लागू कर दिया जाएगा तो हमारी निष्ठा उन लोगों के प्रति दिखेगी भी और फलीभूत भी होगी।

(लेखक महामहिम राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर, अहिंसा आयोग व अहिंसक सभ्यता के पैरोकार हैं। ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

परिवर्तन
आर. के. सिन्हा

देखते देखते बदलने लगा कश्मीर

अगर किसी ने फैसला ही कर लिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करना नहीं छोड़ेंगे, तो बात अलग है, पर हाल में उनका (मोदी जी) श्रीनगर यात्रा के समय जिस तरह का उमंग और उत्साह के साथ स्वागत हुआ उससे सारा देश आश्वस्त महसूस कर रहा है। एक यकीन होने लगा है कि अब कश्मीर देश की मुख्यधारा से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब अविश्वसनीय था। सभा स्थल बख्शी स्टेडियम में मोदी का भाषण सुनने के लिए हजारों लोगों की वक्त से बहुत पहले से ही लाइनें लग गई थीं। इनमें कश्मीरी औरतें भी भारी संख्या में थीं। याद नहीं आता कि जब किसी प्रधानमंत्री का घाटी में इतना गर्मजोशी से स्वागत किया गया हो। इसके पहले लगभग चालीस वर्ष पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लगभग ऐसा ही स्वागत हुआ था श्रीनगर में। प्रधानमंत्री मोदी की सभा की समाप्ति के बाद लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता और आशा की मिली-जुली रेखाओं को पढ़ा जा सकता था। एक खबरिया टीवी चैनल को स्थानीय निवासी गुलाम भट्ट कह रहे थे, "मुझे यकीन है कि पीएम मोदी हमारी सेवाओं को नियमित कराएंगे। वह अकेले ही इसे पूरा कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर में अब तक सभी सरकारों ने हमसे केवल खोखले वादे किए हैं।" रैली में इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों की सुरक्षा के प्रबंधन में स्थानीय पुलिस सबसे आगे थी। जनता ने पुलिस द्वारा बताए गए हर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। जम्मू-कश्मीर पुलिस के उप-निरीक्षक सुलेमान खान ने कहा, "यह पीएम मोदी की वजह से हुआ है। अब हमारी वर्दी का सम्मान है। हमने कश्मीर में वह दौर भी देखा है, जब पुलिसकर्मी पत्थरबाजों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों के डर से अपना पहचान पत्र नहीं रखते थे। कश्मीर में यह परिवर्तन किसने संभव किया? यह मोदीजी और उनका दृढ़ संकल्प है कि कश्मीर में कानून का शासन वापस आया।"

मुझे मेरे कश्मीर में रहने वाले कई मित्रों ने बताया कि रैली के बाद लोग कश्मीर में अपने परिवार और दोस्तों के साथ रैली के बारे में जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि लोग खुद स्वेच्छा से वहां पहुंचे थे। हजारों लोग गर्व से बता रहे हैं कि उन्होंने बख्शी स्टेडियम में मोदी जी का भाषण सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अनुपम अवसर का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को देश का मुकुट बताते हुए प्रदेश का डेवलपमेंट प्लान सबके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि एक विकसित जम्मू-कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। जम्मू-कश्मीर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि वह खुलकर सांस ले रहा है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है, जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है, इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है।

अगर बात प्रधानमंत्री मोदी की रैली से हटकर करें तो कश्मीर की जनता देख रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में कितने बदत्तर हालात हैं। वहां पर दिन में कम से कम दसेक घंटे तक बिजली नहीं आती। वहां रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में अब कुछ भी छिपा नहीं है। कश्मीर घाटी की जनता यह भी देख रही है कि पीओके में पाकिस्तान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले छह महीनों से महंगाई, अप्रत्याशित बिजली बिल और अन्य करों के विरोध में प्रदर्शन जारी है। इतना ही नहीं, वहां पर प्रशासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। बिजली के भारी बिलों और करों को लेकर लोगों का आंदोलन शुरू किया था।

इस बीच, अब बहुत साफ है कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 का कोई मसला ही नहीं रहा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि राज्य का अवाम अब धारा 370 से आगे निकल चुका है। जैसी कि उम्मीद थी कि इस धारा को हटाए जाने के बाद राज्य का सर्वांगीण विकास और रफ्तार पकड़ लेगा, अब वही हो रहा है। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सबको विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी राज्य के 14 शिखर नेताओं से मिल भी चुके हैं। अफसोस होता है कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाने के सवाल पर कांग्रेस का रवैया बेहद खराब रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह कहते रहे हैं कि केन्द्र में उनकी पार्टी की सरकार आएगी तो वे संविधान के अनुच्छेद 370 को पुनः बहाल कर देंगे। देखिए, आपको कश्मीर घाटी के बदले हुए मिजाज को देखने-समझने के लिए राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गोवा जाने वाली फ्लाइट के मुसाफिरों को देख लेना चाहिए। यकीन मानिए कि हरेक फ्लाइट में कई कश्मीरी परिवार भी यात्रा कर रहे होते हैं। चूंकि श्रीनगर से गोवा की कोई डायरेक्ट नहीं है तो ये दिल्ली से गोवा घूमने-फिरने के लिए जा रहे होते हैं।

(लेखक पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

राम सब घट मेरा साइयां

संकलित
दर्शन

पूरे संसार में राम का निवास है, सबमें भगवान हैं और हम उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में है। कबीर ने कहा है-'राम सब घट मेरा साइयां'... राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में हैं। सदा सर्वदा सबके हृदय में रहेंगे, लेकिन हमारे स्वार्थ, हमारे हेतु, हमारी मानसिकताओं के कारण कभी-कभी हम राम को साधन बना बैठते हैं। इसलिए हम राम को सही रूप में नहीं समझ पाते। प्रत्येक व्यक्ति में यदि हमें सिया राम के दर्शन होने लगें तो तमाम भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। जातीय आधार पर भेदभाव काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए धर्माचार्यों को आगे आना होगा। धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक या फिर सामाजिक क्षेत्र, अंतिम व्यक्ति पूज्य होना चाहिए। अगर अंतिम व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस तक पहुंचें। भारतीय दर्शन में इहलोक और परलोक की बात आती है। इहलोक और परलोक का कल्याण करने की बात मेरी दृष्टि में इह यानी अपने संसार के साथ-साथ दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसा प्रयास करना ही इहलोक और परलोक को सुधारना है। दूसरों के कल्याण की भावना का क्षेत्र बहुत व्यापक है। हम व्यापक व विराट की संतान हैं, इसलिए दूसरों के कल्याण का भारतीय सोच पूरे विश्व के कल्याण का सोच है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो दुनिया के सभी देशों के कल्याण की बात करते हैं।

जीवन में, सब ईश्वर की दया ही है

संकलित
प्रेरणा

एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था, अमीर सेठ अपने नौकर से तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह भगवान को अनाप शनाप कहता और बहुत कोसता था। एक दिन वह अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था, संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। अमीर सेठ ने पूछाः ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गये? नौकर बोलाः आप मेरे मालिक है, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते है, अगर एक दिन कुछ बेस्वाद या कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में भला क्या हर्ज है? अमीर सेठ अपनी भूल समझ गया, अगर ईश्वर ने इतनी सुख-सम्पदाएँ दी है, और कभी कोई कटु अनुदान या सामान्य मुसीबत दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं।

असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है, सब ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। हम केवल जीवन में अच्छे व उजले पक्ष को ही देखते हैं। हमें सुख, आराम पसंद है, पर दुख व कष्ट के क्षण आते ही हमारा मन विचलित होने लगता है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही पल होते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

रसोई गैस की कीमतों में थोड़ी राहत

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए कमी कर महंगाई से कुछ राहत दी है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें पिछले कुछ समय से बढ़ती ही जा रही थी। विपक्ष बेशक इसे राजनीति के चश्मे से देखेगा, क्योंकि कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव भी हैं, लेकिन आमजन को इससे कुछ राहत मिलेगी। अगर रसोई गैस की कीमतें बढ़ती जाएंगी तो ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भारी मुश्किलें पैदा कर देंगी। हमारे देश के गांवों में आज 21वीं सदी में भी कुछ लोग खाना बनाने के लिए चूल्हे में लकड़ी और गोबर के उपले जलाने की विधि अपनाते हैं। - **वैभव देशपांडे**, बिलासपुर

ट्रेंड

रुपये में बढ़ रहे वैश्विक ट्रेड

बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी क्षेत्र के देशों सहित कई विकसित और विकासशील देशों ने रुपये में व्यापार करने की इच्छा जताई है। भारत के साथ साझेदारी से कारोबार के लिए लेनदेन की लागत घटेगी। सिंगापुर पहले ही कुछ हद तक इसमें शामिल है।
-पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री

युद्धविराम की कोशिश

रमजान के पाक महीने को देखते हुए अमेरिका इजराइल व हमास के बीच जारी जंग में बंधकों की रिहाई संबंधी समझौते के तहत कम से कम छह सप्ताह के तत्काल युद्धविराम के लिए कोशिश करेगा।
-जो बाइडन, यूएस राष्ट्रपति

संविधान में बदलाव खतरनाक

यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा के एजेंडे के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है तो "यह संसदीय लोकतंत्र, संघवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अंग्रेजी भाषा का अंत होगा"।
-पी चिदंबरम, पूर्व केंद्रीय मंत्री

सूची सामने आ जाएगी

पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि उच्चतम न्यायालय के माध्यम से वह सूची (चुनावी बॉण्ड से जुड़े लोगों की सूची) सामने आ जाएगी। इससे यह पता लग जाएगा कि चुनावी बॉण्ड किन-किन लोगों से सम्बन्धित है। **-अखिलेश यादव, पूर्व सीएम**

करंट अफेयर

चार भारतीय-अमेरिकी महिलाएं सम्मानित

न्यूयॉर्क की चार प्रतिष्ठित भारतीय-अमेरिकी महिलाओं को समाज में उनकी उपलब्धियों तथा योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। महारानी राधिकाराजे गायकवाड़, नीना सिंह, डॉ. इंदु लियु और मेघा देसाई को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस (एफआईए) द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के छठे संस्करण में सम्मानित किया गया। एफआईए ने एक बयान में कहा कि गायकवाड़ अपने परोपकारी कार्यों के माध्यम से शिक्षा और सामुदायिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध एक दूरदर्शी महिला हैं। सिंह न्यू जर्सी की पहली भारतीय एवं सिख महिला मेयर हैं और उन्हें मानसिक कल्याण एवं सामुदायिक भागीदारी के प्रति अपने समर्पण के लिए पहचाना जाता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट से स्वतंत्र स्वास्थ्य सेवा प्रदाता 'आरडब्ल्यूजेबरनबास हेल्थ' की कार्यकारी उपाध्यक्ष बनीं लियु ने स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। देसाई, 'देसाई फाउंडेशन' की अध्यक्ष हैं जो ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य, आजीविका में सुधार लाने और महिलाओं एवं बच्चियों के लिए मासिक धर्म संबंधी उत्पादों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम करता है।

ऑफ बीट

जीवविज्ञानियों की हैमरहेड शार्क के भ्रूण तक पहुंच

ऐसा कम ही हो पाता है कि वैज्ञानिकों को नवजात शार्क या नर्सरी में उनके विकास के रहस्यों तक पहुंच मिल पाए। इसलिए हैमरहेड शार्क (स्फिर्ना टिबुरो) के भ्रूण को उसके पांच महीने के विकास के बीच में देखना बहुत ही असामान्य है। बढ़ते भ्रूण तक पहुंच मेरे जैसे विकासात्मक जीवविज्ञानियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पृथ्वी पर जानवरों की विविधता को समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर जिन मछलियों का मैं अध्ययन करता हूं, जिनमें अन्य शार्क प्रजातियां भी शामिल हैं, जो अंडे देती हैं, जिससे हम वास्तविक समय में विकास को आसानी से देख सकते हैं। हालाँकि, हैमरहेड शार्क अंडे नहीं देती हैं। वे अपने शिशुओं को गर्भाशय में गर्भाधान कराते हैं। एक गर्भवती शार्क 16 भ्रूणों को पालती है, जिनमें से प्रत्येक को मानव भ्रूण की तरह ही गर्भनाल द्वारा पोषित किया जाता है। फिर माँ बच्चों को जन्म देती है, और ये बच्चे दांतों और जबड़ों के साथ आत्मनिर्भर होते हैं, अपने दम पर जीवित रहने के लिए तैयार होते हैं। हथौड़े के सिर वाले भ्रूण तक पहुंच बहुत दुर्लभ है, जो इसकी छवि को इतना खास बनाती है। इस छवि के बारे में जानन के लिए, मैंने और मेरे सहकर्मियों ने वयस्क मादा शार्क के भ्रूणों को बचाया, जिन्हें फ्लोरिडा के खाड़ी और अटलांटिक दोनों तटों पर जनसंख्या सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में पकड़ा गया था।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid